खण्ड-331, अंक-2
शुक्रवार, 17 चैत्र, शक संवत् 1900
(7 अप्रैल, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 331 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
कुमायूं विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२२०
रुहेलखंड विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२२०
बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२२१
१९७८-७९ के आय-व्यय क पर सामान्य विवाद (जारी) ..	२२१-२६७
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव..(स्वीकृत) ..	२६७-२६८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	२६८-२६९
पिछड़ी जातियों के सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विषय को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों में असंतोष के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२६९-२८१
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित)	२८१-२८५
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित) ..	२८५-२९७
नत्थियां	२९९-३०१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश, विधान सभा

शुक्रवार, ७ अप्रैल, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य-३१३

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री

चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
मंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नवलाकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बब्बे भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा श्री "अरविन्द",
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बैचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भाभो, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री

मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री

राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री

विद्या शंकर, श्री
बिमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर देव सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ७ अप्रैल, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में उर्दू जबान को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा दिये जाने की मांग

**१--श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश लोगों की मांग को मद्दे नजर रखते हुए सरकार उर्दू जबान को दूसरा दर्जा देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

उर्दू जबान को इस प्रदेश में दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा देने के बारे में सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

उर्दू जबान को सरकार द्वारा शिक्षा तथा प्रशासन के क्षेत्र में आवश्यक सुविधायें प्रदान की गई हैं और उर्दू अकादमी के माध्यम से उर्दू भाषा की प्रगति और विकास के लिए भी समुचित व्यवस्था है । ऐसी स्थिति में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा देने का कोई आधार नहीं रह जाता है ।

श्री मन्जूर अहमद--

माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी के मेनिफेस्टो में उर्दू जबान को दूसरा दर्जा देने का वायदा किया गया था ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उसको अब पूरा नहीं किया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

ऐसा कोई वायदा जनता पार्टी के मेनिफेस्टो में नहीं है ।

श्री मंजूर अहमद--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उर्दू जबान को उर्दू अकादमी के माध्यम से सुविधायें दी जारही हैं तो क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं ? पूरे प्रदेश में स्कूलों और कालेजों में उर्दू के कितने-कितने टीचर्स उर्दू पढ़ाने के लिए रखे गये हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर उर्दू पढ़ाने की सुविधा दी जाती है । जिस प्राइमरी स्कूल में उर्दू पढ़ने वाले ४० बच्चे होते हैं अथवा किसी एक कक्षा में यदि १० बच्चे भी उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उस प्राइमरी स्कूल में उर्दू अध्यापक रखा जाता है । इसी प्रकार जूनियर हाई स्कूल स्तर पर यदि कम से कम ५ छात्र उर्दू विषय पढ़ने के इच्छुक हैं, तो वहां पर उर्दू अध्यापक रखा जाता है । इसके अतिरिक्त जितने भी गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल्स है, उनमें एक उर्दू अध्यापक की नियुक्ति की गई है । इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, उनमें भी उर्दू ओप्शनल तौर पर एक विषय है और वहां पर उर्दू अध्यापक रखे गये हैं । इसके अतिरिक्त ४ बेसिक ट्रेनिंग स्कूल्स हैं आगरा, मवाना (मेरठ), लखनऊ और वाराणसी में जहां कि उर्दू की ट्रेनिंग दी जाती है । साथ ही बच्चों के

अभिभावकों को यह सुविधा उपलब्ध है कि प्रवेश लेने के दो तीन महीने पूर्व से वे अग्रिम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश के लिए अग्रिम रजिस्ट्रेशन के लिए एडवान्स इन्रोलमेंट रजिस्टर रखने के आदेश दिये गए हैं। इसके अलावा उर्दू सीखने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रवीणता परीक्षा भी आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन में पास होने पर ५०० रु०, सेकिन्ड डिवीजन में पास होने पर ३०० रु० और थर्ड डिवीजन में पास होने पर १०० रु० इनाम के तौर पर दिया जाता है। साथ ही डिग्री कालेज में मांग होने पर उर्दू के लिए पहले वर्ष ही अनुदान दिया जाता है जब कि और सब्जेक्ट्स के लिए ३ वर्ष बाद दिया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन में उर्दू भी एक आप्शनल विषय के रूप में रखा गया है। पी० सी० एस० जुडीशियल में उर्दू को कंपल्सरी विषय रखा गया है। उर्दू में प्रार्थना-पत्र किसी भी अधिकारी को दिया जा सकता है। इस प्रकार उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इसे अनुदान दिया जाता है। अंजुमन तरक्की को भी ८५ हजार रुपये दिये और एक फखरुद्दीन अली अहमद फण्ड कायम किया गया है, इतनी सुविधायें दे रहे हैं।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व सरकार ने यह सब आदेश किये थे, आपने उर्दू की तरक्की के लिए नये कौन कदम उठाये हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, जो मैं पढ़ रहा था शायद माननीय सदस्य ने ध्यान से नहीं सुना पिछले वर्ष १९७७ में हमने उर्दू अकादमी को जो पहले पांच लाख रुपये मिलता था, उसको बढ़ा कर १० लाख किया। इसके अतिरिक्त और जितनी सुविधायें उपलब्ध थीं, उनको जारी रखा है और प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने १५ अगस्त, १९४७ के बाद जो मान्यतायें उर्दू की समाप्त की है क्या जनता सरकार उनको बहाल करने का विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे चुके हैं। सीधा सवाल था कि क्या उर्दू को दूसरा दर्जा देंगे जिसका उत्तर मंत्री जी ने दिया कि इसका कोई आधार नहीं है। इसलिए मैं दुहराने की इजाजत नहीं देता।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं (व्यवधान) कि जब आजादी मिली तो उर्दू को जो सुविधायें हासिल थी, खतम हो गई। कांग्रेसी हुकुमत केवल वायदा ही करती रही, ३० साल में कुछ नहीं किया। अब हमारी जनता सरकार, जो एक नए इनकलाब के साथ चमन में आई है और उर्दू एक बड़े तबके की जुबान है, क्या इसको थ्री लैंगवेज फारमूला में शामिल करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह आपने उसकी वजाहत की है, मंत्री जी ने बड़े तफसील में बता दिया है कि हम क्या कर रहे हैं और इसको दूसरी भाषा नहीं बना सकते।

श्री फजलुलबारी—

श्री लैंगवेज फारमूला में इसे शामिल करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय, यह श्री लैंगवेज फारमूला में पहले से ही शामिल है। एक निवेदन में माननीय सदस्य की जानकारी के लिए करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, १९५१ में पास हुआ था, उसमें हिन्दी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा स्वीकार किया गया। राज्य पुनस्संगठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की मीटिंग में यह तय किया गया कि जब ३० प्रतिशत लोग किसी प्रदेश में किसी भाषा को बोलने वाले हैं, तो उसमें द्विभाषी नियम लागू किया जा सकता है। हमारे यहां केवल १०·५० प्रतिशत लोग उर्दू भाषा बोलते हैं इसलिए इसे लागू करना संभव नहीं है। इसके अलावा जितनी सुविधायें दी जा सकती हैं दी जा रही है। उर्दू शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। उर्दू और हिन्दी में केवल लिपि का फर्क है, बाकी बोलने में कोई भारी अंतर नहीं है। उर्दू को प्रोत्साहन लगातार दिया जा रहा है।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अभी कहा कि हम उर्दू को जो तरक्की कर सकते हैं कर रहे हैं और उसके लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसे सेकेन्ड जबान बनान से मजबूर हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि केवल सीखने से...

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिए, सुझाव मत दीजिये, इससे काम नहीं चलेगा।

श्री मुकीमुर्रहमान—

क्या जो लोग पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, उनकी अप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट के अन्दर और नौकरी में भी उनके लिये कुछ इंतजाम किया जायगा, जो पढ़ने के लिए है ?

श्री अध्यक्ष—

इनका सीधा प्रश्न है कि जो उर्दू जानते हैं, उनको नौकरी में क्या तरजीह दी जायगी और जिलों में उर्दू में उनकी दरख्वास्त ली जाएंगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

उर्दू में दरख्वास्तें लेने के सभी सरकारी अधिकारियों को आदेश हैं और अदालतों को भी हैं। इसके अलावा १७० गजट उर्दू जबान में जिलों में भेजे जा रहे हैं। जहां तक सर्विस का प्रश्न है, उर्दू एक सब्जेक्ट है भाषा का, यह विज्ञान या इतिहास नहीं है। जहां भाषा का प्रश्न है, जहां-जहां जितने उर्दू अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है, उनको जगह दी जाती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, यह बहस नहीं है, सवाल है और सवाल का आपको जवाब मिल गया है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मंत्री जी ने अभी बताया कि उर्दू में हर अधिकारियों को दरख्वास्तें दी जा सकती हैं, तो क्या मंत्री जी ने कोई ऐसे आदेश दिए हैं ? और यदि दिये हैं तो किस तिथि में दिए हैं ? क्योंकि हमारी जानकारी में है कि सरकारी अधिकारी उर्दू में दरख्वास्तें नहीं लेते हैं और यदि आदेश नहीं किया है, तो कर देने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह पहले से आदेश है कि उर्दू में दरख्वास्तें स्वीकार की जाएं । इसकी तिथि हमारे पास नहीं है, ये पुराने आदेश हैं ।

श्री चेतराम गंगवार--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तारीख नहीं बताई ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि तारीख की सूचना नहीं है ।

श्री चेतराम गंगवार--

तो क्या मंत्री जी नया सरकुलर सारे जिलाधिकारियों को दुबारा देने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मेरे पास तारीख नहीं है, पुराने आदेश हैं, लेकिन कोई इंकार नहीं कर सकता है, दरख्वास्तें ली जाती हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, आंकड़ों के सहारे चलने वाली सरकार के मंत्री से मैं यह जानना चाहूंगा कि .. माननीय वित्त मंत्री जी कोई टिप्पणी कर रहे हैं, मैं सवाल कर लेता, तब वह करते, तो अच्छा होता । मेरी अपनी निजी जानकारी में हैं, मैंने अपने खत के साथ माननीय मुख्य मंत्री और सम्बन्धित मंत्रालय को बताया है कि उनकी घोषणाओं पर अमल नहीं हो रहा है और बहुत सी जगह से ऐसी शिकायतें हैं, जैसा कहा गया है, न दरख्वास्तें ही ली जाती हैं और न दूसरी सहूलियतें दी जाती हैं एम० एल० एज० के खत जिन शिकायतों पर लगे होते हैं, उन पर कार्यवाही छोड़िए, उनका कोई जवाब तक नहीं मिलता है । तो मैं जानना चाहूंगा कि इन सहूलियतों को देने से मना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इन सरकुलरों का सरकारी कर्मचारी उल्लघंन करेंगे, तो क्या उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेंगी ? इसको इस तरह कहा जा सकता है ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

राज्य सरकार के आदेश न मानने पर कार्यवाही करने या दण्ड देने के जो नियम हैं, वही इन पर लागू होते हैं । कोई शिकायत आए और पता चले कि उसने आदेश का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनता सरकार जब से बनी है, उर्दू के प्राइमरी और सेकेन्डरी स्कूलों में कितने टीचर्स नियुक्त किए गए हैं और कितने अधिकारियों के खिलाफ अब तक इस सिलसिले म कार्यवाही की गई है, जिन्होंने उर्दू की दरखवास्तों को कबूल नहीं किया या उनका ठीक से जवाब नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष—

पहला सवाल तो आपका ठीक है, दूसरा सवाल इस तरह करते कि क्या इस तरह की शिकायत मिली है कि उर्दू की दरखवास्तें नहीं ली गईं और यदि नहीं ली गईं, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री खान गुफरान जाहिदी—

अब आप ही मेरा प्रश्न कर लीजिए ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

सरकार ने एक नया पद उपनिदेशक, उर्दू का सृजित किया है । इसके अतिरिक्त हर जिले में एक डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स उर्दू, अलग से नियुक्त किया है । शिकायतें आयी होगी । शिकायतें हर विभाग की आती हैं । मैं सारी शिकायतें नहीं लाया हूं । लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत बतायें तो कार्यवाही की जायगी ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन सुविधाओं को देने के बाद भी उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में मानने के लिए सरकार इनकार कर रही है, उसके क्या कारण हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने निवेदन किया कि सभी प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह फार्मूला तय हुआ था कि जिस प्रदेश में ३० प्रतिशत लोग दूसरी भाषा बोलते हैं, उसको दुभाषी राज्य ऐलान कर दिया जाय । हमारे प्रान्त म साढ़े दस प्रतिशत लोग उर्दू भाषा बोलते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिए । राम आसरे जी, बैठिए । यह कोई बहस नहीं है । मंत्री जी ने जवाब दे दिया । आप मंत्री जी को मजबूर नहीं कर सकते कि जैसा जवाब जिस भाषण में आप लोग चाहते हैं, वही दें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

जो जवाब दे रहे थे उसको पूरा कर लेना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

जवाब पूरा उन्होंने दे दिया ।

श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि जो विद्वान या छात्र उर्दू साहित्य में खोज करते हैं, उनको सरकार कुछ विशेष अनुदान देती है ? अगर नहीं देती है, तो विशेष अनुदान की व्यवस्था करेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, उर्दू अकादमी ऐसे रिसर्च स्कालर्स को प्रोत्साहन देती है, इनाम देती है ।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं जानना चाहूंगा कि जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने उर्दू भाषा को, हिन्दुस्तान के बटवारे की भाषा, मौलवी की भाषा, मजहब की भाषा का जिक्र किया है और यदि हां, तो आप उसके बरअक्स कैसे कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल नहीं पैदा होता ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये । बहस नहीं ।

(प्रश्न संख्या दो पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के अनुपूरक प्रश्न करने के लिए खड़े होने पर)

यह क्या तरीका है सवालों के बारे में ?

श्री बाबू बदरे—

एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेने दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । सवालों में जबरदस्ती नहीं हो सकती ।

श्री बाबू बदरे—

आप बड़ी जोर से डांटते हैं । मेरा हार्ट फेल हो जायगा ।

कानपुर नगर की डाक्टर श्रीमती मिनी जलोटा का अपहरण

**२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २३ मार्च, १९७८ को कानपुर में खुले आम एक महिला डाक्टर का अपहरण कर लिया गया तथा अब फिरौती के लिए एक लाख रुपया मांगा जा रहा है जिससे कि कानपुर में बड़ा भय तथा आतंक व्याप्त है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २२/२३-३-७८ की रात में डा० आर०के० जलोटा ने थाना कलक्टरगंज, जनपद कानपुर पर अपनी पत्नी डा० श्रीमती जलोटा व उनकी नर्स तथा ड्राइवर के कार सहित गुम हो जाने की सूचना दी थी। उसके बाद पुनः दिनांक २३-३-७८ को डा० जलोटा के एक एडवोकेट मित्र, निवासी सिविल लाइन, कानपुर ने थाना कोतवाली (कानपुर) पर सूचना दी कि उक्त डाक्टर का ड्राइवर लौट कर आया और उसने बतलाया कि विगत रात जब वह डाक्टर श्रीमती जलोटा व उनकी नर्स को कार से बिरहाना रोड क्लिनिक से लेकर आ रहा था तो स्टेट बैंक के पीछे सड़क पर चार बदमाश कार के सामन खड़े हो गए, जिसके कारण कार रोकनी पड़ी। कार रुकते ही बदमाश जबरदस्ती कार में घुस गए और गोली मारने की धमकी देकर उसे गाड़ी उनके बताए रास्ते पर ले जाने को बाध्य किया। जब गाड़ी भोगनीपुर पहुंची तो बदमाशों ने गाड़ी रुकवा कर उसे उतार दिया तथा लेडी डा० श्रीमती जलोटा से दो पत्र लिखवा कर दिया और कहा कि इसे ले जाकर डा० जलोटा को दे देना और कह देना कि यदि भला चाहते हैं तो एक लाख रुपया पहुंचा दें और इन्हें छुड़ा लें। उसने चाभी का गुच्छा भी दिया। इस सूचना पर उसी दिन एक मुकदमा धारा ३६५ भा० द० वि० का थाना कोतवाली पर कायम किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस ने प्रकाश में आये डाक्टर के ड्राइवर तथा एक अन्य अभियुक्त को २६-३-७८ को गिरफ्तार किया। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व कार की बरामदगी के प्रयास हो रहे हैं। डाक्टर श्रीमती जलोटा व उनकी नर्स दिनांक २५-३-७८ की रात में वापस आ गई हैं।

यह कार भी बरामद हो गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, कुछ अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं। डा० मिनी जलोटा वापस आ गयी हैं और नर्स भी वापस आ गयी है तथा कार भी मिल गयी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो नये तथ्य और प्रकाश में आये हैं, उनको सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

जो ड्राइवर था, उसका चालान कर दिया गया है, यह उस गैंग के लोगों से मिला हुआ था और कानपुर के पुराने गैंग के सुरेश सिंह, जिला हमीरपुर, जिन्होंने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस को गोली मार कर हत्या कर दी थी, नवम्बर, १९७७ से जेल में हैं और राजकुमार निवासी राठ, यह उसी के गैंग के सदस्य हैं, जिनसे वह मिला हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, अभी बहुत से अभियुक्त पकड़े भी नहीं गये हैं और यह बहुत बड़ा गिरोह मालूम होता है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस पूरे मामले को जांच गुप्तचर विभाग से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

गुप्तचर विभाग से अच्छी तफतीश जिला पुलिस कर रही है। स्थानीय पुलिस तफतीश करती है और उसका रिकार्ड भी रखती है। सी० आई० डी० से जांच करवाने पर कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अभियुक्त इस मामले में प्रकाश में आये वह कौन-कौन थे, उसकी सूचना माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

केवल ५ मुलजिमान का पता चला था जिसमें एक ड्राइवर था और एक दूसरा व्यक्ति बृजमोहन गुप्त तथा हनुमान। यह दोनों पकड़े जा चुके हैं। राजकुमार का पता नहीं मालूम हुआ। दो आदमी लक्ष्मण और प्रकाश के नाम मालूम हुए हैं, लेकिन अभी उनका पता नहीं मालूम हुआ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मिनी जलोटा के यह दूसरे पति हैं और यह एक बार और गायब हो चुकी हैं ? क्या यह संभव नहीं है कि श्रीमती मिनी जलोटा स्वयं गायब हो गयी हो और अपने पति से एक लाख रुपया अपने दलालों के जरिए से लेना चाहती हों ?

श्री अध्यक्ष —

यह इससे उत्पन्न नहीं होता है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि डाक्टर श्रीमती जलोटा, उनकी नर्स वापस आ गयी हैं और यह चिट्ठी आयी है कि एक लाख रुपये की फिरौती दी जाय। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो वापस आई हैं, एक लाख रुपये की फिरौती देकर आई हैं या कैसे आई हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जैसा कि मैंने कहा पुलिस ने उनका जो बयान लिया, उसने बताया कि उन्होंने कोई फिरौती नहीं दी और जैसा कि माननीय सदस्य ने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गयी थी फिर वे भाग कर किसी देहात के स्टेशन पर पहुंची, फिर बांदा आयीं और वहां से वे कानपुर पहुंच गयीं। फिरौती का रुपया दिया या नहीं उसी मिस्ट्री को हल करने के लिए तफतीश जारी है।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

श्रीमती जलोटा वापस आ गयीं, कार वापस आ गयी और उनकी नर्स भी वापस आ गयी और १ लाख रुपया भी नहीं देना पड़ा तो इसके पीछे क्या राज है, क्या इसकी जानकारी करायी जायगी ?

श्री अध्यक्ष —

जानकारी तो करा ही रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या यह सही है कि डाक्टर से सम्बन्धित कार जबलपुर में मिली तो उत्तर प्रदेश के जिन अधिकारियों द्वारा वह कार बरामद की गयी, क्या उन लोगों को इस सन्दर्भ में जो सूचना प्राप्त हुई, वह सरकार को मालूम है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह सही है कि कार जबलपुर में मिली । कार को उड़ाने और डाक्टर श्रीमती जलोटा को गायब करने के सम्बन्ध में हुई तफतीश के दौरान पुलिस को यह पता चला कि २३-३-७८ को ३-४० बजे देवरीबंद चौकी पर से कार पार हुई जो मध्य प्रदेश में है और थाना हरपालपुर जिला छतरपुर में । वहां पर उन्होंने किसी वजह से उस कार को चैक किया था और वहां से उनको नम्बर मिला था ।

बिक्री कर की वसूली के सम्बन्ध में स्थगन आदेश

**३—श्री आरिफ मोहम्मद खां तथा श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १ अक्तूबर, १९७७ से ३१ दिसम्बर, १९७७ तक बिक्री-कर की वसूली के कितने मामलों में वसूली के आदेश शासन द्वारा स्थगित किए गए या भुगतान के लिए किश्तें बांधी गईं ?

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

शासन द्वारा १-१०-७७ से ३१-१२-७७ की अवधि में ६८ मामलों में स्थगन के आदेश व ४८ मामलों में किश्तों की सुविधा प्रदान की गई ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री कर की वसूली को स्थगित करने या किश्तों के बांधने के लिए शासन के अधिकार के सम्बन्ध में उन्होंने विधि विभाग से कोई राय मांगी थी ? यदि हां, तो न्याय विभाग की इस सम्बन्ध में क्या राय थी ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

इस सन्दर्भ में न्याय विभाग से परामर्श हुआ था । मैं उनके इस मत से कि बिक्री कर कानून में स्थगन देने का कोई अधिकार शासन को नहीं है, सहमत नहीं हूं क्योंकि कानून में विशेष प्रकार का प्राविधान करने की आवश्यकता नहीं है । यह शासन का धन है और उसकी वसूली स्थगन करने के बारे में सरकार आदेश दे सकती है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

माननीय, मेरी जानकारी है कि बिक्री कर की वसूली उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम तथा लैंड रेवेन्यू . . .

श्री अध्यक्ष —

प्रश्नों में कानूनी राय का सवाल नहीं उठाना चाहिये । आप केवल प्रश्न कीजिए ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मान्यवर, बिक्री कर की वसूली के आदेश एक बार हो जाने के बाद वह मामला क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक हो जाता है । इसमें स्टेट्युटरी पावर्स जमींदारी विनाश . . .

श्री अध्यक्ष —

फिर आप वही बात कह रहे हैं । इस पर माननीय मन्त्री जी उत्तर दे चुके है कि उनके मत में यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में ह । अब आप और क्या सूचना चाहते हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

स्टेट्युटरी अधिकार सरकार को किस अधिनियम के अन्तर्गत हासिल है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो बताया है कि बिक्री कर कानून के अन्तर्गत ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

किस अधिनियम के अन्तर्गत ये अधिकार सरकार को हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मान्यवर, यह उन्होंने नहीं कहा है । इन्होंने कहा है चूंकि सरकार का धन है इसलिये उसे अधिकार है । ऐक्ट का जिक्र नहीं किया है ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, इसके लिए कानून में विशिष्ट प्राविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार का धन है, सरकार उसकी वसूली स्थगित कर सकती है ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सरकार का धन है, सरकार उसकी वसूली स्थगित कर सकती है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं, जिनके तहत वसूलियां स्थगित कर दी गयीं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, स्थगन आदेश विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए किये जाते हैं । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले के बारे में जिक्र करना चाहते हैं, तो बता दें ?

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ३१ मार्च, १९७८ तक ६८ मामले में स्थगन किये गये और ४६ मामले में किश्तें की गयीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थगन और किश्त के लिये जो आदेश किये गये, वह कुल कितने रुपय की धनर शि है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

जो प्राप्त सूचना है, उसके आधार पर ३ महीने की अवधि में जो स्थगन आदेश हैं, उनके अन्तर्गत लगभग २५ लाख की रकम होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है

श्री अध्यक्ष --

आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। यह मन्त्री जी के पास लोग प्रार्थना-पत्र लेकर आते हैं कि असेस्मेंट की प्रक्रिया निर्धारित करने में व्यापारी परेशान हो जाता है . . .

श्री अध्यक्ष--

आप इसमें स्पष्टीकरण न दीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि शासन की बिक्री कर वसूली की नीति में वह सरलीकरण के लिए कोई व्यवस्था रखना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष --

यह प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जिले में चकबन्दी के दौरान हुए भूमि के बैनामे

**४--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिल खीरी)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता तथा अन्य कई विधायकों ने मई, १९७६ से अब तक मन्त्री जी, राजस्व सचिव तथा चकबन्दी आयुक्त को जनपद उन्नाव में सन् १९७४ में चकबन्दी गजट के बाद जिन कृषकों ने चकबन्दी विभाग से बिना अनुमति लिए खरीदी गई भूमि के बैनामों को अधिक हानि को देखते हुए खारिज न किए जाने तथा उन्हें नियमित मान लिए जाने की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मन्त्री जी इन बैनामों के आधार पर किसानों का दाखिल खारिज करने की कृपा करेंगे ?

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

जिला उन्नाव में १९७४ में चकबन्दी अधिनियम की धारा ४ की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद बन्दोबस्त अधिकारी की पूर्वानुमति बिना प्राप्त किये हुये जो बैनामें किये गये थे, उनको नियमित मान लिये जाने के प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए थे। उन प्रार्थना–पत्रों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि ऐसे बैनामों को चकबन्दी क्रियाओं के दौरान कोई मान्यता नहीं दी जा सकती है क्योंकि अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित खातेदारों को बिना अनुमति के बैनामा करने का अधिकार नहीं था। ऐसे बनामों के आधार पर दाखिल खारिज करने का आदेश देना सम्भव नहीं है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर कि चकबन्दी अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत प्रकाशन जून, १९७४ में हुआ, उसके ठीक ६ महीने के बाद कार्यालय दिसम्बर, ७४ में स्थापित हुआ जबकि काश्तकारों को उस समय कोई जनकारी नहीं रही। इस बीच में जो बैनामें हुए, उनको दाखिल खारिज भी एस० डी० ओ० ने कर दिया। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को मानते हुए इसे नियमित करने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, चकबन्दी में निश्चित नियम है कि अगर चकबन्दी क्रिया चल रही है, तो बगैर नियम के बैनामा नहीं किया जायगा। यदि नियम के प्रतिकूल बैनामे किये जाते हैं, तो उनको मान्यता नहीं दी जायगी। यदि दाखिल खारिज इसके विपरीत हो गयी हैं, तो उनको भी मान्यता नहीं दी जायगी।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी किसानों के हित और आर्थिक हानि को देखते हुए इस मामले पर पुनः विचार करने का आश्वासन देंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, चकबन्दी पूरे प्रदेश में चल रही है, अगर एक स्थान के लिए परिवर्तन किया जायगा, तो इससे बड़ी कठिनाई हो जायगी। इसलिये यह करना सम्भव नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*१—श्री कल्प नाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

[शुक्रवार, ७ अप्रैल, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री सुमेर चन्द गोयल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

बस्ती जिले के मोहाना–लोटन मार्ग का निर्माण एवं भूमि अर्जन की कार्यवाही

*२––श्री मथुरा प्रसाद पाण्डे (जिला बस्ती)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में "मोहाना–लोटन" सड़क बनाने में जो भूमि वहां के काश्तकारों की ली गई है उन किसानों को अब तक न भूमि का मुआवजा दिया गया और न उनका नाम सरकारी कागज से ही कटा है जिसके कारण सम्बन्धित किसान वर्षों से लगान दे रहे हैं ? क्या सरकार उन किसानों को भविष्य में लगान न लगने की व्यवस्था करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह––

मोहाना लोटन मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बस्ती ने उप भूमि अध्यप्ति अधिकारी, बस्ती को अर्जन को कार्यवाही हेतु भेजा था जो उक्त कार्यालय के स्थानान्तरण के पश्चात् विशष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय में दिनांक ५–९–७५ को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण होने के कारण सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को वापस कर दिया गया किन्तु अभी तक संशोधित प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। अतः भू–अर्जन सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है। राजस्व अभिलेखों में खातेदारों को भू–राजस्व का पुराना इन्द्राज ही चला आ रहा है और इसी के अनुसार वसूली की जाती रही है। अब ज्ञात होने पर कि भूमि अर्जन की कार्यवाही किए बिना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि पर कब्जा करके सड़क का निर्माण किया गया है, जिलाधिकारी द्वारा सड़क में ली गई भूमि को भू–राजस्व की वसूली तत्कालिक प्रभाव से स्थगित कर दी गई है तथा भूमि अर्जन हेतु संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिए अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग बस्ती से पुनः अनुरोध किया गया है। साथ ही विशेष अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर द्वारा अर्जन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय––

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों से यह जमीन कब ली गयी थी ?

श्री शारदा भक्त सिंह––

१९७५ में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह सड़क बना दी, लेकिन भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय––

भूमि कब ली गयी थी ?

श्री शारदा भक्त सिंह––

इसकी सूचना नहीं है।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय––

जिन काश्तकारों की भूमि ले ली गयी है और जिनसे लगान भी वसूल किया जाता रहा है, उन्हें बेदखल नहीं किया गया है, क्या लगान जो वसूल किया है, वह वापस दिलाया जायेगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्न वापसी लगान का जहां तक है, वह वापस किया जायेगा और चूंकि भूमि नियमानुसार प्राप्त नहीं की गयी थी अभी तक, इसलिये इसके सम्बन्ध में भी जो और कार्यवाही आवश्यक होगी, वह भी की जायेगी और जो भी सहायता कृषकारों की सम्भव होगी, की जायेगी ।

श्री मथुरा प्रसाद पण्डेय—

यह जमीन जो ली गयी है, जबरदस्ती ली गयी है और नियमानुसार भी नहीं ली गयी है, तो कब तक इनको मुआवजा दिया जायेगा और लगान वापसी कब तक होगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

१९७५ में बहुत से ऐसे काम हुये हैं, जिनमें यह भी एक है । इसलिये इसमें जो भी आवश्यक होगा शासन अवश्य करेगा ।

कानूनगो संघ का क्रमिक अनशन संबंधी इश्तिहार एवं मांगें

*३—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शासन कृपया बतायेगा कि उत्तर प्रदेश कानूनगो संघ ने मई, १९७७ में अपनी सेवा नियमावली को प्रकाशित करने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री एवं राजस्व मन्त्री को क्रमिक अनशन करने की नोटिस दी थी जो उन्हें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उक्त नोटिस में उल्लिखित मुख्य मांगों के सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी और अब तक सुपरवाइजर कानूनगो नियमावली के प्रकाशित न करने का क्या कारण था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मुख्य मन्त्री या राजस्व मन्त्री को क्रमिक अनशन की कोई नोटिस नहीं दी गयी थी । परन्तु मई, १९७७ में उत्तर प्रदेश कानूनगो संघ द्वारा क्रमिक अनशन किये जाने के सम्बन्ध में एक इश्तिहार राज्यपाल के सलाहकार को कार्यकारी उपाध्यक्ष भूमि व्यवस्था समिति उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्राप्त हुआ था । इश्तिहार में मुख्य मांगें नायब तहसीलदार पद पर सुपरवाइजर कानूनगोयान की पदोन्नति, सुपरवाइजर कानूनगोयान के रिक्त पदों पर स्थायीकरण, सुपरवाइजर कानूनगोयान के स्थायीकरण के उपरान्त सुपरन्यूमरेरी कानूनगोयान की नई सूची प्रकाशित करना, सुपरवाइजर कानूनगो सेवा नियमावली का प्रकाशन तथा नायब तहसीलदार पदों पर स्थायी प्रोन्नति हेतु सुपरवाइजर कानूनगो के चयन के लिए समिति का गठन किया जाना था । इन सभी मामलों के सम्बन्ध में संलग्न तालिका के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की गई । सुपरवाइजर कानूनगों सेवा नियमावली अधिसूचना दिनांक २० नवम्बर, १९७७ द्वारा प्रख्यापित की जा चुकी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६९ पर ।)

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो अस्थायी हैं, उनको स्थायी करने की कार्यवाही कब से चल रही है और वे कब तक स्थायी हो जायेंगे, जो अस्थायी रह गये हैं ?

श्री हारवा भक्त सिंह—

माननीय, जैसा अभी बताया गया, सुपरवाइजर कानूनगो सेवा नियमावली अधिसूचना २० नवम्बर, १९७७ को प्रख्यापित की जा चुकी है और उसके अनुसार कानूनगोयान के पद प्रांविंशलाइज्ड बन गये है। जिलाधिकारियों से इस सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है और मैं समझता हूं शीघ्र ही उनका स्थायीकरण हो जायेगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो पृष्ठ संख्या २ पर क्रम संख्या ६ से उसमें यह दिया हुआ है कि सदर कानूनगो को आवास भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से परामर्श किया जा रहा है। यह मई, १९७७ में होने वाला था तो वह कब तक आवंटन कर दिया जायगा ?

श्री हारवा भक्त सिंह—

मान्यवर, इसमें खर्च और बन देने का सवाल है इसलिए वित्त विभाग ने जैसा लिखा है, विचार किया जा रहा है। जब पूरा हो जायगा, तो दिया जायगा।

*४—श्री ईश्वर प्रसाद—

[२८-३-७८ को अल्प सूचित प्रश्न संख्या १ द्वारा उत्तरित।]

तीस दिन के अवकाश पर नगदीकरण अवकाश दिये जाने की मांग

*५—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि नगदीकरण अवकाश के लिए न्यूनतम साठ दिन के अर्जित अवकाश लभ्य होने की अनिवार्यता को शर्त, जिसके अधीन तीस दिन के अवकाश का नगदीकरण मिलता है व तीस दिन के अवकाश का उपभोग होता है तथा अवकाश अवधि में स्थानापन्न नियुक्ति भी करके तीन गुना खर्चा होता है को समाप्त करके मितव्ययिता की दृष्टि से अवकाश का नगदीकरण तीस दिन का अवकाश लभ्य होने पर छुट्टी पर जाने की अनिवार्यता न रखते हुए देय रहे ? यदि हां, तो सरकार कब तक आदेश जारी करेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

स्थानीय निधि लेखा विभाग के सहायक सम्परीक्षक की सेवा समाप्ति

*६—डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि परीक्षक, निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय के अक्तूबर, १९७७ में कितने सम्परीक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की नोटिस दी गयी है ? क्या यह सही है कि कनिष्ठतम सहायक सम्परीक्षकों की सेवाएं समाप्त न करके ज्येष्ठतर तथा अनुसूचित जाति के सहायक सम्परीक्षकों की सेवाएं समाप्त की गयी हैं ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मन्त्री जी जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की नोटिस दी गयी है उसे वापस लेने की कृपा करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

जी हां, स्थानीय निधि लेखा विभाग में तदर्थ आधार पर नियुक्त अस्थायी सहायक सम्परीक्षकों में से केवल एक सहायक सम्परीक्षक की सेवा समाप्ति हेतु एक मास की नोटिस दी गई थी। सम्बन्धित सहायक सम्परीक्षक (जो अनुसूचित जाति का है) की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने के कारण उसे नोटिस दी गई थी यद्यपि वह कनिष्ठतम नहीं थे। परन्तु नोटिस की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही उन्होंने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल के कतिपय जिलों में अतिवृष्टि एवं ओला वृष्टि

*७—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर मण्डल के किन-किन जिलों में अक्टूबर, १९७७ में अति वृष्टि हुई तथा ओला पड़ा है ? यदि हां, तो सूखा तथा ओला पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

गोरखपुर मण्डल के केवल आजमगढ़ जिले में अक्तूबर, १९७७ में अतिवृष्टि हुई। बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों में अतिवृष्टि नहीं हुई किन्तु वर्षा के साथ कुछ ओला वृष्टि अवश्य हुई।

२—गोरखपुर मण्डल के जिन जिलों में सूखा, बाढ़ तथा ओला से क्षति हुई वहां के किसानों को राहत देने के लिए अब तक निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) गोरखपुर—सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को लगभग १ लाख ७५ हजार रुपया तकावी के रूप में दिया गया। रबी की बोवाई के लिए २५५ क्विन्टल निःशुल्क बीज का वितरण किया गया है। सूखा तथा ओला पीड़ित किसानों को १,७०,५०० रु० अहेतुक सहायता, १०,००० रु० गृह निर्माण अनुदान तथा ६०,००० रु० विशेष सहायता की मद में आवंटित किया गया है। इसके अलावा ९६ कुन्टल निःशुल्क गेहूं किसानों को वितरित किया गया।

(२) बस्ती—बस्ती जिले के प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए कृषि सम्बन्धी सभी देयों की वसूली स्थागित कर दी गई है। टेस्ट वर्क चालू किये गये हैं। एक एकड़ तक जोत वाले किसानों के गेहूं का बीज व उर्वरक निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। एक एकड़ से अधिक जोत वाले कृषकों को तकावी वितरित की गई। बस्ती जिले को १,२०,००० रु० निःशुल्क सहायता, ६०,००० रु० गृह निर्माण अनुदान ३६,००० रु० विशेष सहायता तथा १०,००,००० रु० टेस्ट वर्क के लिए आवंटित किया गया।

(३) आजमगढ़—इस जिले में ओला वृष्टि नहीं हुई। अक्तूबर में हुई अतिवृष्टि के कारण फसल को कोई क्षति नहीं पहुंची। किन्तु सूखे की कुछ स्थिति अवश्य उत्पन्न हुई। सूखे से फसल को ५०% से कम ही

क्षति हुई इसलिए किसी विशेष राहत कार्य अथवा सहायता कार्य की आवश्यकता नहीं समझी गयी । इस जिले को ७०,००० रु० निःशुल्क सहायता, १०,००० रु० गृह निर्माण अनुदान ३२,००० रु० विशेष सहायता की मद में आवंटित किया गया ।

(४)—देवरिया—इस जिले में ओला तथा सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में जहां कहीं ५०% से अधिक क्षति हुई वहां सभी कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी । निर्बल वर्ग के किसानों को राहत देने हेतु तहसील पड़रौना, सलेमपुर और हाटा में टेस्ट वर्क चलाये जा रहे हैं । क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में एक एकड़ तक के काश्तकारों को गेहूं का बीज व खाद का निःशुल्क वितरण किया गया है । देवरिया जिले को १,६५,००० रु० निःशुल्क सहायता, १०,००० रु० गृह निर्माण अनुदान, ६२,००० रु० विशेष सहायता तथा ६,००,००० रु० टेस्ट वर्क के लिए आवंटित किया गया है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और आजमगढ़—इस चार जनपदों में सूखा से, बाढ़ से और ओले से अलग-अलग प्रत्येक जिले में कुल कितनी क्षति हुई है ? दूसरे यह कि खाद और बीज जो एक एकड़ से कम के किसानों को दिया गया, उन जिलों में कितने-कितने किसानों को खाद और बीज मुफ्त रूप से दिया गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, इतने विस्तार के साथ मेरे पास सूचना नहीं है । जो सूचना प्राप्त थी, उसके आधार पर मैंने बता दिया कि कितना-कितना दिया गया है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मान्यवर, मेरा प्रश्न साफ है । मन्त्री जी ने एक तालिका दिया है, जिसमें लिखा है कि प्रत्येक जिले को यह-यह सहायता दी गयी । मेरा प्रश्न है कि सूखे से, बाढ़ से और ओले से देवरिया जनपद में कितनी क्षति हुई है ? नंबर दो, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि एक एकड़ से नीचे वाले किसानों को खाद और बीज मुफ्त दिया गया, तो देवरिया जनपद में कितने परिवार हैं, जिनको मुफ्त खाद और बीज दिये गये है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं । वह कहते हैं कि मेरे पास तफसील में सूचना नहीं है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

टोटल बता दें, नाम में नहीं जानना चाहता हूं ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, पूछा गया है कि क्या-क्या राहत कार्य किये गये, उसको मैंने मोटे तौर पर सूचना दी है । तफसील में सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

यह बता सकते हैं कि एक एकड़ से कम वाले किसानों की संख्या कितनी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय, इसकी तफसील में सूचना नहीं है ।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

माननीय, मेरे पास निश्चित सूचना है कि पडरौना तहसील में गौरी–जगदीश–पुर, अनबा–डिगरा सड़क पर, जो टेस्ट वर्क चलाया गया था, वह बंद कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

राम नरेश जी, टेस्ट वर्क का सवाल नहीं है ।

श्री राम नरेश पाण्डेय—

६ लाख रुपये टेस्ट वर्क में दिया गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि पडरौना तहसील में कितना रुपया एलाट किया गया और सड़क क्यों बंद कर दी गयी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मोटे–तौर पर कितना रुपया दिया गया, मैंने बता दिया है । लेकिन किस सड़क पर कितना रुपया दिया गया, इसकी तफसील नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जनवरी और फरवरी में खाद और बीज के नाम पर, एक एकड़ से कम वाले किसानों को गेहूं दिया जाता रहा है । तो क्या मन्त्री जी आदेश देंगे कि जितने किसान बचे हुए हैं, उनको भी बीज के नाम पर गेहूं दिया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूखे की स्थिति में यह उचित समझा गया कि किसी का खेत बीज की कमी के कारण बोने से रह न जाय इसलिए सहायता दी गयी, जिनके पास बीज नहीं था उनको दिया गया । अब बुवाई का समय नहीं है इसलिये दान देने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मैंने केवल एक सवाल किया है । केवल एक प्रश्न की अनुमति दे दीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें इसकी अनुमति नहीं है ।

* ८—श्री राम सजीवन—

[४थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में श्री संजय गांधी के दौरे पर व्यय की गयी धनराशि की वसूली

*६—श्री सोहन बीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि २६ जून, १९७५ से २२ मार्च, १९७७ तक की अवधि में श्री संजय गांधी के उत्तर प्रदेश के दौरे पर राज्य सरकार द्वारा कितना धन प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से खर्च किया गया ? क्या सरकार उक्त धन की श्री संजय गांधी से वसूली के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मधुकर दिघे—

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार श्री संजय गांधी के विभिन्न अवसरों पर उत्तर प्रदेश के दौरों पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से लगभग २०.४९ लाख रुपया व्यय किया गया ।

उक्त यात्राओं के सम्बन्ध में ४१,४८९ रुपये की धनराशि वसूल की जा चुकी है । यदि कोई धनराशि श्री संजय गांधी से नियमानुसार वसूली योग्य पायी गयी तो उसकी वसूली के लिए उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से २०.४९ लाख रुपया व्यय हुआ । तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितना-कितना व्यय हुआ है । जो प्रत्यक्ष धनराशि व्यय की गयी है, तो क्या उसमें किसी की जिम्मेदारी फिक्स की गयी है ? जिन्होंने धन का अपव्यय किया, तो इसमें ४०९ का अपराध बनता है । धन का जिन्होंने दुरुपयोग किया तो किस सरकारी अधिकारी के खिलाफ प्रोफेशनल मिस कंडक्ट की कार्यवाही की या मंत्री महोदय के खिलाफ कार्यवाही की ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, इसमें दो प्रकार से व्यय हुये हैं । एक तो स्वयं संजय गांधी उपस्थित रहे अकेले और उन पर जो व्यय हुआ उसकी वसूली की कार्यवाही करना तो सरल था । लेकिन जो शासन के अधिकारी होते हैं, जिसमें मंत्री उपस्थित रहते हैं, ऐसी रकमों की वसूली करना संभव नहीं है । लेकिन आदेशों के सम्बन्ध में जांच हो सकती है । दूसरे प्रकार के व्यय वह हैं, जो निगमों ने किये हैं, तो उनसे पूंछ-तांछ की जा रही है । परिवहन निगम द्वारा ४१ हजार रुपया वसूल किया जा चुका है और ४३ हजार रु० वसूल किये जा रहे हैं तथा पता लगाया जा रहा है कि इस प्रकार के आदेश कितने दिए हैं । कुछ आदेश मौखिक दिए गए हैं और कुछ आदेश ऐसे हैं, जिनके सम्बन्ध में मंत्रियों के लिखित आदेश हैं, जो जांच करके वसूल किए जा सकते हैं । जो अकेले व्यय उनपर किए गए हैं, उनकी वसूली की जा रही है । बाकी में जब कार्यवाही पूरी हो जायेगी, तो वसूली की जाएगी ।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मान्यवर, ऐसा बताया जा रहा है कि अभी मंत्री जी जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए अलग-अलग जानकारी कर रहे हैं । मेरे दो पक्ष हैं । एक तो रुपये खर्च करने वाले और दूसरा जिसमें खर्च किया गया । मैं तो पहले पक्ष में पूछना

[सोहनवीर सिंह तोमर—]

चाहता था कि जिन लोगों की जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए तलाश नहीं करना है, इसके पहले के मंत्री महोदय या मुख्य मंत्री थे, तो उनके खिलाफ उस रकम के गबन में ४०९ की कार्यवाही बनती है । यदि कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया जाय ?

श्री मधुकर दिघे—

मैं तोमर जी को कुछ डिटेल में सूचना दे दूं जिससे कि जो मैंने बताया, वह उनकी समझ में आ जाय । मान्यवर, भूतपूर्व मुख्य मंत्री के निवास-स्थान पर संजय गांधी के लिए नाश्ता और भोजन के लिए १७,८१० रुपए खर्च हुआ । इसी तरह से संजय गांधी के ठहरने के लिए निरीक्षण भवन की २-३ जगहों पर मरम्मत की गयी है, जिसमें १,७६,३५० रुपये खर्च हुए । ये ऐसे खर्चे हैं, जिनके व्यय के सम्बन्ध में मंत्रि परिषद् के अधिकार होते हैं । इसलिए मैंने कहा कि जांच हो रही है ।

मान्यवर, दूसरा प्रश्न जो पूछा था, उसमें मंत्रि परिषद् के ऊपर आरोप लगाया गया है । तो इसमें उन्होंने अपने अधिकार सीमाओं को पार करके क्या काम किया और दूसरे विभागीय अधिकारियों ने बिना किसी आदेश के आगे बढ़कर जो कार्य किया, वह दो हिस्सों मे बांटा जायेगा । एक तो परोक्ष तरीके से खर्च हुआ, जिसमें मंत्री शामिल थे और दूसरे जहां मंत्री नहीं थे, वहां बिना नियमों को देखे, उनका उल्लंघन करके जो खर्चा संजय गांधी के लिए किया गया है सीधे, उस सम्बन्ध में वसूली की कार्यवाही हो रही है ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि खर्चा, जो था वह संजय गांधी पर और अलग किया गया, तो इसको जानने का आधार क्या है ? क्योंकि बंगला तो मुख्य मंत्री के नाम आवंटित था, तो वह संजय गांधी के नाम कैसे होगा, वह उन पर कैसे खर्चा हुआ ? उसका आधार क्या होगा कि उन पर खर्चा हुआ ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं एक उदाहरण बता दूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय कैसे होते हैं । कताई मिल के उद्घाटन में, जहां मुख्य मंत्री ने उद्घाटन किया या उन से उद्घाटन कराया गया एक सरकारी कार्य था । लेकिन जहां तक खुद संजय गांधी जब किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में गए और उसमें परिवहन विभाग या अन्य विभाग जैसे वन विभाग, सिंचाई विभाग ने बिना नियम होते हुए जो खर्चे किए, वे उनके ऊपर प्रत्यक्ष हैं । इनको अलग-अलग करने में कोई सुविधा नहीं होगी ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह तो तय हो गया कि संजय गांधी पर अमुक राशि खर्च की गयी, तो संजय गांधी पर यह राशि किस हैसियत से खर्च की गई ?

श्री मधुकर दिघे—

मैंने पहले निवेदन किया कि इमरजेन्सी के जमाने में नियम या कानून कोई देखता नहीं था । कानून का उल्लंघन करना ही कानून था ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब संजय गांधी के नाश्ते पर सत्रह हजार रुपए खर्च किए गए, तो उसमें कौन-कौन से आइटम थे, मुर्गा कितना था, कबाब कितना था...(हंसी) ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, पहली अप्रैल की पूर्व के बात है और उस वक्त शराब चलती थी । शराब उसमें रही कि नहीं । अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्त लोग उसमें रहे हों तो उनको पता हो...(व्यवधान) ।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं जानना चाहूंगा कि संजय गांधी के ऊपर जो प्रत्यक्ष खच किया गया है, उसकी वसूलयाबी का क्या तरीका होगा, वह पैसा कैसे वसूल किया जायगा ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, इसमें वसूली का तरीका यह अपनाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के पास इसकी वसूली के लिए कागजात भेजें गए हैं । ४१ हजार रुपये वसूल कर लिए हैं । ४३ हजार रुपए का एक बिल और भेजा गया है । इस तरह जो उचित कार्यवाही होगी, वह की जायगी ।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात मंत्री जी के उत्तर से पैदा होती है । यह रुपया जो खर्च हुआ है, वह कुछ इस तरह खर्च हुआ है कि मुख्य मंत्री जी भी साथ में चले गए । मान्यवर, एक संजय गांधी हो गए और कल हममें से कोई संजय गांधी न हो जाय और इस तरह की भ्रांति आने वाले जमाने को न हो, मैं यह पूछना चाहूगा कि शासन इस सब जानकारी के लिए एक कमीशन नियुक्त करेगी जो यह विचार करे कि किस तरह से यह खर्चा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किया गया, आगे कौन से उपाय किए जायं ताकि अन्य कोई संजय गांधी इस तरह का खर्चा न कर सके ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, शासन नें इमरजेन्सी के दौरान जितनी गड़बड़ियां हुईं, उनके लिए कमीशन नियुक्त किया है और जैसा कि मैंने निदेदन किया, इसमें जितनी अनियमितताएं होंगी, उनको भी कमीशन के समक्ष भेज दिया जायगा ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, प्रत्यक्ष रूप से माननीय मंत्री जी असफल रहे, संजय गांधी के खर्चे को बतानें के बारे में । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह असफल प्रयास सरकार का कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का है (शोर) ।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १७,६१० रुपया जो प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया गया है, जिन लोगों के आदेश से खच किया गया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर दे चुके हैं। आप इसको दोहरा रहे हैं।

श्री हुकूम सिंह परिहार (जिला आगरा)---

माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने यह अनियमितताएं की हैं, उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री मधुकर दिघे---

माननीय मैंने पहले ही निवेदन किया कि इसमें कोई भी बचने नहीं पायेगा, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो अथवा छोटे-से छोटा।

बहराइच जिले की न्याय पंचायतों एवं ग्राम सभाओं का चुनाव

*१०---श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या शासन को यह जानकारी है कि नवगठित भिनगा तहसील, जिला बहराइच में इकौना व भिलौला विकास खंडों की कुछ न्याय पंचायतें तहसील हाल ही में भिनगा में शामिल कर दी गई हैं ? यदि हां, तो भिनगा तहसील में शामिल उक्त न्याय पंचायतें व उनमें पड़ने वाली गांव सभाओं का चुनाव (प्रधान व प्रमुख) किस विकास खंड के अन्तर्गत किया जायेगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

जी हां, जिला बहराइच में एक नयी तहसील भिनगा के सृजन के फलस्वरूप विकास खंड इकौना तथा भिलौला की क्रमशः तीन तथा चार न्याय पंचायतों के अन्तर्गत क्रमशः १६ तथा ११ ग्राम सभायें, जो पहले तहसील बहराइच के कार्यक्षेत्र में थी, पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से तहसील भिनगा में सम्मिलित हो गयी हैं। प्रश्नगत न्याय पंचायतों तथा ग्राम सभाओं के चुनाव उसी विकास खंड के अन्तर्गत किए जाएंगे वे इस समय हैं।

जिला वाराणसी, गोतोगंज के वनस्पति घी प्रतिष्ठान पर कथित बिक्रीकर अधिकारियों का छापा

*११---श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि अगस्त, १६७७ के दूसरे सप्ताह में वाराणसी के निकट गोपीगंज के एक वनस्पति घी प्रतिष्ठान पर बिक्री-कर अधिकारियों ने छापा मारकर लगभग ४० लाख रुपये की बिक्री-कर की चोरी के मामले से सम्बन्धित कई बही-खाते एवं कागजात बरामद किए ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस मामले का विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

जी नहीं।

नोट :---तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया

नैनीताल जिले की तहसील किच्छा के कागजातों में दर्ज किया गया फर्जी नाम

*१२—श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री बसन्त (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी जनप्रतिनिधि का पत्र दिनांक १५ सितम्बर, १९७७ जो श्री इन्द्रासन सिंह, ग्राम प्रधान रुन्दापुर, तहसील किच्छा, जिला नैनीताल के इस शिकायत के साथ कि उक्त तहसील के कर्मचारियों द्वारा तहसील के कागजातों में दर्ज नाम को फर्जी रूप से काटकर दूसरे का नाम दर्ज करने पर जांच कराने सम्बन्धी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हो रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां, जांच के उपरान्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है व थाना किच्छा में धारा २१८/४६३/४७१ भा० द० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट भी दर्ज कराई गयी है २३ जनवरी, १९७७ को ।

*१३—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[१०व सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी कार्यालय, लखीमपुर के प्रधान लिपिकों के स्थायीकरण की मांग

*१४—श्री नरेश चन्द (जिला खीरी)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कार्यालयों, लखीमपुर में पिछले १५ वर्ष से कार्यरत प्रधान लिपिकों को उनके पद पर अभी तक स्थायी नहीं किया गया है जबकि उनके अधीनस्थ लिपिकों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां, ऐसा इसलिए है कि शासन द्वारा अभी तक प्रधान लिपिकों का कोई भी पद स्थायी नहीं किया गया है ।

आजमगढ़ जिले के सहायक चकबन्दी अधिकारी का जी० पी० एफ० एवं बकाया वेतन

*१५—श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री अवधेश नारायन (जिला गाजीपुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में दिनांक १५ नवम्बर से ३० नवम्बर, १९७५ तक कितने सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा निवृत्त हुए और उनमें से कितन लोगों का इसके पूर्व का बकाया वेतन जी० पी० एफ० आदि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इनमें से एक सहायक विकास अधिकारी के अन्तर वेतन की धनराशि १९७० से जिला मिर्जापुर से ही बकाया है और उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो भुगतान न होने का कारण क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

केवल एक अधिकारी सेवा निवृत हुआ, जिसके द्वारा नियमानुसार समय से प्रार्थना-पत्र न देने के कारण जी० पी० एफ० का भुगतान अभी नहीं हुआ है । मिर्जापुर से सम्बन्धित उनके अन्तर वेतन के बिल पर महालेखाकार द्वारा आपत्ति लगाने के कारण अभी भुगतान नहीं हुआ है ।

*१६—श्री रमाशंकर कौशिक—

[५वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

इलाहाबाद के निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय में नियुक्त किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

*१७—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७५–१९७६ व १९७६–७७ में कार्यालय निबन्धन महानिरीक्षक, इलाहाबाद द्वारा ऐसे कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां चयन समिति व सेवायोजन के माध्यम से न करके अवैधानिक रूप से सीधे की गयी ? क्या सरकार स्थानापन्न, स्थायी, अस्थायी तथा अल्पकालिक पदों पर की गई नियुक्तियों को समाप्त कर चयन समिति तथा सेवा-योजन कार्यालय के माध्यम से करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

निबंधन महानिरीक्षक के कार्यालय में दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति १९७५–७६ में सीधी भर्ती द्वारा की गई थी परन्तु यह नियुक्तियां चयन समिति व सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से नहीं की गई थी । इनमें से एक व्यक्ति दस वर्ष से वाटरमैन था तथा दूसरा अवकाश रिक्ति में काम कर चुका था । चूंकि दोनों व्यक्ति पिछड़ जाति के हैं, अतः नियुक्तियों को अब रद्द करना न्याय संगत न होगा ।

*१८—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*१९—श्री ईश्वर प्रसाद—

[२८ मार्च, १९७८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३ के अन्तर्गत उत्तरित ।]

*२०—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[१२वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रयाग फार्म किच्छा, जिला नैनीताल का कोटखरा ग्राम की भूमि पर नाजायज कब्जा

*२१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रयोग फार्म किच्छा, जिला नैनीताल के पास इस समय कितनी भूमि लीज की है ? क्या यह सही है कि कुछ भूमि पर उनका नाजायज कब्जा है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर और वह नाजायज कब्जा किन कारणों से खाली नहीं कराया जा रहा है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

प्रयाग फार्म किच्छा, जिला नैनीताल के पास कुल २२,४२० बीघा १० बिस्वा भूमि लीज की है ।

उक्त फार्म का ग्राम कोटखरा में १९५ बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा था परन्तु अब उसे खाली करा लिया गया है ।

उक्त फार्म के विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही भी नियत प्राधिकारी, अलीगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रतापगढ़ जिले के कस्बा मानिकपुर के मल्लाही टोला में अग्निकाण्ड

*२२—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शासन को जानकारी है कि दिनांक २१ मई, १९७७ को जनपद प्रतापगढ़, कस्बा मानिकपुर के अन्तर्गत मुहल्ला पूरे अलीनकी के मल्लाही टोला में भीषण अग्निकांड के फलस्वरूप पूरा टोला जलकर राख हो गया ? यदि हां, तो इस अग्निकाण्ड के फलस्वरूप कितने घर व परिवार प्रभावित हुए ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जिला प्रतापगढ़ के टाउन एरिया गढ़ी मानिकपुर के मुहल्ला अली नकी के मल्लाही टोला में दिनांक २१ मई, १९७७ को नहीं वरन ३१ मई, १९७७ को अग्निकाण्ड हुआ था जिसके फलस्वरूप ३७ घर एवं ४३ परिवार प्रभावित हुए तथा लगभग ९८,२५० रु० की अनुमानित क्षति हुई ।

लखनऊ के बिक्रीकर विभाग के मुख्यालय के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*२३—श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित बिक्रीकर विभाग के मुख्यालय में १० वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी पद उपलब्ध होने पर भी अभी तक स्थायी नहीं किया गया जबकि कनिष्ठ कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

लखनऊ स्थित बिक्रीकर विभाग के मुख्यालय में १० वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत सभी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ।

*२४-२५—श्री जगन्नाथ प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

बांदा जिले के ग्राम लोघौरा के हरिजनों को भूमि का आवंटन एवं कब्जा

*२६—श्री राम सजीवन (जिला बांदा) तथा श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लोघौरा गांव, तहसील नौनी, जिला बांदा के भूमिहीन हरिजनों त्याग, सुरजा, छेदी लाल, कुशाली नथुवा, पंचा, गोरे लाल, बोड़डा आदि को उसी गांव में खेती की जमीनों के पट्टे दिए गए थे ? यदि हां, तो क्या उन जमीनों पर पट्टेदारों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत हरिजनों को पट्टे दिए गए थे तथा लेखपाल द्वारा आवंटित भूमि का सीमांकन करके औपचारिक कब्जा भी दे दिया गया था। कुछ नम्बरान के बारे में जिनका आवंटन किया गया है, धारा २२९-बी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत परगनाधिकारी के न्यायालय से वाद दायर कर दिया गया तथा आवंटियों को वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका। उक्त वाद अभी विचाराधीन है। जिलाधिकारी से विवादित भूमि के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२७—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[४थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

हरदोई के जिला मैजिस्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारियों की पेंशन व ग्रेच्युटी तथा बकाया वेतन

*२८—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मैजिस्ट्रेट कार्यालय, हरदोई में वर्ष १९६६ व १९६७ तक जो कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए उन कर्मचारियों की वेतनवृद्धि, जी० पी० एफ० तथा पेंशन की धनराशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है और इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं ? कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला कार्यालय हरदोई से वर्ष १९६६ व १९६७ तक सेवा निवृत्त हुए लिपिक श्री अली मुस्तफी के १७.५० रु० के बकाया वेतन तथा श्री बालक राम के पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। श्री मुस्तफी के बिल महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में प्रोआडिट हेतु विचाराधीन है। श्री बालक राम की पेंशन व ग्रेच्युटी महालेखाकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई थी। परन्तु श्री बालक राम द्वारा कुछ आपत्तियां किये जाने पर उनका मामला महालेखाकार को पुनः विचार हेतु भेजा गया है। सभी मामलों में महालेखाकार की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा। भुगतान किये जाने हेतु सभी अपेक्षित कार्यवाही की जाती रही है और विलम्ब के लिये कोई कर्मचारी/ अधिकारी दोषी नहीं है।

रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसाइटीज, कार्यालय, लखनऊ के लिपिक, श्री चन्द्र भाल श्रीवास्तव के भविष्य निधि का भुगतान

*२९—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सन् १९७५ में रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय के कुछ लेखा लिपिकों को अनिवार्य सेवा निवृत्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उनके भविष्य निधि का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

जी हां। केवल एक लेखा लिपिक, श्री चन्द्रभाल श्रीवास्तव को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था।

जी हां । श्री श्रीवास्तव को भविष्य निधि के मद में कुल ६,२६४ रु० देय था जिसमें से ६,१०८ रु० का भुगतान कर दिया गया है और शेष १५६ रु० के भुगतान हेतु कार्यवाही की गयी है ।

*३०--श्री कमला प्रसाद वर्मा, श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री रियासत हुसैन--

[दिनांक १४ अक्तूबर, १९७७ को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ द्वारा उत्तरित] ।

देवरिया जिले के विकास खण्ड विशुनपुरा के कतिपय ग्रामों में सूखा

*३१--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़ा विकास खण्ड विशुनपुरा (देवरिया जनपद) के ग्राम कंटी छपरा, जटहा, किन्नरपट्टी, विशुनपुरा, बबुइया, अरनहवां, चिरइहवा, माधी कोठिलवा, पकहा, पखवहां, सिंगा-पट्टी, घौरहरा, मनिधौरा, सुखुई बाजार में इस वर्ष खरीफ की फसल अस्सी प्रतिशत सूखा, अवर्षण, खैरा तथा झुलसा रोग से नष्ट हो गई ? यदि हां, तो इस क्षेत्र के गरीब किसानों को क्या राहत दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

देवरिया जिले की पडरौना तहसील के अन्तर्गत विकास खण्ड विशुनपुरा के इन गांवों में सूखे से फसल को ५० प्रतिशत से कम क्षति हुई थी । फसल पर खैरा तथा झुलसा रोग का कोई प्रभाव नहीं था । सूखा से फसल की क्षति अधिक नहीं थी इसलिए राहत कार्य या सहायता देन की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

*३२--श्री अवधेश नरायन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेकनिक, लखनऊ के यांत्रिक अभियंत्रण के विभागाध्यक्ष का स्थायीकरण

*३३--श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि हरिजन विभाग द्वारा संचालित गोविन्द बल्लभ पन्त पोलीटेक्निक, लखनऊ में विभागाध्यक्ष के पदों पर वर्तमान अधिकारियों को कब और कितने समय के लिए प्रोबेशन पर रखा गया था और क्या उनक प्रोबेशन की अवधि समाप्त हुए एक वर्ष छः महीने से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है किन्तु उक्त अधिकारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब सरकार उनके स्थायीकरण के आदेश कब तक जारी करेगी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)--

गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेकनिक में विभागाध्यक्ष के पदों पर किसी अधिकारी को प्रोबेशन पर नहीं रखा गया है ।

यांत्रिक अभियंत्रण के विभागाध्यक्ष के पद पर जिस अभ्यर्थी की अस्थायी नियुक्ति लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर की गई है उसके स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है ।

*३४—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

शाहजहांपुर, तहसील तिलहर के तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतों-पत्र की जांच

*३५—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के वर्तमान तहसीलदार के विरुद्ध मुकदमों का निर्णय बदल देने, फाइलों से नकलें गायब कर लेने तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें नवम्बर, सन् १९७७ में जिला-धिकारी शाहजहांपुर को विभिन्न लोगों द्वारा प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उनमें जांच हुई है और जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के वर्तमान तहसीलदार के विरुद्ध नवम्बर, सन् १९७७ में दो शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिन पर जांच की जा चुकी है । इस प्रारम्भिक जांच के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

इलाहाबाद के ग्राम लोकमनपुर के निवासियों का चकबन्दी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३६—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक २७ अगस्त, सन् १९७७ को ग्राम लोकमनपुर, जनपद इलाहाबाद की जनता का शिकायती-पत्र चकबन्दी में घोर अनियमितता के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय सदस्य द्वारा ग्राम लोकमनपुर के निवासियों का एक शिकायती-पत्र दिनांक १७ अगस्त, १९७७ चकबन्दी आयुक्त को उनके इलाहाबाद जनपद के दौरे के समय दिनांक २० अगस्त, १९७७ को दिया गया था ।

चकबन्दी आयुक्त ने शिकायतों की जांच कराई तथा पाई गई त्रुटियों के निराकरण के लिए सन्दर्भ बनाकर उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है ।

*३७—श्री रियासत हुसैन—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, लांगापोखरी, जिला देहरादून की अधीक्षिका, कुमारी अनीक्षो का प्रभारी अधिकारी, श्री बी० के० जैन के विरुद्ध लिखी गयी रिपोर्ट

*३८—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) तथा श्री चेतराम गंगवार—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय लांगा पोखराल, ऋषीकेश की अधीक्षिका,

कु० अनाक्षी ने गत नवम्बर महीने में समाज कल्याण अधिकारी श्री पी० के० जैन के विरुद्ध ऋषिकेश थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उक्त अधिकारी ने अधीक्षिका के घर पर नशे में चूर होकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करके बलात्कार करने की कोशिश की ? यदि हां, तो उस घटना के तथ्य क्या है ?

श्री राम सिंह--

आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, लांगापोखरी, जिला देहरादून की अधीक्षिका ने प्रभारी अधिकारी, हरिजन एवं समाज कल्याण, देहरादून के विरुद्ध अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट देहरादून कोतवाली में लिखाई है । घटना का विवरण* संलग्न है । इस मुकदमें की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है और दोषी पाए जाने पर अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

उन्नाव जिले की तहसील सफीपुर के कतिपय ग्रामों में गंगा नदी की बाढ़ का प्रभाव और बाढ़ग्रस्त भूमि पर सीमा विवाद

३९--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद के तहसील सफीपुर की लाखों एकड़ भूमि व सैकड़ों ग्राम गंगा नदी की बाढ़ के कारण जलमग्न हो जाते हैं और प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की धन व जन की क्षति उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बाढ़ से बचाव हेतु गहरपुरवा से लेकर राजेपुर होते हुए परियर तक बांध बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

यह सही नहीं है कि उन्नाव जनपद की तहसील सफीपुर की लाखों एकड़ भूमि गंगा नदी की बाढ़ से जलमग्न हो जाती है । यह अवश्य है कि लगभग प्रत्येक वर्ष तहसील सफीपुर के कटरी क्षेत्र का काफी भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जिससे उस क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती हैं तथा कई ग्राम प्रभावित होते हैं और फसल तथा मकानों को भी क्षति पहुचती है । इस बाढ़ से बचाव हेतु भरोन्दा ग्राम से परियर होते हुए बरुधना ग्राम तक बांध बनाने के लिए एक प्रारम्भिक योजना सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई है । गहर पुरवा से लेकर राजेपुर होते हुए भरोन्दा ग्राम तक सर्वेक्षण कराया जा रहा है । सर्वेक्षण के पश्चात् योजना बनाने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

*४०--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लगभग ७५ मीटर लम्बी व सात मील चौड़ी पट्टी में बसे किसानों में भूमि सीमा को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं और छोटे-छोटे किसानों की भूमि पर आतंकवादी व शोरेपुस्त लोग जबरन कब्जा कर लेते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन किसानों की समस्या के स्थायी समाधान हेतु उन्नाव जिले की प्रभावित तहसील सफीपुर का पुनः बन्दोबस्त कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जिला उन्नाव की तहसील सफीपुर, पुरवा तथा उन्नाव में लगभग ७५ मील लम्बी व ७ मील चौड़ी पट्टी है जिसमें क्रमशः ४१, ३१ तथा ४५ ग्राम गंगा नदी की बाढ़ से प्रायः प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं । बाढ़ के कारण सीमाद्योतक चिन्ह तथा मेड़ नष्ट हो जाते और कहीं-कहीं भूमि कट जाने से कुछ विवाद उत्पन्न होते

*(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०१ पर) ।

हैं जिनका निपटारा राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर कर दिया जाता है । यह सही नहीं है कि आतंकवादी लोग छोटे किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा कर लेते हैं । तहसील सफीपुर में पुनः बन्दोबस्त कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिक्री-कर की समाप्ति

*४१—श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की पूर्व घोषित नीति के सन्दर्भ में बिक्री-कर कब से समाप्त किया जा रहा है ? क्या इसके लिए कोई उप समिति भी गठित की गयी थी ? यदि हां, तो उसकी संस्तुति क्या है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

बिक्री-कर के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में कतिपय अर्थ-शास्त्रियों, व्यापार-संघों एवं अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है जिसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे विचार किया जायगा ।

बाराबंकी जिले के ग्राम मरौचा, गिदरापुर तथा छुरिया में भूमि का आवंटन

*४२—श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी, तहसील राम सनेही घाट, परगना बरियाबाद के ग्राम मरौचा, गिदरापुर तथा छुरिया में सन् १९७५ में कितनी भूमि आवंटित की गयी थी तथा उस आवंटित भूमि पर समस्त आवंटियों को कब्जा मिल गया ? क्या यह सही है कि उपरोक्त गांव की भूमि आवंटन सम्बन्धी फाइलें गायब हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम मरौचा, गिदरापुर तथा छुरिया, परगना बरियाबाद, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी में वर्ष १९७५ में १८१·४९ एकड़ भूमि आवंटित की गई थी तथा सभी २६६ आवंटियों को मौके पर कब्जा दिया जा चुका है । यह सही है कि उक्त ग्रामों की भूमि आवंटन सम्बन्धी पत्रावलियां कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय पर्यवेक्षक कानूनगो तथा लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है ।

कोषागारों एवं उप कोषागारों के कैश ब्रांच के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने सम्बन्धी उच्च न्यायालय का निर्णय

*४३—श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायमूर्तियों द्वारा ६ मार्च, १९६४ को कोषागारों और उप कोषागारों के कैश ब्रांच के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने के बावजूद उक्त निर्णय को कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री मधुकर दिघे—

सर्वोच्च न्यायालय ने तहवीलदारों को "राज्य के सेवक" होने का निर्णय दिया था जिसे कार्यान्वित करने के फलस्वरूप कैश शाखा के कर्मचारी राज्य के सेवक मान लिए गए हैं ।

नैनीताल जिले के ग्राम बराखेड़ा का टाउन एरिया में उच्चीकरण एवं भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*४४—श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि नैनीताल जिले में गदरपुर (बराखेड़ा) नामक उप नगर टाउन एरिया क्षेत्र घोषित हो जाने के बावजूद अभी तक राजस्व विभाग द्वारा भूमि स्थानीय निकाय को स्थानान्तरण न किए जाने के परिणामस्वरूप उपनगर में निर्मित मकानों के १५० से अधिक स्वामियों को उस भूमि की जिन पर उनके मकानात बने हुए हैं बेदखली के नोटिस दिए जाने से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त आवास गृहों के स्वामियों से लीज प्रीमियम लेकर उनका नियन्त्रीकरण करने पर विचार कर रही है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम बराखेड़ा राजस्व ग्राम है और यद्यपि यह क्षेत्र दिनांक १० दिसम्बर १९७१ को टाउन एरिया घोषित हुआ तथापि भूमि का हस्तान्तरण टाउन एरिया कमेटी गदरपुर को नहीं हुआ है । ऐसा करना अनिवार्य नहीं है । कई लोगों ने सरकारी भूमि पर बिना अनुमति कब्जा कर लिया था । इस कारण इनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा रही है जिससे कोई गम्भीर स्थिति पैदा नहीं हुई है । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जो अनधिकृत काबिज व्यक्ति नियत दर पर नजराना तथा कब्जे की तिथि से भू-कर देने को सहमत हों, उनके अवैध कब्जे को नियमित करने पर विचार किया जा सकता है ।

*४५—श्री चेतराम गंगवार—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

आडिट विभाग सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ के विभागाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४६—श्री कृष्णाराय (जिला देवरिया) तथा श्री राम आधार (जिला आजमगढ़)—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, १९७७ में आडिट विभाग सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के विभागाध्यक्ष के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मधुकर दिघे—

जी हां ।

शिकायतें निम्न प्रकार हैं :—

(१) उक्त विभागाध्यक्ष को दिनांक २ अक्तूबर, १९७२ को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के प्रिय पात्र होने के नाते कम उम्र में ही विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया । विभागाध्यक्ष का पद

प्रशासनिक है तथा एक ही स्थान पर उनको बनाए रखना शासन के हित में नहीं है ।

(२) उन्होंने कांग्रेस शासन में २० सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नसबन्दी कराई, जिसके फलस्वरूप स्वयं श्री हरी राम सिंह, लेखा परीक्षक, लखनऊ की व बहलिया के एक अन्य लेखा परीक्षक श्री जुबेद अहमद अन्सारी की पत्नी की मृत्यु हो गई ।

(३) उक्त विभागाध्यक्ष प्रतिवर्ष करीब कुल लेखा परीक्षक की संख्या का १/५ भाग स्थानान्तरित करते हैं जिस पर कि शासन को अनावश्यक व्यय भार वहन करना पड़ता है । इस प्रकार उनके द्वारा मितव्ययता हेतु प्रसारित शासनादेशों की अवहेलना की जाती है जोकि उनके अफसर-शाही का प्रतीक है ।

(४) उक्त विभागाध्यक्ष को इन कारणों से उक्त पद से स्थानान्तरित किया जाय ।

शिकायती-पत्र पर जांच की जा रही है ।

देवरिया जिले के ग्राम मलघोट बिरैचा के निवासियों का ए० सी० ओ० के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४७--श्री कृष्णा राय--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की तहसील देवरिया के मलघोट बिरैचा के सभापति और किसानों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र दिनांक २८ नवम्बर, १९७७ को प्राप्त हुआ है ? जिसमें वहां के ए० सी० ओ० के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितता की शिकायत है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां । इस सम्बन्ध में एक दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ । जांच कराने पर आरोप सिद्ध नहीं हुए अतः मामले में कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

खुली चाय पत्ती की बिक्री पर कथित सेल्स टैक्स की चोरी

*४८--श्री राम दत्त जोशी--

क्या वित्त मंत्री को यह जानकारी है कि प्रदेश में खुली चाय पत्ती जो बाजार में २० रु० से २५ रु० प्रति किलों के भाव से बिकती है उसकी बिक्री बहुत कम दामों पर दिखाकर सेल्स टैक्स की बड़े पैमाने पर चोरी की जाती है ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में विचार कर कार्यवाही करेगा ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

ऐसी कोई सूचना शासन को जानकारी में नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जिले की तहसील सादाबाद के कतिपय ग्रामों में जल निकासी

*४९—श्री हुक्म चन्द्र तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद की तहसील सादाबाद में गांव जगदीशपुर, वि नपुर, खानपुर खे रया, मनोहरपुर की खेती योग्य भूमि में ३० दिसम्बर, १९७७ तक कितने एकड़ कितने खातेदारों की भूमि में वर्षा का पानी भरा हुआ है तथा यहां के किसानों ने कितने प्रार्थना-पत्र पानी निकालने हेतु दिए तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि पानी निकालने की कार्यवाही ३० दिसम्बर, १९७७ तक नहीं हुई, तो उसका क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला मथुरा की तहसील सादाबाद में ग्राम खानपुर को छोड़कर अन्य ग्रामों जगदीशपुर, खैरिया, मनोहरपुर की कृषि योग्य भूमि में ३०-१२-७७ तक ३४ खातेदारों की ८५ एकड़ क्षेत्रफल की भूमि पर पानी अवशेष रह गया था ।

सम्बन्धित ग्रामों के कृषकों से चार प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये । जल निकासी के लिये रिग्स डिवीजन तथा जल निगम के माध्यम से कार्यवाही कराई गई । जल निगम द्वारा इन ग्रामों से पानी निकासी का कार्य २८-१०-७७ से चालू कर दिया गया था । अवशेष जल एक तालाब के रूप में था जिसमें प्रतिवर्ष पानी अवशेष रह जाता है । इसके चारों ओर की भूमि ऊंची होने के कारण समस्त जल की निकासी ३०-१२-७७ तक सम्भव न हो सकी ।

बरेली जिले के ग्राम रिछौला ताराचन्द में श्रीमती गोमती की भूमि का हरिजनों को आवंटन

*५०—श्री चेतराम गंगवार—

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि जिला बरेली की तहसील नवाबगंज ग्राम चन्दुआ चमरौआ व रिछोला ताराचन्द में श्रीमती गोमती आदि कई कृषकों भूमि, जो ग्राम समाज की घोषित हो गई थी, को भूमिहीनों में न बांट कर किस एक व्यक्ति को दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम चन्दौआ चमरौआ में श्रीमती गोमती विधवा मोती की भूमि ग्राम समाज भूमि घोषित हुई थी जो बाद में धारा २२९-बी० के मुकदमें में परगना-अधिकारी, नवाबगंज के न्यायिक आदेश दिनांक ३१ जनवरी, १९७८ के अन्तर्गत वादी डा० हरद्वारी लाल गंगवार की भूमि घोषित की गयी । इसे पट्टे पर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(२) ग्राम रिछौला ताराचन्द में श्रीमती गोमती विधवा नरायनदास की भूमि ग्राम समाज भूमि घोषित हुई थी जो ४ भूमिहीन हरिजन व्यक्तियों को १५-१५ बिस्वा आवंटित कर दी गई तथा शेष ०-६-१० सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ दी गई ।

राजकीय नारी संरक्षण गृह, आगरा की लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार

*५१—श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राजकीय नारी संरक्षण गृह, आगरा में रहने वाली लड़कियों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार हो रहा है जिसके कारण कुछ लड़कियां पागल हो गई

है, कुछ भिन्न-भिन्न रोग से ग्रस्त है और कुछ की चिकित्सा के अभाव में मृत्यु भी हो गई है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त संरक्षण गृह के सम्बन्ध में ता० २५ अगस्त, १९७७ को राजकीय नारी संरक्षण गृह, आगरा की चेयरमन ने भी एक शिकायती-पत्र समाज कल्याण मंत्री जी को लिखा है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम सिंह--

जी नहीं । यह सही है कि कथित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था । जांच से पूर्व तत्कालीन अधीक्षिका का स्थानान्तरण कर दिया गया । मामले की जांच करायी गई तथा आरोप निराधार पाये गए ।

अतारांकित प्रश्न

नानक सागर बांध टूटने पर जनपद पीलीभीत में पीड़ितों को दी गयी सहायता

१--श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नानक सागर बांध टूटने पर जो सहायता पीलीभीत जनपद के पीड़ितों को दी गयी थी उसका सही इस्तेमाल न होने पर सरकार द्वारा विजिलेन्स विभाग से कोई जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताएगी कि उस जांच की आख्या क्या थी और सरकार ने उस आख्या पर क्या कार्यवाही की ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

नानक सागर बांध टूटने पर पीलीभीत जनपद के पीड़ितों को दी गई सहायता के सही इस्तेमाल न होने पर सरकार द्वारा बिजिलेंस विभाग से कोई जांच नहीं कराई गई थी । प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा एवं झांसी जिले में अति वृष्टि से मृतकों के परिवार को दी गयी सहायता

२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दिनांक १२ सितम्बर, १९७७ को आगरा तथा झांसी में मूसलाधार वर्षा के कारण अनेक मकान ढह गए तथा लगभग २ दर्जन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो मकान ढहने, व्यक्तियों के मरने एवं घायल होने का सम्पूर्ण विवरण क्या है तथा आहतों को क्या आर्थिक क्षतिपूर्ति दी गई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

दिनांक १२ सितम्बर, १९७७ को आगरा में ६६.९ मि० मी० वर्षा हुई । इस वर्षा के कारण लगभग १९८९ मकान पूर्ण रूप से तथा ७७१३ मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये । इस वर्षा के कारण मकान गिरने से ४ बच्चों, २ औरतों और एक आदमी की मृत्यु हो गयी । ४ व्यक्ति घायल हुए जिनका उपचार अस्पताल में किया गया । उपर्युक्त मृत्यु से ४ परिवार प्रभावित हुये जिनमें से २ परिवारों को प्रत्येक को १०० रुपये अहेतुक सहायता तथा प्रत्येक को २०० रुपये

मुख्य मंत्री कोष से प्रदान किये गये । एक परिवार को ५० रुपया अहेतुक सहायता प्रदान की गयी तथा एक परिवार, जिसका एक व्यक्ति मरा था, की आर्थिक स्थिति खराब न होने के कारण उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी ।

२--झांसी में दिनांक १२ सितम्बर, १९७७ को ३५·० मि० मी० वर्षा हुई किन्तु इस तारीख को न तो कोई मकान गिरा और न ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई । इसलिए किसी क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

पड़रौना तहसील के मुख्यालय का जीर्ण-शीर्ण भवन और पानी का जमाव एवं अभिलेखों की सुरक्षा

३--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि पड़रौना तहसील के मुख्यालय का भवन १९०६ में निर्मित हुआ था तथा वाटर लागिंग क्षेत्र होने के कारण भवन जीर्ण-शीर्ण व क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या तहसील मुख्यालय के भवन का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करा दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

१९०६ में प्रश्नगत तहसील के मुख्य भवन में ३ कमरे व तहसीलदार का आवास निर्मित कराकर विस्तार किया गया था, शेष भवन इसके पूर्व का निर्मित है ।

उक्त तहसील भवन के नव-निर्माण के लिए आगणन व प्लान बनाने के निर्देश दे दिये हैं ।

४--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या राजस्व मंत्री को यह भी जानकारी है कि तहसील मुख्यालय का भूमि स्तर (लैन्ड लेविल) तथा सड़क का लेविल समान स्तर पर होने के कारण बाढ़ के समय कभी भी पानी के जमाव अथवा भवन के धराशायी होने से जनजीवन के खतरे में पड़ने के साथ-साथ अभिलेखों के नष्ट होने की भी आशंका उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

अधिक वर्षा के समय प्रश्नगत तहसील के अहाते में पानी भर जाता है किन्तु इससे भवन के गिरने अथवा अभिलेखों के नष्ट होने की कोई आशंका नहीं रहती ।

रजिस्ट्रार, सोसाइटीज लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

५--श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि वर्तमान रजिस्ट्रार सोसायटी, लखनऊ के विरुद्ध शासन के किस विभाग में प्राप्त श्री एस० के० अस्थाना के शिकायती-पत्र दिनांक ५ जुलाई, १९७६ तथा अनुस्मारक दिनांक ५ अक्तूबर, १९७६ पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे--

प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर जांच की गयी और रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

सहायक बिक्री-कर अधिकारियों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का आरक्षण

६--श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष १९७५-७६ के कितने सहायक बिक्री-कर अधिकारियों की पदोन्नति की गयी ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के अधिकारियों की पदोन्नति की गई ? क्या पदोन्नति में आरक्षण का ध्यान रखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

वर्ष १९७५-७६ में विज्ञप्ति सं० बि० क०-१७४९०/दस, दिनांक १८ नवम्बर, १९७५ द्वारा ४८ सहायक विक्रीकर अधिकारियों को बिक्रीकर अधिकारी के पदों पर तदर्थ स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया था। इनमें से ६ अनुसूचित जाति के सहायक विक्रीकर अधिकारी थे। पदोन्नतियां करते समय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का ध्यान रखा गया था। आरक्षण के अनुसार ६ अनुसूचित जाति के अधिकारियों को विक्रीकर अधिकारी के पदों पर पदोन्नति मिलनी चाहिये थी परन्तु उस समय वर्ष १९६९ के बैच से पहले के अनुसूचित जाति के केवल ६ उपयुक्त अधिकारी ही उपलब्ध थे, अतः उन्हें पदोन्नति दे दी गई और यह निर्णय लिया गया कि इस कमी को आगे होने वाली पदोन्नतियों के समय पूरा कर लिया जायगा। उक्त कमी को विज्ञप्ति संख्या बि० क०-१-६९३४/दस--२९३/७५, दिनांक १४ मार्च, १९७८ द्वारा सहायक विक्रीकर अधिकारियों में से बिक्रीकर अधिकारी के पद पर तदर्थ स्थानापन्न रूप से की गई पदोन्नतियों से पूरा कर दिया गया है।

७--श्री राम सजीवन--

[१ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत उत्तरित]।

प्रदेश की तहसीलों में शीतल पेय जल हेतु जल शीतक (कूलर) की खरीद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

८--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी तहसीलों में शीतल पेय जल की व्यवस्था हेतु गत पांच वर्षों में कूलर लगवाए गए? उनमें कितने आज कल कार्यरत हैं ? यह कूलर कितने मूल्य के खरीदे गए और किस माध्यम से क्रय किए गए ? क्या शासन को इस खरीद में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

प्रदेश में २० तहसीलों में शीतल पेय जल की व्यवस्था हेतु गत पांच वर्षों म जल शीतक लगवाए गए। उनमें से ७ कार्यरत हैं। ये रु० ५,४९६.२२ प्रति कूलर की दर से मेसर्स बोल्टाज लिमिटेड, हजरतगंज, लखनऊ से क्रय किए गए थे। इस खरीद के सम्बन्ध में शासन को भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर सतर्कता जांच कराई गई थी। जांच से खरीदारी में कदाशय या भ्रष्टाचार प्रमाणित नहीं हुआ।

दैवी आपदाओं के फलस्वरूप मृतकों के आश्रितों को दी गई सहायता

९—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

बाढ़ एवं नदियों से कटान तथा सूखे की स्थिति पर उनके द्वारा विधान सभा में दिए गए वक्तव्य (१३ सितम्बर, १९७७) में जिन १२६ व्यक्तियों के मृत हो जाने की सूचना दी गई है, क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मृतकों के आश्रितों को कोई विशेष आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को अहेतुक सहायता देने का प्राविधान है इस सहायता की उच्चतम सीमा १०० रु० है इस सहायता के पात्र सर्वथा असहाय परिवार अथवा विवेकानुसार एक एकड़ से कम जोत वाले काश्तकार हो सकते हैं। ऐसे परिवार जिनका कोई ऐसा सदस्य है, आपदा के कारण मर जाता है जो परिवार का भरण पोषण करता हो तो उसे कलेक्टर अपने विवेक के अनुसार १,००० रु० तक अहेतुक सहायता दे सकते हैं इसके अतिरिक्त दुखद मामलों तथा विशेष परिस्थितियों में मुख्य मंत्री जी के सहायता कोष तथा दैवी आपदा कोष से भी सहायता दी जाती है। बाढ़ एवं नदियों के कटाव तथा सूख से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य दिनांक १३-९-७७ में जिन १२६ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की सूचना दी गयी थी उनमें से सामान्य अहेतुक सहायता के अतिरिक्त जिन्हें विशेष आर्थिक सहायता दी गई उसका जिलेवार विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम-संख्या	जिला	मृतकों की संख्या जिनके आश्रित को विशेष सहायता दी गई	दी गई धनराशि	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१	मथुरा	८	२,२००	..
२	एटा	५	२,०००	..
३	बस्ती	२	१,३००	दैवी आपदा कोष से।
४	बुलन्दशहर	३ तथा ४ घायल लोगों को	४,२००	मुख्य मंत्री सहायता कोष से।
५	मुजफ्फरनगर	२	१,०००	..
६	पिथौरागढ़	४४	१,१०,०००	मुख्य मंत्री सहायता कोष से।
			५,०००	जिला आपदा कोष से।
७	देहरादून	६	२,००० (प्रत्येक परिवार)	मुख्य मंत्री सहायता कोष से।
			१,००० (प्रत्येक परिवार)	अहेतुक सहायता।

बस्ती जिले में घाघरा के कटाव व बाढ़ से क्षति

१०—श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में जून, १९७७ से अक्तूबर, १९७७ तक घाघरा के कटान व बाढ़ एवं सूखा से कितने करोड़ की किस-किस प्रकार की कितने रुपय की हानि हुई है तथा कितने रुपए की कुल सहायता बस्ती जिले के बाढ़ व सूखा तथा घाघरा के कटान के लोगों को दी गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

बस्ती जिले में जून, १९७७ से अक्तूबर, १९७७ तक घाघरा नदी के कटान व बाढ़ से ३१३ मकान क्षतिग्रस्त हुये जिनका अनुमानित मूल्य १,८७,००० रु० है। सार्वजनिक सम्पत्ति, सड़क, बांध, रेगुलेटर पुल, रेलवे लाइन आदि को लगभग ८,६५,००० रु० की क्षति हुई। सूखे का प्रभाव केवल कृषि क्षेत्रफल पर ही पड़ा, अतः बाढ़ कटान एवं सूखे के फलस्वरूप फसलों को अनुमानतः २६.५४ करोड़ रुपये की क्षति हुई।

सहायता कार्यों के लिए ७०,००० रु० निःशुल्क सहायता ६०,००० रु०, गृह निर्माण अनुदान ५९,००० रु० विशेष सहायता, १५,००,००० रु० टेस्ट वर्क तथा २५,७०,००० रु० तकावी मद में जिले को आवंटित किया गया।

एक एकड़ तक की जोत वाले कृषकों को गेहूं के बीज व उर्वरक निःशुल्क वितरित किया गया। मुख्य मंत्री जी के कोष से १२,००० रु० सहायतार्थ दिया गया। इसके अतिरिक्त समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है।

११—१२--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]।

देवरिया जिले के ग्राम नरकहवा में भूमि का आवंटन और श्री सीताराम हरिजन का शिकायती-पत्र

१३—श्री श्रीनारायण --

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के कानूनगो सर्किल, खड्डा, ग्राम नरकहवा में कितनी बंजर तथा सीलिंग की भूमि इस समय उपलब्ध है और उसका वितरण किन कारणों से अब तक भूमिहीनों में नहीं किया गया है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

देवरिया जिले के कानूनगो सर्किल खड्डा के ग्राम नरकहवा में गांव सभा की ८.९५ एकड़ तथा सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित ११.७१ एकड़ भूमि उपलब्ध थी। गांव सभा की ८.९५ एकड़ भूमि का आवंटन दिनांक ११-१-७६ को १८ पात्र व्यक्तियों तथा सीलिंग की ११.७१ एकड़ भूमि का आवंटन दिनांक ७-५-७७, २८-५-७७ तथा २१-१२-७७ को ३८ पात्र व्यक्तियों को कर दिया गया है।

१४—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम नरकहवा के हरिजन कार्यकर्त्ता, श्री सीताराम हरिजन ने माह अक्तूबर, सन् १९७७ में जिलाधिकारी, देवरिया, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में शिकायती आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। श्री सीताराम हरिजन के प्रार्थना-पत्र दिनांक १४-१-७७ के सम्बन्ध में जांच कराने पर उसमें लगाये गये आरोप निराधार पाए गए।

प्रतापगढ़ जिले की सदर तहसील में चलाये गए "११५-सी" के मुकदमे

१५—श्री संगम लाल—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद प्रतापगढ़ की सदर तहसील में वर्ष १९७६-७७ में दफा ११५-सी के कुल कितने मुकदमे चलाये गए और उनमें क्या निर्णय हुए ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील सदर में वर्ष १९७६-७७ में दफा ११५-सी के ४५४ मुकदमे चलाये गए थे जिनमें ४३६ मुकदमों में निर्णय हो चुका है। उनके निर्णय के विवरण निम्नलिखित हैं :—

१—बेदखल किए गए ..	२०१
२—अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने के कारण नोटिस वापस की गई	२३
३—पिछड़ी-जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध होने के कारण वादों का स्थगन	९४
४—प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर नोटिस वापस की गई	११
५—अन्य न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने के कारण मुकदमें स्थगित किए गए	७
६—स्वत्व अधिकार का मामला निहित होने के कारण मुकदमे स्थगित किए गए	१२
७—अनधिकृत कब्जा सिद्ध न होने तथा सम्बन्धित भूमि से कब्जा हटा लिए जाने के कारण नोटिस वापस	८८
योग ..	४३६

आजमगढ़ जिले के ग्राम हरई इस्माइलपुर के श्री प्रभुनाथ हरिजन का चकबन्दी सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

१६—श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी स्थित ग्राम हरई इस्माइलपुर के प्रभुनाथ आदि हरिजनों ने चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को चकबन्दी सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन-पत्र दिनांक १३ जुलाई, १९७७ को दिया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां। प्रार्थना-पत्र की जांच कराई गई। हरिजनों को सुविधाएं दिए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

बहराइच जिले के ग्राम गैनडीह के निवासियों द्वारा भूमि आवंटन सम्बन्धी लेखपाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

१७--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९७७ व नवम्बर, १९७७ में श्री गुरु प्रसाद व नागेश्वर व गोबरे आदि निवासी, ग्राम गैनडीह, परगना इकौना तहसील भिनगा, जिला बहराइच ने मौजा सोनौड़ा तराई व पंडित पुरवा व बलनपुर बसन्तपुर के हल्का लेखपाल के विरुद्ध भूमि आवंटन व नम्बरान में गड़बड़ी करने के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को दिया ? यदि हां, तो उन शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच कब और किसके द्वारा की गई तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा -

जी हां। शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच दिनांक १९ मार्च, १९७८ को सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा कराई गई। साक्ष्य के अभाव में सम्बन्धित लेखपाल के विरुद्ध आरोप सिद्ध न हो सका। सीलिंग की भूमि के पट्टों के सम्बन्ध में स्थिति यह पायी गयी है कि आवेदकगण ग्राम गनडीह के निवासी हैं जबकि उक्त मामलों से सम्बन्धित भूमि ग्राम सनौढ़ा तराई में स्थित है, अतः नियमानुसार उनको आबंटन सम्भव नहीं है।

बलिया जिले के माल के न्यायालयों में लम्बित मुकदमे

१८--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार बताएगी कि बलिया जनपद के माल न्यायालयों में बहुत से ऐसे वाद अनिर्णीत पड़े हैं, जिनकी अवधि दाखिला से १५ नवम्बर, सन् १९७७ तक ३ वर्ष समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्यों और कितने ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

बलिया जनपद के माल न्यायालयों में कोई भी वाद तीन वर्ष से ऊपर की अवधि का अनिर्णित नहीं है।

गोरखपुर जिले की सदर तहसील के कतिपय ग्रामों में हरिजनों को भूमि का पट्टा एवं कब्जा

१९-श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भैंरही नरेश, करना मांझ, परसौनी तथा मल्लोपिपरा, परगना हवेली, सदर गोरखपुर में आबादी तथा खेती हेतु पचसों पट्टे दिसम्बर, सन् १९७६ तक हरिजनों को दिए गये हैं और उन पर कब्जा नहीं होने दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त गांवों के हरिजनों ने अगस्त, १९७७ तक जिलाधीश, गोरखपुर तथा दूसरे अधिकारियों को बहुत से प्रार्थना-पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

गोरखपुर जिले की सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम भैंसही नरेश, करनामाझा, परसौनी तथा पिपरामझो में आबादी तथा खेती हेतु कुल ७० पट्टे दिये गये हैं। समस्त आवंटित भूमि पर आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है। हरिजनों द्वारा जब-जब जिलाधिकारी, गोरखपुर व अन्य अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तब-तब उन पर समुचित कार्यवाही की गई तथा मौके की जांच करा कर आवंटित भूमि पर उनको कब्जा दिलाया जाता रहा। इस समय सभी आवंटित भूमि पर हरिजनों का कब्जा हो चुका है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। खेती वाली भूमि पर वे खेती कर रहे हैं तथा आबादी स्थल पर भी काबिज हैं और अधिकांश हरिजनों ने आवंटित भूमि पर अपनी झोपड़ियां डाल ली हैं।

संस्थागत वित्त निदेशालय से श्री उमाशंकर श्रीवास्तव, आलेखक प्रालेखक की पैत्रिक विभाग में वापसी

२०-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संस्थागत वित्त निदेशालय के सेवा निवृत्त एक आलेखक प्रालेखक (श्री उमाशंकर श्रीवास्तव) का जुलाई, १९७७ में कोई इस आशय का शिकायती-पत्र मिला कि आपात्कालीन स्थिति के दौरान अकारण उन्हें सेवा-निवृत्त कर दिया गया ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

श्री उमा शंकर श्रीवास्तव नामक किसी आलेखक प्रालेखक को संस्थागत वित्त निदेशालय से कभी सेवा-निवृत्त किया ही नहीं गया। बल्कि एक उमा शंकर श्रीवास्तव आलेखक प्रालेखक को प्रशासनिक आधार पर उन्हें उनके पैत्रिक विभाग में ३१-३-७७ को वापस भेज दिया गया था। उनका इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदन जुलाई, १९७७ में प्राप्त हुआ था जिसे शासन ने स्वीकार नहीं किया।

वाराणसी जिले के गांव सभा टिकइतपुर के अन्तर्गत भूमि का आवंटन एवं पट्टे का निरसन

२१---श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा टिकईतपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के सभापति ने गांव समाज की काफी जमीन को गांव के भूमिहीन हरिजनों को सन् १९६४ तथा सन् १९६५ में पट्टा दिया था ? यदि हां, तो किन-किन लोगों को कितना पट्टा दिया गया था और क्या यह सत्य है कि परगनाधीश, ज्ञानपुर, वाराणसी ने रामचन्दर, प्रहलाद, राजबहादुर व दुर्गविजय, श्यामलाल व सूर्यवली का पट्टा क्रमशः ता० १ फरवरी, १९६९, १ मार्च १९६९, २६ अप्रैल, १९६९ व ४ जुलाई, १९६९ को रद्द कर दिया ? क्या इस सम्बन्ध में ग्राम सभा प्रधान ने परगनाधीश, ज्ञानपुर को १४ अक्तूबर, १९७७ को प्रार्थना-पत्र दिया है कि पुनः आवंटन की कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारद भक्त सिंह---

वर्ष १९६४ व १९६५ में गांव सभा टिकईतपुर में हरिजनों को तथा अन्य जाति के लोगों को भूमि आवंटित की गई थी। ग्राम सभा टिकईतपुर में तीन ग्राम (१) टिकईतपुर (२) कछुआ बोझ तथा (३) हड़हीवारी सम्मिलित हैं। तीनों ग्रामों में जिन-जिन व्यक्तियों

[श्री शारदा भक्त सिंह---]

को पट्टा दिया गया था उसकी सूची किये गये पट्टे के क्षेत्रफल सहित सदन की मेज पर रख दी है। वर्ष १९६४ व ६५ में ११३ पट्टे दे कर १३० बीघा १२ बिस्वा २ धूर भूमि का आवंटन किया गया था।

असिस्टेन्ट कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, वाराणसी द्वारा निम्नांकित लोगों का पट्टा निरस्त किया गया है :

(१) राम चन्दर पुत्र भवानीभीख, वाद संख्या ३९४/१९६९, तारीख फैसला १-२-१९६९।

(२) प्रहलाद पुत्र राम नरेश, वाद संख्या ३९५/१९६९, तारीख फैसला १-३-१९६९।

(३) राज बहादुर पुत्र शिव दरसन, दुर्गविजय पुत्र कमला, बाद संख्य २९३/१९६९, तारीख फैसला २६-४-१९६९।

(४) श्याम लाल पुत्र बली व सूर्यबली पुत्र सालिक वाद संख्या-२५८/१९६९, तारीख फैसला ४-७-१९६९।

ग्राम सभा प्रधान ने दिनांक १४-१०-१९७७ को परगनाधीश, ज्ञानपुर के यहां आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था। उसके पश्चात् दिनांक २५-१२-१९७७ को ७९ व्यक्तियों को कुल ७५ बीघा ४ बिस्वा ४ धुर भूमि का आवंटन किया गया जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

बहराइच जिले की गांव-सभा लक्ष्मनपुर व गोडपुरवा के अन्तर्गत भूमि का अवैधानिक पट्टा

२२-श्री कमला प्रसाद वर्मा--

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७७ के दिनांकित ७ अक्तूबर, १९७७ के नत्थी (ङ) से अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा लक्ष्मनपुर गोडपुरवा, परगना इकौना, जिला बहराइच में सात व्यक्तियों को दिए गए ११·२४० एकड़ भूमि के अवैधानिक पट्टे किन-किन तथा कहां-कहां के व्यक्तियों को दिये गए थे और दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

गांव सभा लक्ष्मनपुर गोडपुरवा, परगना इकौना, जिला बहराइच में संलग्न सूची† में दर्शाए गए ७ व्यक्तियों को ११·२४० एकड़ भूमि के पट्टे किए गए थे। पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही धारा १९८(४) यू० पी० जेड० एल० आर० ऐक्ट के अन्तर्गत की जा रही है।

उक्त ग्राम चकबन्दी क्षेत्र के अन्तर्गत है। क्षेत्र से सम्बन्धित सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के साथ ही साथ इस ग्राम में अनियमित पट्टों की जांच भी उप संचालक (चकबन्द) गोंडा द्वारा की गई जिन्होंने अपनी जांच आख्या चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र०, लखनऊ को प्रेषित की जिसमें उन्होंने सहायक चकबन्दी अधिकारी को दोषी बताते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए संस्तुति की। चकबन्दी कार्य से सम्बन्धित अनियमितताओं को उ० प्र० जोत

†छापी नहीं गयी।

चकबन्दी अधिनियम की धारा ४८ के अन्तर्गत आदेश प्राप्त करके ठीक करने तथा इन आदेशों के आधार पर विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है। अतः धारा ४८ उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम तथा धारा १३८(४) उ० प्र० जमींदारी-विनाश अधिनियम के वादों में सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा आदेश हो जाने के पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

जिला सहकारी बैंक, बस्ती में सात लाख रुपये के गबन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)---

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं जिला सहकारी बैंक, बस्ती के लगभग ७ लाख के गबन की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला सहकारी बैंक, बस्ती में लगभग ७ लाख रुपये का गबन दो आडिटर श्री सुदामा लाल श्रीवास्तव एवं श्री इन्द्रजीत आडिटर ने पकड़ा जिसकी लिखित सूचना श्री कृपा शंकर तिवारी, क्षेत्रीय लेखा परीक्षण अधिकारी, गोरखपुर को २८-१-७८ को ७२ हजार रुपये तथा १ मार्च, १९७८ को पांच लाख छप्पन हजार को दी। परन्तु क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी ने इन दोनों रिपोर्ट्स पर कोई कार्यवाही न करके बल्कि गबन पकड़ने वाले दोनों लेखा परीक्षकों को हटा कर अपने दो खास विश्वास-पात्र आडीटर श्री परशुराम पाण्डेय और श्री राम लौट पाण्डेय को पुनः आडिट करने के लिये भेज दिया है। लेखा परीक्षक बैंक में ठहरे हुए हैं, सहकारी बैंक, बस्ती के अधिकारी खिला-पिला कर इस घपले के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं।

क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री तिवारी जी के पुत्र श्री अखिलेश तिवारी 'चन्द्रा ट्रेडिंग कम्पनी' के नाम से डायरी एवं कलेन्डर का व्यापार कराते हैं। सहकारी बैंकों के माध्यम से यह कम्पनी प्रति वर्ष लाखों रुपया कमाती है। बस्ती बैंक ने इस कम्पनी को हजारों रुपया देकर श्री अखिलेश तिवारी को प्रसन्न कर लिया है, उन्होंने अपने पिता के ऊपर दबाव डाल कर जिला सहकारी बैंक, बस्ती के घपलों पर पर्दा डलवा रहे हैं। जिससे जनता में व्यापक चिन्ता है। लोग सहकारी बैंक, बस्ती से अपना धन निकाल कर अन्य बैंकों में जमा कर रहे हैं। नये खाते खोलने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। यह एक दुखद घटना है।

अस्तु; मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस घटना की सूचना सरकार को देना चाहता हूं तथा अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।

फैजाबाद मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत), श्री मोहम्मद याहिया कुरेशी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)---

मान्यवर, फैजाबाद मंडल के अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) श्री मो० याहिया कुरेशी के भ्रष्टाचार एवं तानाशाही के विरुद्ध हाइड्रोइलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में बिजली कर्मचारी महीनों से प्रदर्शन, अनशन आदि द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश---]

आन्दोलन कर रहे हैं किन्तु शासन अब तक उपेक्षा करता रहा है और कुरेशी के भ्रष्टाचार की जांच कराने की कौन कहे मजदूरों को दमन से दबाया जा रहा है। कुरेशी के विरुद्ध आन्दोलन में कल ५-४-७८ को १४ बिजली कर्मचारियों के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूरे मंडल के बिजली कर्मचारियों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है। अगले दो-एक दिनों में कोई भी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। शासन को तत्काल श्री कुरेशी के भ्रष्टाचार की जांच करा कर मजदूरों के साथ न्याय करना चाहिये।

थानाध्यक्ष, कमालगंज, फर्रुखाबाद द्वारा एक स्थानीय डाक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)---

मान्यवर, दिनांक ४ अप्रैल, १९७८ को कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद के थानाध्यक्ष ने स्थानीय एक प्रतिष्ठित एम० बी० बी० एस० डाक्टर को प्रातः ११ बजे एक सिपाही भेज कर थाने के किसी मरीज को देखने के लिये बुलाया। डाक्टर उस समय गम्भीर रोगियों के उपचार में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। यह सूचना सिपाही ने थानाध्यक्ष को जा कर दी। इस पर थानाध्यक्ष आग बबूला हो कर अपने थाने के दरोगा से बोला जाओ तीन सिपाही ले कर और उसे अभी पकड़ कर मारते हुए लाओ। दरोगा तीन सिपाहियों के साथ तुरन्त डाक्टर की क्लीनिक पर गया और डाक्टर को मारते, गाली गलौज और धक्का देते हुए थाने में ले आया। थानाध्यक्ष ने थाने में लाकर अभद्र व्यवहार ही नहीं किया बल्कि पूरे थाने व जनता के बीच मारपीट भी की तथा लगभग दो घंटे तक धूप में खड़ा रखा। इस घटना से सारे क्षेत्र में उत्तेजना फैल गई है और शांति व्यवस्था को संकट पैदा हो रहा है, स्थिति विस्फोटक बन गयी है। थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने के कारण शासन के प्रति भी असंतोष फैल रहा है। अस्तु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर माननीय मुख्य मन्त्री जी से वक्तव्य और चर्चा की मांग करता हूं।

थाना डलमऊ, जिला रायबरेली की पुलिस द्वारा ग्राम जलालपुर घई के निवासियों को मारने-पीटने तथा जेल में बन्द किए जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला राय बरेली)---

माननीय अध्यक्ष जी, राय बरेली जिले के थाना डलमऊ में जलालपुर घई ग्राम में ४० व्यक्तियों से अधिक लोगों को मारने-पीटने तथा ३१ मार्च, १९७८ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की सूचना मिली है। इन पर पुलिस ने धारा १०७/११७ आदि लगाई गई, पुलिस के अत्याचार व भ्रष्टाचार के विरोध में वहां पर कुछ दिन हुये एक मीटिंग की गई थी। इसी कारण बदले की भावना से पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा, मारा और मुहम्मद जब्बार व सईद तथा अन्य कई ऐसे लोगों को पकड़ा जो कालेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनकी परीक्षायें ११ अप्रैल से होने जा रही हैं, सभी गिरफ्तार किये गये लोग मुसलमान हैं। छोटे बच्चों को भी पकड़ा गया है, वहां के लोग आतंकित व भयभीत हैं, जन-जीवन अस्त-व्यस्त है, लोग गांव छोड़ कर भागे हुये हैं, पकड़े गये लोगों से परगनाधिकारी, डलमऊ ने प्रति व्यक्ति १० हजार के जमानत मुचलके की मांग की है, परगनाधिकारी से भी लोगों को न्याय मिलने की आशा नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थाना डलमऊ, जिला रायबरेली की पुलिस द्वारा ग्राम जलालपुर घई के २१३ निवासियों को मारने-पीटने तथा जेल में बन्द किए जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रकार के अत्याचारों को बन्द करावें ऐसे अत्याचार ब्रिटिश काल में भी नहीं होते थे और जांच कर अत्याचार करने वाले कर्मचारियों को दंडित करावें ।

मथुरा में उत्तम होटल के मालिक के पुत्र श्री मोहन व शिव कुमार की हत्या से जनपद में आतंक के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक १९ मार्च, १९७८ की रात को ११-१५ बजे मथुरा के प्रसिद्ध उत्तम होटल के मालिक के पुत्र श्री मोहन व श्री शिव कुमार जब अपना होटल बन्द करके अपने घर आ रहे थे तो बीच रास्ते में बंसल टेन्ट हाउस के निकट सफेद एम्बेसडर कार से तीन व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया और उपरोक्त दोनों भाइयों को जान से मार डाला । एक छोटे लड़के तुलसी को लगभग ३० छर्रे लगे, इस घटना से सारे जिले में एकदम तहलका मच गया, तत्काल नामजद रिपोर्ट हुई, मुल्जिम फरार हो गये हैं और इस ताक में हैं कि बचे हुये परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दें । सारे जिले में इस घटना से भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है । मथुरा शहर में रात को लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है । अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्यवाही के लिये ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

बलिया में उत्तर प्रदेश व बिहार सीमा विवादग्रस्त क्षेत्र में रबी की फसल की कटाई से उत्पन्न स्थिति तथा सुरक्षात्मक कार्यवाही की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से नियम ३०१ के अन्तर्गत मुक्त प्रहर में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । बलिया जनपद के उत्तर प्रदेश, बिहार सीमा से सम्बन्धित क्षेत्र में रबी की कटाई को लेकर भीषण विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है । बिहार के जन प्रतिनिधियों के अनुचित दबाव के कारण इस वर्ष विशेष रूप से बिहार सशस्त्र वाहिनी के संरक्षण में बिहार के लठैत किसान एवं असामाजिक लोग बलिया के किसानों की बोई हुई फसल बलात् काट रहे हैं । बलिया के किसानों की भूमि जो स्थायी सीमा के कारण बिहार में पड़ी हुई है जिस पर बलिया के किसानों का कब्जा दखल बराबर चला आ रहा है और जो अपने खेतों को बोये हुये हैं उन खेतों की भी फसल बिहार सशस्त्र वाहिनी की मदद से बिहार वाले काट रहे हैं । उदाहरण के लिये बगही मौजा का जो हिस्सा स्थायी सीमा के फलस्वरूप बिहार में चला गया है उस पर बलिया के पुराने किसानों का कब्जा दखल है और उस भूमि को

[श्री मैनेजर सिंह—]

मालगुजारी भी बिहार सरकार को देते आ रहे है । इस वर्ष बगही मौजा के उक्त भाग की फसल बिहार के लठैत किसान बिहार सशस्त्र वाहिनी की मदद से व बिहार के राजस्व विभाग की साजिश से बलात काट रहे हैं । ऐसे ही गाय घाट मौजे का भी बिहार का भाग जिस पर बराबर कब्जा दखल बलिया के पुराने काश्तकारों का चला आ रहा है और आज तक बिहार सरकार को मालगुजारी भी दे रहे हैं । उनकी बोई हुई फसल को बिहार सशस्त्र वाहिनी की मदद से बिहार के लुटेरे काट रहे हैं । ऐसे ही डूबे छपरा, नौरंगा मुआक छपरा, गवानपुर आदि मौजे की फसल कटाई की लूट बिहार वाले चला रहे हैं । आज हजारों की संख्या में बिहार सशस्त्र वाहिनी के जवान शिविर लगाये पड़े हैं और बलिया के किसानों की फसल कटवा रहे हैं । ऐसे संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार मौन एवं किंकर्त्तव्यमूढ़ है ।

अतः उपरोक्त भयावह एवं विस्फोटक स्थिति की ओर माननीय सदन का एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं विशेष रूप से इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि न केवल बिहार बल्कि हमारे कृषकों की भूमि पर हरियाणा और अन्य प्रान्तों के लोगों ने अनाधिकार कब्जा किया है और वहां की सरकार दिलचस्पी लेती है । लेकिन हमारी तरफ से थोड़ी सावधानी नहीं बरती जा रही है । तो यह जो बलिया और बिहार की सीमा का विवाद है इस ओर विशेष रूप से अपने राजस्व विभाग को हिदायत कर दें कि वह देखें कि फसलों की बरबादी न की जाय ।

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

मान्यवर, ऐसा है अभी इसी प्रश्न पर हमने बिहार के मुख्य मंत्री और हरियाणा के मुख्य मंत्री से बात की है । हम मामले में सजग हैं । हम चाहते हैं कि इस पर फिर से विचार-विमर्श की जरूरत हो तो किया जाय, ताकि इस प्रकार की घटनायें न घटें और समय से उनका हल हो जाय ।

(श्री कल्पनाथ सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्री कल्पनाथ सिंह जी, यह कोई प्रश्नों का समय नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक निवेदन है । अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बिहार के मंत्रियों और मुख्य मंत्री से इस बलिया-बिहार सीमा विवाद पर बात की । मैं जानना चाहता हूं कि इसके पहले जो स्थिति रही है कि वहां पर इस झगड़े को लेकर कितनी ही लाशें गिर चुकी हैं । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार फसल को कटाई के लिए जिस प्रकार वहां की पी० ए० सी० और पुलिस पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की पी० ए० सी० और पुलिस जाकर नागरिकों के जीवन की रक्षा करेगी ?

श्री रामनरेश यादव—

मान्यवर, विवाद को ध्यान में रखते हुए इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि किसी प्रकार से हमारे यहां के लोगों का नुकसान न हो ।

कतिपय विषय

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं एक नया सदस्य हूं और अभी इस नियमावली से परिचित नहीं हो पाया हूं। इस प्रदेश के एक दैनिक हिन्दी "तरुण भारत" के एडीटर को एक फासिस्ट संगठन के असर से उनके पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं जानता हूं कि किस तरह से इसको सरकार के ध्यान में लाऊं और इस समस्या को सदन में उठाऊं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, अगर आपको इस सम्बन्ध में नियमों की जानकारी नहीं है तो कक्ष में आइये मैं थोड़ी मदद कर सकता हूं।

दूसरी बात यह है कि जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वे सब इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट से सुरक्षित हैं। यदि कोई इस प्रकार का विवाद है वह इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट या किसी लेबर कानून के मातहत है उसे लेबर अदालत से इसके लिए संरक्षण प्राप्त करना चाहिए।

अब मैं विशेषाधिकार का प्रश्न लेता हूं।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

माननीय, आपने अपने कक्ष में बुलाकर मुझे नियम ३०१ सूचना देने के लिए कहा था लेकिन मुझे इस समय अवसर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

जोशी जी मुझे खेद है, मैं गलती से आपको बतला गया मुझे ध्यान नहीं रहा। गलती से कह गया, आज स्वीकार नहीं है।

श्री ईश्वरी प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा, आप बैठिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बार-बार आप सदन का अपमान करते हैं, अवज्ञा करते हैं। मेरे पास १० बजे तक जो प्रश्न आते हैं, उनको स्वीकार किया जाता है और उनके नाम पढ़कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री अध्यक्ष—]

सुनाए जाते हैं । इसके अतिरिक्त किसी प्रश्न को लेकर पढ़ने लगना, न तो कार्य-वाही का अंग होगा और न यह उचित होगा । इसका कोई औचित्य नहीं है । इसको आपको नहीं करना चाहिए । आप बैठ जाइये, इस पर कोई बात नहीं ।

प्रश्नोत्तर काल तथा सदन के संज्ञान में लायी जाने वाली सूचनाओं के समय पर मंत्रियों तथा मुख्य मंत्री के सदन में अनुपस्थित रहने पर आपत्ति

*श्री शतरूद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, सदन के उपवेशन के दौरान प्रश्नोत्तर काल और शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं और इस समय के दौरान मंत्रिपरिषद् के सदस्यों और मुख्य मंत्री जी को यहां मौजूद रहना चाहिए । मेरा निवेदन है कि प्रश्नोत्तरकाल के दौरान जो सूचनाएं दी जाती हैं, उसकी मंत्रियों को भी एक प्रतिलिपि दी जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस समय पर मंत्रिपरिषद् के सदस्य और मुख्य मंत्री जी भी मौजूद नहीं रहते हैं, हालांकि आज वह मौजूद अवश्य हैं । इसलिए म आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आप व्यवस्था दें कि इस दौरान मंत्रिपरिषद् के अधिकांश सदस्य यहां मौजूद रहा करें ।

इसके अलावा मैं विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम २८६ की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं नियम २८६ (ड) में स्पष्ट लिया है—"ऐसी पुस्तक, समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेंगे और न उस कार्य के अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य करेंगे, जिनका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो," तो मान्यवर, अक्सर देखने में यह आता है कि जो मंत्रिगण हैं वे सदन की कार्य-वाही से अलग यहां और कुछ कार्य किया करते हैं । आप इसकी ओर उनका ध्यान दिलाएं, ताकि सदन से सम्बन्धित कार्य ही यहां किया जा सके ।

श्री अध्यक्ष—

नियम २८६ में जो निर्देश हैं, वे तो स्पष्ट हैं । मंत्रियों या सदस्यों को यहां अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इन नियमों का पालन करना आपका काम है । इस सम्बन्ध में स्कूल की तरह से बार-बार ध्यान दिलाना अनुचित होता है ।

जहां तक आपने मंत्रियों की बात कही, उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है । शून्य काल की सूचनाएं इसके बाद हम यहां से भेजते हैं । इसमें मैं कोई निर्देश तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन जब तक बहुत आवश्यक न हो नेता सदन को शून्य-काल और प्रश्नोत्तरकाल के समय प्रयास करना चाहिए कि वह यहां रहें ।

चौधरी चरण सिंह, गृह मंत्री, भारत सरकार के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

राम आसरे वर्मा जी ने माननीय चौधरी चरण सिंह, गृह मंत्री, भारत सरकार के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री रामनरेश यादव ने चौधरी चरण सिंह से ४ अप्रैल, १९७८ को मिलने का प्रयास किया और मुलाकात करने के कई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रयासों में विफल होने के बाद मुख्य मंत्री दिल्ली से वापस आए। इसकी पुष्टि स्थानीय पत्र हिन्दी दैनिक "नवजीवन" ने अपने ५ अप्रैल, १९७८ के अंक में की है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वैसे इसका खण्डन किया है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, ६ महीने...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, मैं बोल रहा हूं। आप मंत्री रहे हैं, इतना आपको मालूम होना चाहिए।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री जी ने इसका खण्डन भी किया है, लेकिन इस सम्बन्ध में वैसे जहां तक इस समाचार का सवाल है, गृह मंत्री या अन्य कोई मंत्री, मुख्य मंत्री या कोई व्यक्ति हो, उनको समय देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह किसी को समय नहीं देते हैं, तो यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं होता है। मैं इसको अग्राह्य करता हूं, लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि चूंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न उठा दिया है, यों आपने कहा है, निराधार है, इसलिए सदन में भी आप उसकी सूचना दे दें। क्योंकि यह लगता है कि पत्रों के अन्दर अनावश्यक बदनाम करने का कुछ प्रयास है।

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

यह समाचार-पत्रों में रह रह कर, कभी-कभी इस प्रकार के भ्रामक समाचार प्रकाशित हो चुके हैं। उसके पीछे कुछ लोगों की चाल है जो जनता पार्टी और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जिस दिन के बारे में समाचार छपा है मैं उसका प्रतिवाद कर चुका हूं। उस दिन मैं दिल्ली में नहीं था, लखनऊ में था। इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता, मिलने का।

श्री अध्यक्ष—

(श्री अजीतसिंह सेठी के खड़े होने पर) बार-बार आप खड़े होते हैं। विशेषाधिकार के प्रश्न पर जब मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं, उसके बाद इस पर कुछ नहीं सुना जायगा।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

माननीय मुख्य मंत्री को बोलने के लिए आपने कहा।

श्री अध्यक्ष—

इस पर सवाल नहीं होंगे। यह तो व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है। अगर आपके खिलाफ आक्षेप हो तो आप भी पर्सनल एक्सप्लेनशन पर खड़े हो सकते हैं। उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता।

स्वतंत्र भारत, नवजीवन, दैनिक जागरण, पायनियर और नेशनल हेराल्ड के संवाददाताओं और सम्पादकों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री शम्भूनाथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने नियम ६३ के अन्तर्गत स्वतंत्र भारत, नवजीवन, दनिक जागरण, पायनियर और नेशनल हैराल्ड से सम्बन्धित संवाददाताओं और सम्पादकों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी है। उनका कहना है कि ५ अप्रैल, १९७८ को वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में उन्होंने सरकारी सेवाओं में जाति के आधार पर आरक्षण का समर्थन किया था किन्तु उक्त समाचार-पत्रों में उनके भाषण के विपरीत समाचार प्रकाशित किया गया कि उन्होंने जाति के आधार पर सेवाओं के आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा है कि 'स्वतंत्र भारत' और 'पायनियर' ने उनका नाम भी गलत छापा है।

इस सम्बन्ध में इन समाचार-पत्रों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जब उनका स्पष्टीकरण आ जायगा उसके बाद विचार करेंगे।

नियोजन राज्य मंत्री, श्री लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार को अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री रवीन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा ने सूचना दी है कि नियोजन राज्य मंत्री ने विधान सभा में २८ मार्च, १९७८ को श्री संगम लाल एवं श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तत्थो (ख) के तारांकित प्रश्न ७ के उत्तर में गलतबयानी की है और इस प्रकार गलत सूचना दे कर सदन को गुमराह करने की कोशिश करके सदन का अवमान किया है। श्री संगमलाल तथा श्री राम आसरे वर्मा ने यह प्रश्न पूछा था कि वर्तमान उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गये सदस्यों में कौन-कौन आपात् स्थिति के दौरान मीसा में बन्द थे और कितने डी० आई० आर० में तथा कौन-कौन माफी मांग कर रिहा हुए थे तथा कौन-कौन पेरोल पर रिहा हुए थे। माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय मंत्री जो द्वारा जो सूचना दी गयी उसमें माननीय श्री श्री रवीन्द्र सिंह का नाम नहीं था जब कि वे गोरखपुर जिला जेल में २६ अगस्त, १९७५ से २८ मार्च, १९७७ तक थे। माननीय श्री रवीन्द्र सिंह ने अपनी सूचना में यह भी कहा है कि इसी प्रकार दूसरे माननीय सदस्य श्री आरिफ मोहम्मद खां, श्री श्यामदत्त पालीवाल के नामों का भी सूची में उल्लेख नहीं है जो माननीय नियोजन राज्य मंत्री ने प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न की है। माननीय सदस्य ने यह भी इंगित किया है कि गोरखपुर की सूची में श्री फिरंगी प्रसाद के नाम का उल्लेख है जो निरुद्ध तो थे परन्तु विधान सभा के नहीं अपितु लोक सभा के सदस्य हैं।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिए। सदन के माननीय सदस्यों का एक हक है कि नियम और प्रक्रिया के अनुसार प्रश्न पूछें और सरकार का दायित्व है कि वह सही जवाब दे। माननीय संगमलाल जी ने जो प्रश्न पूछा था २८ मार्च, १९७८ को, उसमें माननीय मुख्य मंत्री की ओर से माननीय नियोजन राज्य मंत्री ने बयान दिया। गोरखपुर की एक सूची की ओर मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपका ध्यान आकृष्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहता हूं। मैं स्वयं मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध था, माननीय कल्पनाथ सिंह जी थे और मंत्रि परिषद् के सदस्य, श्री अब्दुल रऊफ लारी भी थे। माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी, उसमें इन तमाम निरुद्ध लोगों के नाम नहीं है। यह सूचना गलत है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि यह बिल्कुल गलत है मैंने जेल का सर्टीफिकेट भी लगाया है और अब आप कहेंगे कि जो सूचना इनको शासन ने दी है, उसे ही उन्होंने यहां पर दी।

श्री अध्यक्ष—

मुझे क्या कहना है यह आपको अभी से कैसे पता हो गया ?

श्री रवीन्द्र सिंह—

जो जिलाधिकारी ने सूचना दी है उसे ही माननीय मंत्री जी न यहां पर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि लारी साहेब जो कि मंत्रिपरिषद् के दस्य थे वह भी निरुद्ध थे उनका भी नाम माननीय मंत्री जी भूल गये। फिरंगी प्रसाद के नाम का उल्लेख किया और वह लोक सभा में चले गये। तो मेरा आग्रह है कि निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ने गलतबयानी की है। आप जो मुनासिब समझें, करें।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर बहस नहीं होगी।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने बात कही है वह तो ठीक है। सूची में उनका नाम होना चाहिये था, मगर इनक यह कहना कि मैंने सूची को देखा नहीं और उसकी जांच पड़ताल नहीं किया, उस सम्बन्ध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री, श्री कालीचरण मेरे साथ बरेली जेल में बन्द थे तो जब मैं उस सूची को देख रहा था तो उसमें उनका भी नाम नहीं था। मैंने देखा कि माननीय मुख्य मंत्री का भी नाम उसमें नहीं था तो मैंने मालूम किया कि उनका नाम आजमगढ़ में न होकर एटा में है। कालीचरण जी का नाम नहीं था, उसको मैंने कहा कि ठीक किया जाये। लेकिन समय कम था। उस अधिकारी को भी ज्यादा जानकारी नहीं होती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन मैंने विभाग को हिदायत कर दिया है कि इस तरह की त्रुटि न हो और भविष्य में जो सूचना दी जाये वह ठीक दी जाये।

श्री अध्यक्ष—

२८ तारीख को मैंने कहा था कि यह सूची पूर्ण नहीं है और माननीय सदस्यों को जो जानकारी हो तो उसे माननीय मंत्री जी को दे दें। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी निर्देश किया था कि इस सम्बन्ध में पुनः जिलों से प्रामाणिक सूचना मंगा ली जाये और प्रामाणिक सूचना प्राप्त करने के बाद एक संशोधित वक्तव्य यहां पर दे दें, यह उसी रोज मैंने कहा था। सूचना अधिकारी देते हैं, अगर कोई अधिकारी सूचना जानबूझ कर गलत देता है तो उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। सूचना का आधार, प्राप्त सूचना होता है। मेरे द्वारा और पूर्वाधिकारियों द्वारा व्यवस्थायें दी गयी हैं कि यहां पर सदन में यदि कोई मंत्री कहता है और उसके विरुद्ध यह कहना कि सूचना जानबूझकर गलत दी गयी है, जब तक

[श्री अध्यक्ष—]

कोई प्रमाण न हो तब तक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता । मैंने निर्देश किया है कि मंत्री जी पुनः इस सम्बन्ध में जिलों से सूचना प्राप्त करें । जो माननीय सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी है वह विभाग के पास, मंत्री जी के पास भेज दें ताकि उसको वे अपने संशोधित वक्तव्य में सम्मिलित कर लें । माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग की ओर से जो त्रुटि रही, असावधानी रही, उसके लिए क्षमा मांगी है । इसलिए इस प्रश्न को मैं अस्वीकृत करता हूं ।

कुमायूं विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उपमंत्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

माननीय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, कुमायूं विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ कीमद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, कुमायूं विश्वविद्यालय को सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

रुहेलखंड विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उपमंत्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुहेलखंड विश्वविद्यालय की सभामें कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुहेलखंड विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग, की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उपमंत्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय, आदेश दें, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९७८-७९ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूं और यह मानता हूं कि जनता पार्टी के अन्दर भी कुछ ऐसी महान् शख्सियतें हैं जिनका जीवन इस देश और प्रदेश के लिए एक सुन्दर जीवन रहा है । प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री, जो मधुकर दिघे जी हैं, उनके मुताल्लिक मेरी यही श्रद्धा है । वे एक सैद्धान्तिक उसूल के आदमी हैं लेकिन जो उन्होंने प्रदेश का बजट रखा है उसको देखकर यह महसूस हुआ कि जिस तरह से जहाज को लंगर लगाकर खड़ा कर दिया जाता है तो वह शक्ति जो माल ले जाने, ले आने की है, वह खत्म हो जाती है । इसी तरह से वित्त मंत्री जी का बजट है, जो फिरकापरस्त और पूंजीवाद की तरफ ले जाता है । अब यह बजट हमारे प्रदेश को अंधेरे की तरफ ले जाने वाला है । उनके बजट के बारे में जो कुछ भी कटाक्ष किया जाय, वह कम ही है । गांवों में किसानों के गन्ने बेकार पड़े हैं, गांवों की स्थिति बेकार हो गई है अर्थ व्यवस्था बेकार हो गई है । इस बजट में इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । जिन व्यक्तियों की हालत खराब है, जो निर्बल हैं, उनके लिए शासन को चाहिए कि सरकारी कोष से उनको दान की व्यवस्था करे, उनको अनुदान देने की व्यवस्था करे । यह बहुत अच्छा होता कि वित्त मंत्री जी यह प्राविजन करते कि प्रदेश के अन्दर जो अनेकों छोटे-छोटे किसान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति गन्ने के न बिकने से शोचनीय हो गई है, उनके लिए कुछ प्रबन्ध करते । तो यकीनन इस प्रदेश के किसानों की जो स्थिति बिगड़ गई है, जो अर्थ-व्यवस्था बिगड़ गई है, उसमें सुधार आता । हम तो समझते थे कि इस प्रदेश की जनता ने बड़े चाव के साथ इस जनता सरकार को वोट देकर हुकूमत करने के लिए मौका दिया । लेकिन यह सरकार अब शासन में आने के बाद उस जनता की कितनी शुभचिन्तक है, जनता के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, वह तो इस एक साल के गुजरे शासनकाल से ही जाहिर हो रहा है । अभी कल गोरखपुर का मामला इसी विधान सभा में ही

---

† ५ अप्रैल, १९७८ की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अजीत सिंह सेठी—]

उठा था। इसी तरह से और भी बहुत से और झगड़े इस प्रदेश के अन्दर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ इस शासन के एक साल के कारनामें हैं, वह सब आपके सामने हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट अपने तौर-तरीके से गरीबों के बिलकुल विरुद्ध है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार गरीबों की शुभचिन्तक नहीं है, बल्कि गरीबों को पीछे हटाना चाहती है। इस सरकार ने अपने बजट में ८९.३६ करोड़ का घाटा दिखलाया है।

(इस समय १२ बजकर ४० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

मान्यवर, घाटे का बजट हमेशा तकलीफदेह होता है। इस घाटे के बजट में किसानों को और जोड़ दिया गया होता तो १०-१५ करोड़ और बढ़ जाता, तो उससे कोई फर्क न पड़ता। यह सिनेमा के करों पर जो बढ़ोत्तरी की गई है इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इन्सान जब दिन भर काम करने के बाद थक जाता है, तो वह मनोरंजन के लिए, अपनी थकावट दूर करने के लिए सिनेमा चला जाता है और उस सिनेमा हाल के अन्दर वह अपनी दो घड़ियां गुजार देता है। उस वक्त इन्सान अपने दुःखों को भूल जाता है। मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है, उसमें सिनेमा के ऊपर टैक्स और लाद दिया गया। तो अब उसको कोई मौका नहीं है थकावट दूर करने के लिए। आप बड़ों से टैक्स लेते तो ठीक था लेकिन वह तो गरीब पर टैक्स लगाया और उनके पसीने की कमाई से जो रिक्शा पुलर हैं, खेतिहर मजदूर हैं उनकी कमाई से ३ करोड़ रुपया निकलना यह सबूत देता है कि यह बजट गरीबों के विरुद्ध बजट है। दूसरे, जो उपाय उन्होंने सोचा है डीजल रेट की बढ़ोत्तरी तो डीजल में समझता हूं असल में इस युग में किसान का बेटा कहलाता है। डीजल का इस्तेमाल किसान अपने ट्रैक्टर के जरिये जिस तरह अपने बैलों को जोत कर काम लेता था, तो यह एक बहुत जरूरी शक्ति के रूप में आज किसान के लिए है। आप उस पर टैक्स और बढ़ा रहे हैं। डीजल रोड पर चलने वाले यातायात के लिए उन पशुओं और ट्रक्टुओं की रह जरूरी है और बसों पर कौन चलता है? गरीब जनता चलती है। तो यह भी जहां तक मैं समझता हूं गरीबों की जेबों से निकल कर कोष में आयेगा यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। लिहाजा मैं समझता हूं कि यह उसी ध्येय के साथ है कि पूंजीवाद अपनी ओर टैक्स न लगाकर गरीबों के ऊपर छोड़ना चाहता है। मैं इसका विरोध करना चाहता हूं कि यह गलत टैक्स है डीजल पर।

अब विज्ञापन और स्लाइड टैक्स लगाया सिनेमाओं के अन्दर। विज्ञापन इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन की बनी हुई चीजों को मशहूर करने के लिए जनता के अन्दर ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो जाय, इसलिए कराती है। अब ज्यादा तादाद बिक्री की बढ़ती है तो वह इंडस्ट्रियल सेल्स टैक्स भी देगा। लेकिन महसूस यह होता है कि जनता सरकार यह समझती है कि अधिक बिक्री करने वाले पर और टैक्स बढ़े लेकिन उनको इंसेंटिव नहीं देना चाहती। यह उसका तरीका नहीं है। यह सिरे से ही महसूस होता है कि जनता सरकार के पास उद्योग धंधों में जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। उद्योग-धंधों के लिए सिरे से कहने को तो कहते हैं कि देहात को उठाने के लिए लघु-उद्योग देहात में लगें, लेकिन जो चल रहा है प्रदेश में उनका क्या इंसेंटिव है, उनके लिए क्या ये काम कर रहे हैं? सब जगह इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में जहां-जहां

कारखाने हैं वहां हड़तालें हो रही हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है पर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। किसी किस्म का कोई तरीका निकालते सुविधा देने का लेकिन यह ध्यान आया कि विज्ञापन जो करेगा उसको और बढ़ा दें टैक्स के रूप में। इससे मान्यवर, इंडस्ट्री को बहुत चोट और धक्का लगने वाला है और साथ ही सिनेमाघरों से जो आमदनी हो सकती थी, जो रूप-रेखा चल रही थी प्रदेश में यह हम चाहते थे और मैं समझता हूं, वित्त मंत्री भी चाहते थे कि जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। इंडस्ट्रीज में सिनेमाघर भी आता है। अगर ये नेशनलाइज कर दिए जाते तो मैं मुबारकबाद पेश करता अपने मंत्री महोदय को, लेकिन उसकी तरफ मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं इन चीजों की वजह से यह जो बजट है यह जनता के विरुद्ध है, गरीब के विरुद्ध है और इसमें उसके लिए कोई सांस लेने की चीज नहीं और अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अब जनता को इस सरकार के ऊपर शक ही शक है, भरोसे की सरकार नहीं है, यह विश्वास हो चला है। लिहाजा यह सरकार जो जनता की शुभचिन्तक बनने का दावा करती थी इसको जनता ५ साल तक भी झेलने के लिए तैयार होने वाली नहीं है। इन शब्दों के साथ में इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बजट पढ़ने से लगता है कि यह बहुत अच्छा बजट है। जनता पार्टी की जो नीति है कि 'गांव की ओर चलो' वह अच्छी है और उस ओर काफी ध्यान दिया गया है, लेकिन अगर बजट बनाते समय, मेरी राय यह है कि यदि आप र क्षेत्र के माननीय सदस्यों से राय लेकर, उस जिले की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये, अगर यह बजट बनाते तो यह और अच्छा बजट हो सकता था। ऐसा न होने से ऐसा लगता है जैसे कि यह बजट पिछले बजटों की तरह ही बनाया गया है। इसी कारण आज विधायक बहुत परेशान हैं।

मैं मान्यवर, एटा जिले से आता हूं जो सबसे पिछड़ा है और अपराध जहां सबसे अधिक होते हैं। मैं अलीगंज तहसील से आता हूं और वहां दिन रात इतने कत्ल होते हैं कि हर दिन का औसत एक का आता है। उन क्षेत्रों में पुलिस भी नहीं पहुंच पाती। बदमाशों और डकैतों के कैम्प एक-एक माह तक लगे रहते हैं। इसके लिए मैंने सुझाव दिए थे कि वहां सड़कें बनवाई जायें। जो यह बजट है इसमें केवल १० किलोमीटर सड़क की ही व्यवस्था की गई है। हमारे क्षेत्र में अलवर, कासी और भगवान गैंग ऐसा आतंक बिछाये थे और बिछाये हुये हैं कि जिससे लोगों में बड़ी बेचैनी है। पुलिस वालों तक की उन्होंने हत्यायें की हैं।

पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण वहां कोई उद्योग तक खुलवाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अगर वहां कोई उद्योग ही खुलवाये जायं तो उससे क्रिमिनल व्यक्ति किसी काम में लगेंगे और क्राइम्स कम होंगे। बेकारी की वजह से यह क्राइम्स ज्यादा हो रहे हैं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव दिया था कि हमारे क्षेत्र में कम से कम ४ थाने और ५ पुलिस चौकियां स्थापित की जायें। अस्थायी व्यवस्था तो हुई, वहां पी० ए० सी० का कैम्प लगाया गया, मगर उससे काम नहीं चल पायेगा। मुस्तकिल व्यवस्था होनी चाहिए।

[श्री गेंदा लाल गुप्त---]

शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां लड़कियों के पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर दस, दस मील तक कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है। जनता पार्टी के शासन में हमलोग कामना लेकर आये थे कि कम से कम हम लोगों की राय ली जावेगी और विधायकों से पूछ कर यह बजट बनाया जावेगा, तो बहुत अच्छा होता।

मान्यवर, आज मैं देख रहा हूं कि जनता पार्टी शासन में भी ऐसी गड़बड़ दिखाई पड़ती है, पहले जिस तरह से शासक कांग्रेसी लोग थे, उसी आधार पर आज कुछ लोग चलते जा रहे हैं। मैंने देखा प्रदेश में एग्रो एक संस्था है वह एग्रीकल्चर विभाग की है उसमें अध्यक्ष का चुनाव होना था। कृषि मंत्री महोदय ने खुद ही अध्यक्ष पद ले लिया। मेरी समझ में नहीं आता है, कोई विधान सभा का सदस्य होता, लोक सभा का सदस्य होता तो उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता था लेकिन वह स्वयं ही अध्यक्ष हो गए हैं। इसी प्रकार से मैं देखता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी के अपने निजी सम्बन्धी अच्छे-अच्छे पदों पर नियुक्त कर दिए गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता, लोग इंदिरा गांधी के नाम को रोते थे, संजय गांधी के नाम को रोते थे लेकिन आज देखता हूं कि वही परम्परा जनता पार्टी में चालू हो गई है। अगर इस प्रकार के काम होंगे तो कैसे काम चलेगा ? इसी प्रकार से मैंने देखा कि हमारे यहां एक विधायक हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको किसी संस्था का अध्यक्ष बना दिया गया है, वह किसी मंत्री के दामाद हैं। तो इस तरह से कुनबा परस्ती चल रही है। मैं जनता पार्टी के शासकों को सचेत करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कुनबापरस्ती को दूर करें और वास्तव में जैसा कि हम भी जय प्रकाश नारायण की घोषणा अनुसार शासन की कल्पना करते थे, तो जाति विहीन समाज की रचना होनी चाहिए थी आज वह कल्पना पता नहीं कहां चली गई है और पिछड़े वर्ग के नाम पर आरक्षण हो रहा है। मैं चाहता हूं और देश की जनता की भी यही राय है कि पिछड़ापन आर्थिक आधार पर तय होना चाहिए। हम जातीयता के आधार पर कुछ जातियों को आरक्षण प्रदान कर रहे हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं, मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाय। बहुत सी ऊंची जातियों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रहने के लिये, खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। कौन से नियम ऐसे बनेंगे जिससे उनको कहीं पर रोजगार मिल सके ? मेरी समझ में नहीं आता कि संकुचित दिमाग की बात क्यों हम सोचना चाहते हैं। भूमिहीन, आर्थिक दृष्टि से हीन लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है और दूसरी ओर जिनके पास १००, २५० बीघे जमीनें हैं उनको आरक्षण के नाम पर सर्विसेज दिए जाने का प्राविधान हो गया है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आरक्षण की नीति में सुधार लाया जाय। मैं देखता हूं कि यह जो कुनबापरस्ती हो रही है, जो आरक्षण की नीति है, मेरा यह दावा है कि उसी के कारण हमारे प्रदेश की ला-एंड-आर्डर की जो पोजीशन है वह खराब हुई है।

मैंने देखा है कि स्थानान्तरण भी जातीय आधार पर हो रहे हैं। इस का परिणाम यह हो रहा है कि जो अच्छे प्रशासक नहीं हैं उनको अच्छे पदों पर भेजा जा रहा है और इसी कारण ला-एंड-आर्डर की दशा देश और प्रदेश में बिलकुल बिगड़ती चली जा रही है। आज गांवों में शाम के ६ बजे के बाद भी कोई आदमी बाहर नहीं निकलता है। उसका गल्ला बाहर पड़ा है लेकिन वह देखने नहीं जा पाता है। मैं देखता हूं, अगर वह गया और उससे जरा सी असावधानी

हुई तो वह मरा हुआ पड़ा मिलता है। तो मान्यवर, मैं बजट का वैसे तो समर्थन कर ही रहा हूं लेकिन साथ ही सुझाव दे रहा हूं कि सरकार को इस बजट म जो पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए थी वह नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण योग्यता के आधार पर होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है बल्कि जाति के आधार पर हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए।

*श्री भारत सिंह (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलन का अवसर दिया। मान्यवर, मैं इस बजट को प्रगतिशील और संतुलित बजट मानता हूं। प्रगतिशील इस माने में कि इस बजट में पहला प्रयास किया गया कि गांवों के विकास की बात इसमें कही गई। इसी प्रकार पिछड़े लोगों के विकास की बात, पिछड़े इलाकों के विकास की बात, कुटीर उद्योग खोलकर रोजगार देने की बात इस बजट में कही गई है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन मान्यवर, जो लक्ष्य बजट में निर्धारित किए गए हैं उनको देखते हुए जो अपेक्षायें की जाती हैं सरकार से जनता द्वारा, वह पूरी नहीं होती ह। चूंकि आपने गांव के विकास की बात कही है और ५० प्रतिशत धन गांव में आंबटित किया है लेकिन इससे गांव का उतना विकास नहीं होगा जितना शहर का है। इसीलिए जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनके लिए और धन की आवश्यकता होगी।

मान्यवर, मैं पर्वतीय अंचल से एक पिछड़े क्षेत्र से चुनकर आता हूं। जहां यातायात, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें नहीं हैं इसलिए वहां अत्यन्त कठिनाई होती है। वहां की कठिनाइयों को मैं इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सारे प्रदेश के लोगों को पहाड़ों में काले पानी की तरह भेजा जाता है क्योंकि जो अधिकारी और कर्मचारी काम अच्छा नहीं करते हैं उनको वहां भेजा जाता है इससे आपको मालूम होगा कि वह कितना पिछड़ा इलाका है। हमारे पहाड़ के लिए ३१ करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने दिया है लेकिन हिमांचल प्रदेश जो कि जनसंख्या में हमसे कम है और उसका अपना रेवेन्यू है इसके बावजूद केन्द्र सरकार ने उनको डेढ़ अरब रुपया दिया है। हमारे पहाड़ को हिमांचल प्रदेश के मुकाबले कामन द्वारा और केन्द्र द्वारा कुल मिलाकर ६६ करोड़ रुपया मिलेगा। तो इससे कैसे पहाड़ों का विकास होगा? इसीलिए निवेदन है कि हमको अधिक से अधिक धन देना चाहिए।

मान्यवर, हमारे पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए वहां उद्योग धंधे लगाये जायं। सरकार ने जनपद पौड़ी में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कालागढ़ डैम बनाया जिसमें एक अरब तीस करोड़ रुपया लगा। इससे २०० मेगावाट बिजली पैदा होगी जिससे ४७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी लेकिन उससे उन लोगों को क्या मिलेगा जो वहां रहते हैं। जो कालागढ़ की बस्ती बनी थी वह उजड़ रही है। जबकि सरकार ने उस बस्ती में उद्योग लगाने की बात कही थी और ४ करोड़ की बिल्डिंग भी बनी हुई है। उसके चारों ओर जो सुन्दर नगर बना है वह उजड़ रहा है। इसलिए निवेदन है कि वहां सरकार जल्दी से जल्दी उद्योग स्थापित करे। वहां बिजली लोगों को सस्ते दर पर देना चाहिए और वहां के लोगों के हाथों में उद्योग देना चाहिए। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भारत सिंह--]

कहना चाहता हूं कि यदि वहां फ्रूट बेस्ड इंडस्ट्रीज और फारेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज लगा दें तो जो पहाड़ों का आदमी बाहर रोजगार के लिए जाता है वह बाहर नहीं जायेगा और इससे वहां की गरीबी दूर होगी ।

मान्यवर, दूसरी बात हमारे क्षेत्र में एमकेश्वर ब्लाक खुला, ऐसा ब्लाक उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होगा । शासन ने जनता की कठिनाई को देखते हुये ब्लाक खोला । एक साल ब्लाक रहा । उसके लिए धन आवंटित किया गया । अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । खुला हुआ ब्लाक था उसको तोड़ दिया गया है । जनता में इससे बड़ा आक्रोश पैदा हुआ है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्लाक पुनः खोल कर चालू किया जाय ।

मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां कि जंगली जानवरों का आतंक है । आप ने अखबारों में पढ़ा होगा वहां पर मैन ईटर बाघ ने १५ आदमी मार दिये हैं । कई आदमी घायल कर दिये हैं । १३२ गांवों में उसका आतंक छाया है । आदमी ६ बजे के बाद बाहर नहीं निकल रहे हैं । वहां पर लोगों को भय है । सरकार प्रयास कर रही है, बन विभाग प्रयास कर रहा है, जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है लेकिन अभी तक वह बाघ नहीं मारा गया है । इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून है उसमें कुछ बदलाव किया जाय क्योंकि उससे जो हानि हो रही है उसे जनता को उठाना पड़ रहा है उसके मवेशी मर रहे हैं । बाघ उनको मार रहा है । इसी प्रकार मुआवजे के सिलसिले में सरकार ने आदेश दिये हैं । मुआवजा केवल मृतकों के परिवार को ही न दिया जाय बल्कि उनको भी दिया जाय जो घायल हुए हैं और जिनके मवेशी मारे गये हैं । इसी तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बदलने का सवाल है जिससे वहां के लोग जिन्दगी बसर कर सकें । वहां अशांति का वातावरण है ।

मान्यवर, पिछले साल सरकार ने ५६ करोड़ रुपये आवंटित किया था सड़कें बनाने के लिए । सड़कें नहीं बनी । पेय जल के लिए कहा था कि तीन साल में हम पेय जल की सुविधा प्रत्येक गांव में करेंगे । मान्यवर, जिस गति से कम हो रहा है उस गति से आपका लक्ष्य प्राप्त करना कल्पना मात्र है । सड़कों के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ों में पांच सौ की जनसंख्या वाले गांव में सड़क बनायेंगे । मैं कहता हूं आप पांच सौ की जगह दस हजार की जनसंख्या वाले गांव को लीजिये लेकिन जनसंख्या के नजदीक आप रोड ले जाइये । आज भी जो लोग मोटर रोड से दूर रहते हैं उनको अपना सामान लेकर चालीस-पचास किलोमीटर मोटर रोड पर चल कर आना पड़ता है । अपने सिर पर बोझ ले जाना पड़ता है । जो बीमार लोग हैं उनके लिए हास्पिटल नहीं हैं । इस प्रकार वहां की बहुत विषम परिस्थिति है ।

मैं निवेदन करूंगा कि सरकार वहां के पेय जल के लिए प्रबन्ध करें । वहां पर बहुत सी नदियां निकलती हैं लेकिन गांव ऊपर बसे हुये हैं । लिफ्ट पम्प द्वारा प्रत्येक गांव में पानी पहुंचाया जा सकता है । इसी प्रकार अस्पताल वहां पर खाली हैं, भवन नहीं है, डाक्टर नहीं है, कम्पाउन्डर नहीं है, दवाई नहीं है । तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार कुछ काम भी कर रही है तो उसका इमपेक्ट, प्रभाव जनता में नहीं पड़ रहा है । मेरा अनुरोध है कि वहां हास्पिटल की

बिल्डिंग बनायी जायें, स्कूल खोल रहे हैं उनके लिये बिल्डिंग बनायी जायं और जो वहां पर विकास की गति रुकी हुई है गत वर्ष से उसको और आगे बढ़ाया जाय। अधिक धन आवंटित किया जाय अन्यथा वहां पर एक जन आक्रोश भड़क उठेगा।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मैं जातिवाद का घोर विरोधी हूं। जातिवाद के नाम पर, आरक्षण होते हैं। आरक्षण के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि उन लोगों को कम्पीटिशन के लिए तैयार करें, एजूकेशन के लिए तैयार करें। हरिजन गरीब हैं तो दूसरी चीजों का प्रयास किया जा सकता है आरक्षण से क्या मतलब। मैं तो दो ही जातियां मानता हूं एक गरीब और एक अमीर। यदि गरीब और अमीर के बीच की खाई को दूर करना है तो हम समाजवादी समाज की रचना कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य प्रगतिशील है। गरीबी कम करने का हमारा लक्ष्य है। ६७ प्रतिशत जनसंख्या जो गरीब है उसको उठाने का प्रयास है। मेरा सुझाव है कि केवल आरक्षण जो है वह इस रूप में दिया जाय कि उनकी शिक्षा फ्री हो और गरीब आदमी के लिए सभी सुविधायें हों। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट पर कुछ कहने के पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार पूज्य बापू के अरमानों को साकार किया गया है। गांधी जी का सारा जीवन व शरीर मद्य निषेध में लगा था। उनकी कल्पना थी कि जब इस देश में स्वराज्य आयेगा तो शराबबन्दी की जायगी। ३० साल तक गांधी जी के नाम पर चलने वाली कांग्रेसी सरकारों ने गांधी जी के साथ विश्वासघात किया और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस देश की मौजूदा सरकार ने मद्यनिषेध पर जोर देकर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय काम किया है, इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। इतना ही नहीं इसने छोटे कृषकों का लगान माफ किया। सन् १९७४ से नये स्कूलों को खुलने से रोक रखा गया था उनको खोल कर १७ हजार नये अध्यापकों को भरती करके, बिजली के उत्पादन में सुधार करके, खाद की कमी को दूर करके इस सरकार ने सराहनीय कार्य किया है और उसके लिए यह बधाई की पात्र है।

साथ ही साथ इस सरकार ने जनता के साथ किये कुछ वायदों में जो उपेक्षा दिखाई है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसका सीधा सम्बन्ध शिक्षा तथा सुरक्षा से है। शिक्षा का विनाश होता जा रहा है। सत्र समाप्त होने पर आ रहा है। पिछले साल की एल० एल० एम० की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। इसी तरह बी० एड० का विद्यार्थी मेरे पास आया और पूछने लगा कि हमारी परीक्षा के फार्म कब भरे जायेंगे, हमारे टीचर कहते हैं कि एक दो महीने लग जयेंगे। आखिर कब पढ़ाई होगी, कब परीक्षा होगी? शैक्षिक क्षेत्र में आज उथल-पुथल मची हुई है। सारे विश्वविद्यालय बन्द पड़े हैं। कुछ कालेजेज में हड़ताल चल रही है। शिक्षा समाज का ऐसा विनाश कभी नहीं हुआ होगा जैसा इस वर्ष हो रहा है, इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। दुर्भाग्य तो यह है कि शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नई यूनियनें बनाकर हर विद्यालय में नए जुलूस निकाले जा रहे हैं। दो तीन दिन पहले कानपुर में लड़के ढोल पीटते जा रहे थे और जुलूस निकालते जा रहे थे। इससे मुझे बड़ा विनाश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरीश चन्द्र तिवारी]

होता दिखाई दे रहा है, सरकार ने अगर तुरन्त इस ओर ध्यान नहीं दिया और शिक्षा के सुधार हेतु कोई प्रभावकारी कदम तुरन्त नहीं उठाया तो निश्चित रूप से आने वाले क्षेत्र में इस प्रदेश के सामने भयंकर संकट उत्पन्न हो जायगा। इसलिये सरकार को विशेष रूप से शिक्षा की ओर ध्यान देकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाकर, शिक्षा में सुधार करके कोई ऐसी दिशा देनी चाहिय जिससे नन्हें मुन्ने बच्चों की जिन्दगी चौपट होने से बच सके वर्ना आने वाला समाज हमको माफ नहीं कर सकेगा। जो छात्र आन्दोलन हो रहें हैं इनसे सारा समाज ही नहीं, गार्जियन भी परेशान हैं और उनका कहना है कि इस सरकार ने शिक्षा का सत्यानाश कर दिया। इसलिये हमको यह कमजोरी दूर करनी होगी, आत्म विश्लेषण करना होगा और शिक्षा मे सुधार करना होगा। इसके अलावा बेरोजगारी मुंह बाये खड़ी है।

इस सरकार ने बहुत से वायदे किये थे और यह वायदा किया था कि १० साल के अन्दर बेरोजगारी दूर हो जायगी लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है जिससे यह समझा जा सके कि बेकारी दूर हो जायगी। हमें कोई ऐसी दिशा बतलाई जाय जिससे हम जनता के सामने छाती ठोंक कर कह सकें, उत्तर दे सकें, कि गरीबी और बेकारी दूर करने के लिए हमने क्या-क्या किया है ? वह आज हमसे उत्तर चाहती है, उत्तर देने के लिए सरकार को हमें आज कोई दिशा देनी चाहिये। किस तरह से हम बेरोजगारी दूर करेंगे।

श्रीमान् जी, सबसे खतरनाक स्थिति जो आज प्रदेश मे है, वह सुरक्षा की है। सुरक्षा की हालत दिनो दिन बदतर होती जा रही है। आये दिन हमें सूचनायें मिलती हैं, रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है, जगह-जगह पर अशांति और असन्तोष व्याप्त है, जगह-जगह पर चोरी, डकैती की घटनायें हो रही हैं। अभी चार-पांच रोज की घटना है। ठीक थाने के सामने हमारे यहां एक आदमी को इक्के से उतार करके गोली मार दी गई और वे भाग गये। यह ठीक दोपहर १२ बजे की घटना है। थाने के सामने उस लाश को लाकर छोड़ गये। बाद में जब मैंने पुलिस के एक सिपाही से पूछा तो उसने बताया कि उनके पास बन्दूकें और तमंचे थे। इस तरह से ठीक १२ बजे दोपहर में किसी व्यक्ति को गोली मारने के बाद उसकी लाश को पुलिस थाने में ले जाया जाना जिस समाज में होता है तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी क्या दिशा है। श्रीमान् जी, मुझे याद आ रहा है कि जब एक दार्शनिक से यह पूछा गया था कि आदमी के लिए कौन-कौन सी चीजें आवश्यक हैं। तो उसने उत्तर दिया था कि ३ चीजें आवश्यक हैं। पहला सुरक्षा, दूसरा भोजन के लिये अन्न और तीसरा सीमा सुरक्षा। उनसे पूछा गया कि यदि इनमें से एक को छोड़ दें तो किसे छोड़ेंगे उसने कहा कि सीमा सुरक्षा छोड़ सकते हैं। फिर पूछा गया कि शेष दो में यदि हम एक और छोड़ दें तो किसे छोड़ेंगे ? उसने कहा कि हम भूखों मरना स्वीकार कर सकते हैं लेकिन हमें सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी। रात को चैन से सोने को हमें मिलना चाहिए, हम सुरक्षित रहें। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमें चैन से सोने की गारन्टी दे। गुन्डा-गर्दी, अराजकता, चोरी, डकैती आदि से सुरक्षा की गारन्टी हमें मिलनी चाहिए। चारों ओर आज हाहाकार मचा हुआ है।

अभी कमालगंज थाने के थानेदार ने एक प्रतिष्ठित डाक्टर को अपने थाने में बुलाया। जब वह नहीं आया, मरीजों को वह देख रहा था तो थानेदार ने

एक सिपाही को भेजकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारी न आने की कैसे हिम्मत हुई । उसे दो घन्टे तक धूप में खड़ा रखा गया और वहां पर मारा पीटा भी गया । उसने क्या अपराध किया था कि से उसे यह सजा दी गई । आज भी वह थानेदार अपनी जगह पर आसीन है और कहता है कि जब तक पुलिस का डन्डा है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है । मैंने इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, मुख्य मंत्री और गृह सचिव से भी निवेदन किया था और नियम ३०१ के अन्तर्गत इस मामले को देकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था किन्तु अभी तक सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी है ।

हम एक दिशा देने के लिये आये हैं । हमने जय प्रकाश जी के नेतृत्व में एक आन्दोलन किया है । जब तानाशाही चरम सीमा पर थी, कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था तो उसमें गांधी जी के सामने जयप्रकाश जी ने एक शेर सुनाया था—

पंछी समझते हैं कि चमन बदला है ।
हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है ।
शमशान की खामोशी मगर कहती है ।
है लाश वही, सिर्फ कफन बदला है ।

इंदिरा जी की आंखें भी मादकता से भरी हुई थीं, वे भी उसी रास्ते पर चली गई और उसके कुछ वर्ष बाद ही समाज ने, जनता ने उनके इस नशे को उतार दिया । मैं चाहता हूं कि हम जो जनता पार्टी के लोग हैं, पीठ पीछे हम लोग खड़े हैं, जिनको एक बड़ी शक्ति प्रदेश ने दी है, सरकार बनायी है, तो जनता के मनसूबों के साथ हम खिलवाड़ न करें । जनता ने हम पर विश्वास प्रकट किया है, उनके साथ विश्वासघात न होने पाये, यही जनता की सबसे बड़ी आशा हम से है । इसमें कोई संदेह नहीं कि हम भौतिक प्रगति कर रहे हैं, लगान माफी हो रही है किसानों का उससे संतोष है, बिजली काफी मात्रा में बढ़ी है लेकिन प्रदेश की आज सब से बड़ी मांग यह है कि शिक्षा में सुधार हो, सुरक्षा की गारन्टी दी जाय । जब तक यह नहीं होगा तब तक जनता में आत्मविश्वास नहीं होगा । हम अपने वायदे पूरे करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आपसे विदा लेता हूं ।

श्री राज बजराज सिंह (जिला खीरी)—

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है इस समय कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है ।

(कोरम के लिए घन्टी बजायी गई घटी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

*श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हम सब उत्तर प्रदेश के १९७८-७९ के बजट पर चर्चा कर रहे हैं । मान्यवर, यह जो कुछ देखने को मिल रहा है इसके पीछे इस बजट का बहुत कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है । यह बजट करीब २६, २७ अरब का है । इससे लगता है कि हमें हर महीने दो अरब रुपये व्यय करना पड़ता है । मान्यवर, इस बजट से हमारी उत्तर प्रदेश की १० करोड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मित्र सेन]

जनता का जीवन जुड़ा हुआ है । जब हम इस बजट को देखते हैं तो इसकी उपयोगिता की तरफ ध्यान जाता है । जिस माहौल में यह सरकार आई और जो आशायें और जो लोगों को विश्वास था, जो लोगों की उम्मीदें थी उसके विपरीत यह दिखाई पड़ रहा है । होना तो यह चाहिये था कि ३० वर्षों के बाद जब दूसरी क्रांति का नाम लिया गया था तो बजट भी क्रान्तिकारी होना चाहिये था लेकिन यह यथास्थिति पर है । इसमें कोई क्रान्ति, कोई प्रगतिशीलता नहीं है । सिर्फ नारा दिया गया है कि गांवों की ओर चलो ।

हमारे सामने जो २६, २७ अरब का बजट है इसको देखने से और जो पुस्तकें मिली है उनको देखने से जो सन् १९७७-७८ का बजट यूटिलाईज हुआ है उससे लगता है कि कुछ अनावश्यक क्षेत्रों में खर्चे बढ़े हैं लेकिन जो प्रदेश के महत्वपूर्ण अंग हैं उन पर खर्चा कम हुआ है । अगर हम मन्त्रिपरिषद पर देखते हैं तो १९७७ में ७ लाख रुपये ज्यादा खर्च हुआ है उसी प्रकार पुलिस प्रशासन पर ६ करोड़ का खर्चा बढ़ा है । लेकिन जब हम और चीजों पर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि शिक्षा में ७६ लाख रुपये कम खर्च हुआ है, स्वास्थ्य पर एक करोड़ रुपया कम खर्च हुआ है । मन्त्रियों और विधायकों तथा प्रशासन के आमोद प्रमोद पर, टेलीफून, ट्यूब लाईट लगाने पर खर्चा बढ़ा है । लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर और जन प्रशासन पर खर्चा नहीं किया गया है । इस साल जो बजट बनाया गया है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि किस प्रकार वह उपयोग किया जायगा ।

एक जरूर नारा दिया है कि कृषि पर ज्यादा खर्च किया जायेगा उसका विकास किया जायेगा । यह कहते हैं कि कृषि उन्नति करेंगे लेकिन उस पर भी कई करोड़ रुपये की कमी है । पिछली सरकार ने जो खर्च किया था उससे कम है करीब २९ करोड़ रुपये कम है । इन लोगों ने पिछली सरकार से टोटल मिला कर २५ करोड़ इस मद पर कम खर्च किया है । तो या तो ये आंकड़े जो छपे हैं गलत हैं या हम गलत पढ़ रहे हैं । इसको देख लिया जाय यह जो योजनागत, योजनेतर पूंजी परिव्यय की पुस्तकें मिली हैं उनको देखने से यह लगता है । इस सरकार ने यह खर्च कम दिखाये हैं । पुलिस प्रशासन पर ज्यादा खर्च दिखाया है जिसकी वजह से आज ये सारी बाधायें पदा हो रही हैं । पुलिस प्रशासन की ढिलाई आज सड़कों पर देखने को मिल रही है जिसका एक ही कारण है अर्थ व्यवस्था । यह बजट हमारी अर्थ व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, किन्तु यदि उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पुरानी अर्थ व्यवस्था के समान ही रहेगी और उसमें कोई प्रगति नहीं होगी, तो यह असन्तोष सर्वत्र व्याप्त रहेगा । हमारे सामने जो उद्देश्य थे और मूल मंशा थी कि इस प्रदेश की जनता को ऊपर उठाएंगे और गरीब और अमीर के मध्य की विषमता को दूर करेंगे और उसको उस स्तर तक लायेंगे कि वह १ : १० की रहे, यह जो जनता पार्टी का नारा था, इसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं देती है कि उस दिशा में यह जनता सरकार आगे बढ़ रही है । कहा यह गया था कि ग्रामीण अंचल में कुटीर उद्योग कायम किये जायेंगे, लेकिन उसमें भी इस वर्ष कम खर्च किया गया है, पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत और जो खर्च किया जा रहा है, उसके बारे में भी मेरी धारणा है कि यह चल नहीं पायेंगे जब तक बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ता । जब तक गांव-गांव में बिजली नहीं फैल जाती, तब तक उन्हें कैसे बढ़ाया जायेगा । आज वहां छोटी मशीनों

और क्रेशरों आदि के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। शहरों में जैसे बिजली कटौती होती है, वैसे वहां भी ट्यूबवेलों को बिजली देने के लिए कुटीर उद्योगों को बिजली में कटौती होती है। इसलिए जनता सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिये। कुटीर उद्योग को इस माहौल में बढ़ाएं, जब बिजली पर्याप्त नहीं होगी, तो कुटीर उद्योगों के प्रसार के अपने उद्देश्य में हम फेल होंगे।

इसके अलावा उत्पादन के साधन जब तक समाज के हाथ में नहीं होते, व्यक्ति के हाथ में होते हैं, आर्थिक संकट से उबरा नहीं जा सकता है। जब तक मुनाफे का वितरण समाज के हाथ में नहीं है, यह संकट बराबर बना रहेगा। आज स्थिति बड़ी बिस्फोटक है छात्र आन्दोलन कर रहे हैं, मजदूर आन्दोलन कर रहे हैं, सड़कों पर अशान्ति मची हुई है। आज जो अस्त-व्यस्त प्रशासन है उसको जनता ने आपसे आशा नहीं की थी, उसकी उसने कोई कल्पना नहीं की थी। उसकी सरकार से बड़ी आशाएं थीं। हो सकता है कि आपकी पार्टी के अन्दर कोई अन्दरूनी झगड़े हों, किन्तु यह अलग की बात है। इस प्रदेश की जो ८६ प्रतिशत जनता थी, उसको यह विश्वास नहीं था कि आप यह करेंगे। उसको तो यह विश्वास था कि ३० वर्षों के जीवन में उसने जो कुछ देखा है, जो कुछ भोगा है, झेला है, उसमें बुनियादी परिवर्तन होगा। बेकारी और महंगाई की समस्या में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा, सुधार होगा, भूमि व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा। लेकिन उसकी आशाओं पर तुषारपात हो गया है। आज हरिजन कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि उन्होंने उनको दो-एक बीघा जमीन दी है, लेकिन आपने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। बल्कि अब उनकी जिन्दगी दूभर हो गई है। उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ा गया है। तो गरीब जनता से आपने जो वायदे किए थे, जो विश्वास उसने आप पर किया था, वह यह सरकार पूरा नहीं कर रही है, जनता की आशाएं धूमिल हो चुकी हैं। इसलिए इसका २७ अरब का जो बजट है, उसका इस तरीके से प्रयोग होना चाहिये, जिससे ८६ प्रतिशत जनता के जीवन में बुनियादी तब्दीली लाई जा सके। यदि आप कृषि में क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहते हैं, बेकारी की समस्या को हल करना चाहते हैं, अन्य समस्याओं को हल करना चाहते हैं, अन्त्योदय का स्वप्न पूरा करना चाहते हैं, आर्थिक संकट से निपटना चाहते हैं, तो उत्पादन के निजी साधनों को सरकार को अपने हाथों में लेना होगा। अगर यह सरकार ऐसी बात नहीं सोचती, उसी रास्ते पर चलती है जिस पर कांग्रेस चली थी तो इसका भी वही हश्र होगा, जो कांग्रेस का हुआ।

एक क्रान्तिकारी विचारधारा इस सरकार को अपनाना होगा। जब तक आर्थिक क्रान्ति नहीं होती, बेकारी की समस्या मजदूरों और छात्रों की समस्या, गांव के ८६ प्रतिशत जनता की समस्याएं हल होने वाली नहीं है, तब तक देश और समाज का संकट दूर नहीं होगा। जब तक आर्थिक क्रान्ति नहीं होगी तब तक मेरी निश्चित धारणा है ये समस्याएं हल नहीं हो सकतीं चाहे ये कुर्सियां बदल जायं, टोपियां बदल जायं, शक्ले बदल जायं। जब तक नीतियां नहीं बदलते, रास्ते नहीं बदलते, क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए क्रन्तिकारी नीति का प्रतिपादन करना होगा।

डाक्टर बाबूराम प्रभाती (जिला पीलीभीत)—

माननीय, मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह कहना कि जो मौजूदा बजट १९७८-७९ का है, यह पूंजीपतियों की ओर लिए जा रहा है, ऐसा नहीं है। जनता सरकार ने गांव के आदमी को उठाने के लिए, कृषकों को उठाने

[डाक्टर बाबूराम प्रभाती—]

के लिए, जैसा कि हमारी गांधी जी की नीति थी कि गांव का पहले विकास हो। गांव के विकास में भारतीय विकास निहित है, उसी के अन्तर्गत मैं अपना सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिला पीलीभीति के पूरनपुर क्षेत्र में उपनिश के नाम से आज भी मौजूद है। जबकि हमारे देश की नीति है सारे दुनियां में उपनिवेशों का हम विरोध कर रहे है, लेकिन अपने राज्य उत्तर प्रदेश में उपनिवेश के नाम से आज भी मौजूद है। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि उपनिवेश शब्द को समाप्त करें। उसको और नाम दिया जाय। यहां पर कुछ भूमिहीन कृषक कुछ हरिजन लोगों को जमीनें दी गयी हैं और वह २० साल से उस जमीन को जोत रहे हैं। यह इलाका बड़ा उपजाऊ है। यहां धान और गन्ना बहुतायत से पैदा होता है। शारदा नदी एक भयंकर नदी है। वह पहाड़ से उतरती है तो तेज रफ्तार के साथ बहती है। उसने बहुत जमीन का कटाव कर दिया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जिनकी जमीनें कट गयी हैं, जो बेघरबार हो गये हैं, आये दिन परेशान रहते हैं, उनके लिए वहां पर वन विभाग की जमीन पड़ी है जिसके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। जो कटी हुई जमीन है ४५.९५ एकड़ है और रास्ता १०.२५ एकड़ है। मरघट और कब्रिस्तान २ एकड़ है। कुल मिलाकर ५८.२२ एकड़ जमीन वहां की कट गयी है और जंगल की जमीन १७४.८३ एकड़ है, जो मौजूद है। इस वक्त सुरक्षित है जो निर्विवाद है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस भूमि पर जो किसानों की जमीन कट गयी है और उनको बसाया जाय। यह जमीन उनके नाम पर की जाय। इस जमीन पर शीशम, खैर, जामुन के पेड़ हैं। ऐसी स्थिति में जब कि हमारा सरकार गांवों की ओर जा रही है, भूमिहीन कृषक हैं। तो उनको जल्द से जल्द भूमि एलाट कर दी जाये।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शारदा नदी पर कोई पुल नहीं है, जिसके कारण नदी को पार करने के लिए कठिनयां पड़ती हैं और जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो वह रास्ता बन्द हो जाता है और किसानों का जो सामान होता है वह बाजार में बिकने के लिए नहीं पहुंच पाता है जिसके कारण वहां के गरीब किसानों को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर धनारा घाट पर एक पुल का निर्माण कराया जाये। यह अवश्य है कि वहां पर पुल के निर्माण में अधिक व्यय हो सकता है, इसलिए मेरा दूसरा सुझाव है कि इस क्षेत्र को लखीमपुर खीरी में मिला दिया जाये तो इस क्षेत्र की तरक्की हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं भूमि कटाव के बारे में कहना चाहता हूं। १७४. कुछ एकड़ वन विभाग की भूमि अगर किसानों को ट्रान्सफर कर दी जाये तो अच्छा होगा। बीसों साल से जो किसान जमीन जोत रहे हैं उनको उस पर सीरदारी अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उसने काश्तकारों को प्रोत्साहन दिया है, गन्ने की उपज इस जिले में बहुत है। यहां पर ३ चीनी मिले हैं। सरकार से अनुरोध करता हूं कि यहां पर वह क्रशर का लाइसेन्स दे तथा जो गुड़ खरीद केन्द्र हैं उनको भी यहां पर स्थापना नहीं हुई है उनको भी स्थापना होनी चाहिए। गुड़ खरीद केन्द्र की स्थापना न होने से यहां पर गुड़ बहुत ही सस्ता बिक रहा है जिसके कारण किसान परेशान हैं और गन्ने की सप्लाई फक्टरी में नहीं हो रही है।

कजरी निरंजनपुर, शाहजहांपुर जिले में है। यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अगर इसका विकास करना है तो यहां पर सड़कों का निर्माण कराया जाये अथवा इस जिले को पीलीभीत में मिला दिया जाये तो इसका विकास हो सकता है। पूरनपुर क्षेत्र में शाहजहांपुर के कुछ गांव आते हैं तो उसी प्रकार से इसको भी पीलीभीत में मिला दिया जाये।

मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि कबीरगंज में फरवरी, १९७५ को प्रति लेबर एक एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। इस प्रकार से २२४ लेबर्स को भूमि आवंटित की गयी, लेकिन उनको उस भूमि पर कब्जा आज तक नहीं मिला है। पूरनपुर में एक भूमि विकास बैंक है। इस बैंक ने छोटे किसानों को ऋण तो दिया है लेकिन चैक नहीं दिया है। डीलर और बैंक के अधिकारी उनका रुपया खा गये हैं और अब उनसे उनको वसूली की नौबत आ गयी है। पूरनपुर डाउन एरिया है इसको म्युनिसिपैलिटी घोषित किया जाय। जिससे वहां का विकास सम्भव हो सके। शेरामऊ थाना जो शाहजहांपुर जिले में है यहां पर क्राइम बहुत होते हैं क्योंकि यह शहर से बहुत दूर पड़ता है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको पीलीभीत में जोड़ दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बजट ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रसंशनीय एवं महत्वपूर्ण है एवं राज्य कर्मचारियों एवं राज्य शिक्षकों की दृष्टि से कल्याणकारी बजट है।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो यह पढ़ रहे हैं, कृपया ऐसे ही बोलें।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

मान्यवर, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। कुछ प्वाइन्ट्स देख रहा हूं।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह राज्य कर्मचारियों एवं राज्य शिक्षकों की दृष्टि से कल्याणकारी बजट है जबकि प्रदेश के लगभग एक करोड़ व्यवसाइयों को इससे निराशा हुई है। पिछले वर्ष १९७७ में सरलीकरण समिति का गठन किया गया था। उस समिति में मैं भी एक सदस्य था और उसने सर्वसम्मति से स्वीकृत ८७ संस्तुतियां की थीं। यह पुस्तिका जिसमें इनका जिक्र है इस सदन में भी बांटी गयी थी लेकिन अगर इसकी मान्यताओं को मान लिया गया होता तो आज यह व्यवसायी समाज दुखी न होता। इनको लागू करने से बजट में घाटा न होता बल्कि बढ़ोत्तरी ही होती। शायद हमारे माननीय वित्त मन्त्री व्यवसायी नहीं हैं। वे इस समय सदन में नहीं हैं लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उनको मेरी बात पहुंचाने की कृपा की जाय, ताकि वह इसको लागू करें। उससे व्यवसायियों के मन में संतोष होगा।

इस बजट में ग्रामीण विकास की दृष्टि से ३९० करोड़ की योजना है। राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों की दृष्टि से १२ करोड़ ३३ लाख १० हजार रुपया है। इस वर्ष का कुल व्यय १७०३.७४ करोड़ रुपया है जब कि आमदनी १६९१.०२ करोड़ की है। यानी इस प्रकार से १२.७२ करोड़ रुपये का घाटा होता है।

[श्री रेवती रमण रस्तोगी]

लोक लेखा के अन्तर्गत ४६.०३ करोड़ की अनुमानित प्राप्ति है जिसमें से १२·७२ घटाने से ३३.३१ करोड़ रुपया सरप्लस आता है। जबकि ११२.६७ का अनुमानित ऋण शेष रह जाता है। सरप्लस घटाने के बाद ७९.३६ का घाटा रहा जिसे पूरा करने के लिए १२.६२ करोड़ के कर लगाये जायेंगे। ३ करोड़ रुपया सिनेमा से प्राप्ति होगी, ६ करोड़ रुपया डीजल पर बिक्रीकर में ७० लाख रुपया पंजीकरण व नवीनीकरण की फीस आदि से और ५० लाख रुपया सिनेमा स्लाइड तथा विज्ञापनों से। २० लाख रुपये अग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सों के फीस आदि से। अब जनता सरकार है तो जनता यह चाहती है कि जो ६ करोड़ रुपया डीजल पर बिक्री कर का बढ़ाया गया है इससे हमारा व्यवसायी समाज अपने मन में क्या सोचेगा ?

जहां तक चलचित्रों का प्रश्न है आपने ५ मार्च को देखा होगा कि प्रदेश के सारे सिनेमा बन्द हो गये। १.५२ करोड़ रुपया लगाया आपने मार्ग कर। इस कर के लगते ही आप समझेंगे कि सामान के दाम बढ़ेंगे, मूल्यों में अन्तर पड़ेगा। ट्रैक्टर्स और ट्रालियों पर जो आपने ५० लाख पंजीकरण एवं मार्ग कर का लगाया है उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर असर पड़ेगा। इससे भी आपने उनकी उपेक्षा की है। खनिजों की रायल्टी की दरों को बढ़ाने में आपने ०.२० लाख रुपये का टैक्स लगाया है। इस प्रकार से आपने इन साधनों से १२.६२ करोड़ रुपया प्राप्त करने का प्राविधान किया है। यह कर लगाया गया है। १२ करोड़ ३३ लाख १० हजार यह कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया है और उसकी पूर्ति के लिए हमने यह टैक्स लगाया है। थोड़ा सा विचार कीजिए। मद्य निषेध के विषय पर मैं प्रसन्नता जाहिर करना चाहता हूं। ७७ के बजट में मैंने मांग की थी कि मद्य निषेध किया जाय। इस मद्य निषेध से २० करोड़ का घाटा होगा, इस घाटे की पूर्ति केन्द्रीय सरकार से की जायगी। २० करोड़, राजकीय मितव्ययिता से की जायगी। १२.७२ करोड़ का नया टैक्स लगाया गया है अब २६.७६ करोड़ का घाटा रह जाता है, जिसको कि विभिन्न उपायों से विचार करके पूरा किया जायगा। तो फिर टैक्स कितना लगेगा, विचार कर देखेंगे। २० करोड़ हमने केन्द्र से मांगा है। २० करोड़ हम अपनी कटौती से बचत करेंगे व्यय में और उसके लिए रास्ता देखेंगे। तो कुल टैक्स लगा है १२.७२ करोड़। अगर हम न लगाते यह टैक्स तो आज प्रदेश में कहने को होता कि जनता पार्टी का यह पहला बजट है कि देहात की ओर चलो, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि अर्थ संचय न किया जाय। हमने यहीं सदन में आवाज उठाई थी कि कानपुर नगर महापालिका में ७६–७७ में एक करोड़ का घपला है, जोकि १५ सितम्बर से कारपोरेशन ने शो किया है कि आज तक एक करोड़ की आमदनी हुई है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। तो इन व्यवस्थाओं के द्वारा चोरी को आप रोकें, तो टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है।

अब मैं प्रशासन के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। यह सारा बजट जो है, इसको हम पूर्ण नहीं कर सकेंगे यदि हमारा प्रशासन ऐसा ही रहेगा, जैसा कि आज चल रहा है। अगर इसको ठीक करना है, तो हमारी मांग यह है कि मुख्य मंत्री जी के पास जैसे होम मिनिस्ट्री रहती है, क्या उस परम्परा को बदला नहीं जा सकता है। नये मुख्य मन्त्री हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि अपने सहयोगी, विश्वासी, कठोर प्रशासक कुशाग्रबुद्धि ऐसे महान व्यक्ति को अपने इस विभाग के

लिए राज्य मन्त्री के पद पर नियुक्त करके इस प्रदेश की व्यवस्था को ठीक करें। हमारे बहुत से ऐसे मन्त्री हैं, दुःख है आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए, क्योंकि वह बीमार हैं, बोझ नहीं उठा पाते, मानवता के नाते यह परिवर्तन करना कोई पाप नहीं है। आज वह पूर्ति हमलोग कर सकते हैं, अगर आप पूर्ति करना चाहें। इसलिए इस बजट का पुनः समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूं। नारायण, नारायण।

श्री भीषम (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मेरे बोलने के लिए खड़े होने का तात्पर्य रिजर्वेशन से है जो रिजर्वेशन के बारे में आज गावों में, विधायकों में, आपस में इतनी तनातनी हुई है, उसके प्रति मुझे कुछ कहना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम इतिहास के दो हजार वर्षों को देखें तो यह पता चलता है कि शासक वर्ग के हारने के पश्चात् देख लें आम जनता ने कोई क्रांति नहीं की। इसका कारण यही होता था कि सीधा शासक का ही सम्बन्ध रहता था, जनता का सम्बन्ध नहीं रहता था। रिजर्वेशन के माध्यम से हम साधारण गरीब जनता को ऊपर उठा करके देश के प्रति प्रेम पैदा कर सकते हैं। अर्थात् रिजर्वेशन राष्ट्रीयता से सम्बन्ध रखता है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

अब इसके बाद मैं हरिजनों के बारे में कहना चाहूंगा। कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी लम्बी चौड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन इनकी जब सरकार थी तो हरिजन मन्त्री थे, आंकड़े से मालूम हुआ कि ३० वर्षों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में पूर्ति केवल एक और डेढ़ प्रतिशत अन्त तक रही। हमारी समझ से अच्छा होता कि कांग्रेस के लोग यह बताते कि किन स्थितियों में यह रिजर्वेशन पूरा नहीं किया गया और इस सरकार से पूछते कि आप किस तरह से पूर्ति कर रहे हैं। यहां हरिजनों की दशा इतनी गम्भीर है कि मेरी समझ में जब तक वे हरिजन हैं यह सम्भव है कि उनकी दशा संभले ही नहीं। देश के अन्दर लोगों को भी इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि यदि हरिजनों की दशा यही रही तो वास्तव में यही कहा जायगा कि वह गुलामी पुनः आयी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। यदि आज हरिजन अपना सम्बन्ध हिन्दू धर्म से तोड़ दे और वह अपने को हिन्दू न कहे तो देश की स्थिति बड़ी भयानक हो जायगी। ऐसी स्थिति में यह भाषण से नहीं, बल्कि गम्भीरता से अध्ययन करके इनकी स्थिति को संभालना है। यों वित्त मन्त्री जी ने थोड़ा सा हरिजनों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है लेकिन उस हिसाब से अगर जोड़ा जाय तब भी १ लाख वर्ष लगेंगे, जिस हिसाब से आप हरिजनों को सुविधा दे रहे हैं। १ लाख वर्ष में शायद वह कुछ भूमि के मालिक हो जायं।

इसी प्रकार हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे नेताओं की वाणी और करनी में कितना अन्तर है। देश की आवाज है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी है और मिडिल भाषा हिन्दी है। लेकिन ये नेताओं के माध्यम से गांव में कान्वेंट स्कूल और शिशु विद्यालय ऐसे विद्यालय खुले हैं जो शिक्षा में विषमता पैदा कर रहे हैं आप स्वयं सोचें कि गरीब आदमी अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। या तो कह दीजिए कि हिन्दी सक्षम नहीं है कि वह देश की राष्ट्र भाषा बन सके और सारी पाठशालाओं में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाय, वरना यह अंग्रेजी के माध्यम से जो गांव में शिक्षा दी जा रही है या शहरों में दी जा रही है वह उचित नहीं कहा जायगा। शिक्षा के बारे में मुझे थोड़ा सा और कहना है कि लोगों

[श्री भीषम]

का कहना है कि प्रारम्भिक शिक्षा यहां बड़ी कमजोर होती है, इसीलिये हमने कनवेंट स्कूल और शिशु विद्यालय कायम किए हैं ताकि अच्छे लड़के तैयार कर सकें। लेकिन मेरा कहना है कि एम० ए० बी० ए० पास प्रायमरी शिक्षक अपने समकक्ष अन्य विभागों के लोगों से तुलना करता है तो उसकी दशा दयनीय रहती है। वास्तव में वह काम कम करता हो, लेकिन अगर दिल से और कायदे से काम किया जाय तो इस शिक्षा को जो आधुनिक शिक्षा है, उसको हम दो हफ्ते में ही ठीक कर लेंगे। जब हमारी सरकार भी, कांग्रेस सरकार भी, सारी सरकारें यह स्वीकार किये हैं कि यह शिक्षा निर्मूल है, व्यर्थ है, यह आचरण भी नहीं बनाती, काम भी नहीं देती, लेकिन हमें, बता नहीं पाते कि कौन ऐसी सरकार, कब आयगी जो शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेगी। हम तो मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि देश की बेकारी को दूर करने के लिए लोगों को स्वावलम्बी बनाने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा में स्वयं अधिक पैसा खर्च करके आमूल परिवर्तन किया जाय।

इसी तरह से जब सहकारिता विभाग की ओर देखता हूं तो वहां सबसे बड़ा घपला देखता हूं। कोआपरेटिव सोसाइटियों के सत्यापन कराने का माननीय मन्त्री जी ने काम शुरू किया है मगर वह विभागीय अधिकारियों द्वारा ही कराया जा रहा है जिससे सत्यापन ठीक नहीं हो पा रहा है। इसको दूसरे विभाग के अधिकारियों से कराया जाये। इस विभाग के भ्रष्टाचार को दूर कराया जाये ताकि ग्रामीण किसानों पर जो गलत कर्जे लदे हुये हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिल सके।

अब मैं आपका ध्यान कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। सन् १९६७ से आज तक वहां से कोई भी कांग्रेसी उम्मीदवार जीत कर नहीं आ पाया है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पिछले १६ वर्षों से कोई कार्य नहीं हुआ है और वह क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। सरजू नदी हर वर्ष अपने बहाव को दक्खिन से उत्तर की ओर बढ़ा रही है और इस तरह से उसका पेटा बढ़कर ७ मील का हो गया है। अगर इसी तरह से उसका पेटा बढ़ता गया तो हमारी तहसील का एक चौथाई भाग कट कर साफ हो जायेगा। मैं माननीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे सरजू नदी के कटाव को कृपया रोकें। चीफ इंजीनियर ने मुझे बताया कि इस कटाव को रोकने के लिये १६ करोड़ रुपये खर्च होंगे, मगर उसके कटाव को रोकने से जो भूमि हमें उपलब्ध होगी उसकी कीमत १६ अरब रुपये होगी। तो १६ अरब की भूमि को १६ करोड़ रुपये खर्च करके बचाने की जरूरत है। बस्ती जिले की रक्षा के लिये सरजू के कटाव को रोकना बहुत जरूरी है। अयोध्या में जो पुल बना है उसका रुख कुछ इस तरह से हो गया कि उसके कारण नदी का कटाव उत्तर की तरफ बढ़ता जा रहा है। माननीय सिंचाई मन्त्री जी इस ओर शीघ्र ध्यान देने की कृपा करें। मैं अन्य विभाग के मन्त्रियों से भी निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने की कृपा करें। हमारा क्षेत्र १६ वर्षों से पिछड़ा हुआ है।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मैं इस बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और इसकी सबसे ज्यादा आबादी है। राजनैतिक मर्यादा भी इस प्रदेश की बहुत बड़ी है। इसलिये प्रदेश के अन्दर और बाहर लोग हर मसले पर

हमारी ओर देखते हैं, हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अगुवाई करे। आज सारे देश में एक प्रश्न की चर्चा है और वह है केन्द्र तथा राज्यों के बीच के सम्बन्धों की। हमारे देश के १२ राज्यों के मुख्य मंत्रियों न यह मांग की है कि राज्यों को अधिक अधिकार दिये जायें। दूसरी तरफ यह भी बात उठ रही है कि केन्द्र के हाथ मजबूत किये जायें। मान्यवर, यह देखा गया कि पहले जब इन्दिरा गांधी जी के समय में उनके हाथ मजबूत किये गये तो एक व्यक्ति की तानाशाही देश में कायम हुई, आज जब केन्द्र के हाथ मजबूत करने की बात कही जा रही है तो उससे क्या सामूहिक तानाशाही कायम नहीं होगी ? क्या उस ओर यह एक कदम नहीं होगा। इस अहम प्रश्न पर हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने कोई रवैया नहीं अपनाया। अगुवाई की बात तो दूर रही, उन्होंने मांग का समर्थन तक नहीं किया। हमारी सरकार को उन १२ मुख्य मंत्रियों की मांग का समर्थन करना चाहिये।

इस बजट में ग्रामोन्मुखी की बात कही गयी है। कहा गया है कि यह बजट ग्रामोन्मुखी है और गांवों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि गांवों में रहने वाले चंद लोग जो अमीर हैं उनके हित के लिये किये जाने वाले कामों को अगर हम कहेंगे कि हम गांवों की तरफ जा रहे हैं तो यह उचित नहीं मालूम होता। इसी सिलसिले में मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं कि इस वर्ष के लिये ७८६ करोड़ रुपये का परिव्यय निश्चित किया गया है, ग्रामीण विकास के लिये। यह १६ प्रतिशत पिछले साल से अधिक है। पिछले साल यह ४१ प्रतिशत था, इस साल यह ५० प्रतिशत है। किस मद में खर्च किया जायगा उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। १११.५२ करोड़ रुपया सिंचाई में, २७५.८६ करोड़ रुपया विद्युत में और १३.३३ करोड़ रुपया लघु उद्योगों में खर्च किया जायगा। चाहे बिजली हो या सिंचाई के साधन हों जिन मदों में पैसा खर्च किया जाने वाला है, इसका फायदा पंहुचेगा किन लोगों को, उन लोगों के जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं और जो ५६ लाख खेतिहर मजदूर हैं उनके बारे में सरकार ने नहीं सोचा। सरकार ने ३१/८ एकड़ तक की छूट दी है लगान में। लेकिन उनकी हालत के बारे में नहीं सोचा है कि पैसा जो खर्च किया जा रहा है उसका लाभ बराबर पंहुचेगा या नहीं ? ऐसे ७० फीसदी किसान और ५६ लाख खेतिहर मजदूर इससे लाभान्वित नहीं होंगे। अगर उनको लाभ भी होगा तो बहुत थोड़ा होगा। इसलिये ग्रामोन्मुखी की बात कहना यह इस बजट के लिये न्याय संगत नहीं है। मैं समझता हूं कि गांवों की मर्यादा को यह धक्का पंहुचाया जा रहा है।

जैसा मैंने अभी कहा चूंकि हमारे प्रदेश की राजनीतिक मर्यादा बड़ी है इसलिये हमको हर मसले पर अगुवाई करनी चाहिए, लेकिन जिन मसलों पर हमको अगुवाई करने की जरूरत है उन मसलों पर अगुवाई नहीं कर रहे हैं। कुछ मसलों में अगुवाई जरूर कर रहे हैं जैसे भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त बनाया गया है। लोकायुक्त चाहे मन्त्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत हो चाहे मुख्य मन्त्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत हो, उन शिकायतों की जांच करेगा। अभी थोड़े दिनों पहले बेरोजगार उद्यमकर्ताओं ने सिंचाई मन्त्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक पूरा पुलिंदा उनके पास भेजा और कहा कि जांच होनी चाहिये। लोकायुक्त कहते हैं कि हम असमर्थ हैं, तो वह लोकायुक्त सत्ता के अन्दर जो लोग हैं उनके बारे में जांच नहीं कर सकते हैं। कहां जांच करेंगे ? जब किसी जांच का नतीजा आयेगा तभी कहा जा सकता है। हर मसले में भ्रष्टाचार है। जनता को खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा, पानी की तरह

[श्री राम आसरे वर्मा]

बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो प्रशासन है, उसके हर अंग में व्याप्त है, अगर उस पर कड़ा कदम नहीं उठाया गया, अंकुश नहीं लगाया गया तो जनता के साथ किसी भी तरह से वह न्याय संगत नहीं कहा जायगा । यही कहा जायगा कि आप अपने संकुचित स्वार्थों और संकुचित हित के लिये जनता की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं ।

मान्यवर, मैं अब बेरोजगारी की बात पर आता हूं । हम देख रहे हैं कि दिन प्रति दिन बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं । आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये योजनायें सृजित कर रहे हैं लेकिन कोई योजना आज तक पेश नहीं हो पायी जिससे दावा किया जा सकता कि इस योजना से बेरोजगारी दूर की जा सकती है । कुछ लोग उद्यम कर्त्ता हैं, बेरोजगार हैं उनको ट्रैक्टर दिलवाये गये और कहा गया कि काम दिया जायगा । जब काम मांगा जाता है तो उनको काम नहीं दिया जाता है । इसके अलावा उनके ट्रैक्टर नीलाम करवाये जा रहे हैं और वह जेल भेजे जा रहे हैं कर्जा वसूल करने के नाम पर । अगर इसी तरह का सिलसिला रहा तो मैं कहता हूं कि पूरा प्रदेश एक दिन इसी तरह से बेरोजगार हो जायगा ।

मान्यवर, पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक साहस का काम किया है बेरोजगारों को भत्ता देने का । उसने एक और काम किया है जमीन जोतने वालों को इस सिद्धान्त के कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाये हैं । लेकिन हमारी सरकार, जो दूसरे प्रदेशों में इस तरह के काम हो रहे हैं, वैसा कुछ कहने और करने से पूरी तरह मुकर रही है ।

मान्यवर, इस बजट में निर्बल वर्ग के लोगों पर आने के मैं एक हरदोई जिले के राजस्व मन्त्री हैं वहां की कहानी बता दूं । वहां ऐसा मालूम पड़ता है कि एक मात्र तानाशाह वहां के वही बन गये हैं । प्रशासन का नीचे से ऊपर तक का अधिकारी उनके इशारे के बिना काम नहीं कर सकता है । विरोधी पक्ष या जनता पक्ष के विधायकों की हिम्मत नहीं है कि अधिकारियों के सामने जायं और अपनी सही बात तक को मनवा सके । हर अधिकारी कहता है कि राजस्व मन्त्री का मामला है । चाहे वह कत्ल का मामला हो या डकैती का एक बार हमारे राजस्व मन्त्री के भाई श्री गंगा भक्त सिंह जब यहां सहकारिता मन्त्री थे तो उस समय पंडित हीरालाल का कत्ल हुआ था । आज शारदा भक्त सिंह जी राजस्व मन्त्री हैं तो सुन्दर लाल पांडेय का कत्ल हुआ है । उनके कातिलों को गिरफ्तार करना तो दूर रहा मन्त्री जी का पैगाम पहुंच गया, उसके घर पर पहरा लगा दिया गया कि कहीं विरोधी हमला न कर दें क्योंकि वह कातिल मन्त्री जी के रिश्तेदार हैं । इसलिये वहां मन्त्री जी हैं और जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं । मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस बजट में निर्बल वर्ग के लोगों की बात कही गयी है । उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के साथ इस शासन में किस तरह का व्यवहार किया गया है मैं उसकी कुछ मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, हरदोई जिले के शाहबाद में सायराबानू नाम की एक औरत है । उसके घर मे पुलिस जाती है और उसके दरवाजे तोड़कर उसके साथ अनाधिकार चेष्टा का प्रयास करती है । इसी तरह बस्ती में कप्तानगंज थाना, केउटली में एक पिछड़ी जाति, श्री महाबीर के घर पर पुलिस जाती है और लूट पाट करती है तथा एक व्यक्ति को मार कर लाश को गायब कर देती है । कई लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है । और भी शर्म की बात है कि पुलिस द्वारा एक १३ साल की बच्ची के साथ

बलात्कार किया जाता है । इसके अलावा लखीमपुर खीरी में सरदार गुरूबास सिंह नामक फारमर ने एक हरिजन लड़की को हाथ पैर बांध कर जला दिया और उसको उसके झाले में ही जला दिया । इसी तरह प्रगतिशील आश्रम के १०-१० साल के बच्चों द्वारा न्याय पूर्ण आवाजे उठाने में संगीन अपराध में पुलिस द्वारा बन्द किया जाता है ।

मान्यवर, आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति अपनाई थी और सारे देश को हिन्दू मुसलमानों में बांट दिया था । कांग्रेस ने हरिजन और गैर हरिजन बना दिया और अब जनता पार्टी पिछड़ी जाति के नाम पर पूछ पकड़कर वैतरणी पार करना चाहती है आरक्षण का आर्थिक आधार बनाया जाए ताकि सभी जातियों के निर्बल लाभान्वित हो सकें ।

मान्यवर, अंत में मैं एक बात और कहूंगा कि नसबन्दी ने कांग्रेस का सफाया किया । आप मद्य निषेध लेकर चले हैं । मुझे डर है कि नसबन्दी ने कांग्रेस का जनाजा निकाला कहीं नशाबन्दी (मद्य निषेध) जनता पार्टी का जनाजा न निकाल दे ।

* श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया ।

माननीय, वित्त मन्त्री जी ने वर्ष १९७८-७९ का जो बजट प्रस्तुत किया है मैंने उसको पढ़ा है और अब तक जो माननीय सदस्य इस सम्मानित विधान सभा के अंदर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं उनको ध्यान में रखते हुये मुझे ऐसा लगता है कि अपना यह बजट जो वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है यह जनता पार्टी के ग्रामोन्मुखी नीति के अनुरूप है, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य को साकार करने वाला है । इसलिए मैं यह कह रहा हूं क्योंकि इसमें सारी चीजें व्यक्त की गयी हैं जैसे कि ग्राम स्वास्थ्य रक्षक योजना से लिए १०० ग्रामीण औषधालय इस नये वित्त वर्ष में खोले जायेंगे, ५० एलोपैथिक औषधालय, ३० होम्योपैथिक औषधालय तथा ३४ आयुर्वेदिक औषधालय खोले जायेंगे । इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है ।

साथ ही साथ न्याय पंचायत स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की भी योजना बनायी गयी है जिसमें लगभग ७१०० शिक्षा केन्द्रों को प्रस्तावित किया गया है जो जनता पार्टी के इस नीति के अनुरूप है कि दस वर्ष में प्रदेश के अंदर जो लोग निरक्षर हैं उन्हें साक्षर बनाया जायगा । साथ ही साथ मान्यवर, जिस समय जनता पार्टी गठित हुई और जनता पार्टी सरकार बनी उस समय २१ अगस्त, १९७७ को अपने केन्द्रीय जनता पार्टी के नेताओं की एक वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें उन्होंने यह कहा कि हमारी जो सरकार काम करेगी वह कृषि को प्राथमिकता देगी, गांवों के विकास के लिए काम करेगी । इस आधार पर हम ने देखा कि हमारी लोकप्रिय उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी की सरकार ने गांवों के विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाया है वह गांव के लोगों की जिन्दगी को ऊपर उठाने के लिए, लोगों को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हैं ।

साथ ही साथ मान्यवर, कभी-कभी हमको केन्द्र से बहुत ही कम सहायता मिल पाती थीं क्योंकि जो सहायता होती थी वह केन्द्र के करों के आधार पर होती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला प्रसाद वर्मा]

थी लेकिन अभी सातवें वित्त आयोग से अपने वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने तथा अपन मंत्रि मंडल के माननीय सदस्यों ने आग्रह किया कि केन्द्र के करों के आधार पर इस प्रदेश को सहायता न दी जाय बल्कि आबादी और साथ ही साथ इसके पिछड़ेपन को आधार मान जाय। यही कारण है कि अब केन्द्र के द्वारा इस प्रदेश को अधिक सहायता दी गयी।

साथ ही साथ कहने के लिए तो यह कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में अपना उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी अपने जो पूर्वान्चल जिले हैं वे अधिक पिछड़े हुये हैं। पूर्वान्चल जिलों में भी फैजाबाद मंडल पिछड़ा हुआ है और उसमें भी जो जिले हैं जैसे बहराइच और गोण्डा ये जिले सर्वाधिक पिछड़े हुये हैं। जब बजट में इनके लिए प्राविधान किया जाता है तो इन जिलों को भुला दिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर जहां आपने असंतुलन समाप्त करने के लिये कदम उठाये वहां इस बात को भी ध्यान में रखा जाय कि प्रदेश के अन्दर जो जनपद पिछड़े हुये हैं और उन जनपदों के अंदर भी सभी क्षेत्र विकास खंड जो पिछड़े हुये हैं उनका असंतुलन समाप्त करने के लिए भी आपने कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बजट पेश किया गया है उसमें कृषि पर विशेष बल दिया गया है। यह सही है कि १ लाख ६२ हजार गांव में ८६ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है लिहाजा निश्चित रूप से कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और दी गयी है। इसके साथ-साथ सिंचाई भी कृषि का प्रमुख अंग है और उस पर भी इस लोकप्रिय सरकार ने २० प्रतिशत से अधिक धन खर्च करने के लिये प्रस्तावित किया है। बहराइच जिले में जहां से शारदा सहायक परियोजना निकलती है बायीं तटीय घाघरा नहर की योजना है। यह योजना बहराइच, गोंडा, बस्ती तथा गोरखपुर के दक्षिण से होकर जायगी लेकिन बहराइच तथा गोंडा के उत्तर में नेपाल से मिला हुआ जो ४० मील का क्षेत्र है उसमें कोई सिंचाई का प्राविधान नहीं किया गया है। केन्द्रीय भूगर्भ संस्थान द्वारा केवल २ राजकीय नलकूप वहां बनाये गये हैं। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में सिंचाई की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये। सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

इसके साथ ही साथ कृषकों द्वारा उत्पादित जो अन्न है उसको बाजारों तथा मंडियों तक पहुंचाने के लिये सरकार ने जो सड़कों की व्यवस्था की है उस योजना को सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में भी लागू करना चाहिये। जब मैं अपने क्षेत्र को देखता हूं तो एक सड़क को छोड़कर कोई दूसरी सड़क वहां नहीं है।

शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि शिक्षा के सम्बन्ध में गुणात्मक सुधार की योजना बनाई गयी है। यदि शिक्षा के द्वारा सरकार इस प्रदेश की बेकारी को दूर करना चाहतीं है तो क्रियात्मक शिक्षा प्रणाली को भी लागू करना होगा ताकि पढ़ाई के बाद लोगों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे ग्रामीण विकास साथ-साथ हो सके तथा उसके द्वारा लोगों को रोजगार मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मन्त्री द्वारा जो प्रस्तुत बजट है उसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

* श्री नरेश चन्द्र (जिला बदायूं)--

अधिष्ठाता महोदय, वित्त मन्त्री ने जो १९७८-७९ का बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं खुले दिल से समर्थन करता हूं। इस बजट में जो कमियां रह गयी हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अथवा जो मेरे अपने सुझाव हैं उनको ही सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। आज सबसे अधिक चर्चा का विषय है पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाना। पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की नीति वर्ग १, २ और ३ के अन्तर्गत है जिसमें उनको १५ परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है। आज इस आरक्षण के विरोध में बड़ी-बड़ी आलोचनायें की जा रही हैं। मैं इस सदन के सामने यह कह देना चाहता हूं कि जो भी जनता पार्टी के सदस्य या चोटी के नेता इस सदन में, लोक सभा में या बाहर इस आरक्षण की आलोचना करते हैं उनको जनता पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिये।

जिस समय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र जारी हुआ था उसमें यह कहा गया था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को २५ से लेकर ३३ प्रतिशत तक आरक्षण दिया जायेगा। उस घोषणा-पत्र को जारी करके ही हम लोगों ने चुनाव लड़ा। पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रलोभन देकर के, उनसे वोट लेने के बाद आज सदन के अन्दर बैठकर हम यह आलोचना करते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिये तो यह बड़े शर्म की बात है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय डाक्टर लोहिया ने यह घोषणा की थी कि ६० प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिये। स्वर्गीय दीन दयाल उपाध्याय ने भी बराबर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यह कहा था कि पिछड़े वर्ग के लोग दरिद्र नारायण हैं जब तक इनको प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा, इनके लिए आरक्षण नहीं रखा जायेगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, लेकिन उन्हीं के अनुयायी इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिये।

मद्रास की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ३१ प्रतिशत, केरल ने ३८ प्रतिशत, आंध्र प्रदेश की सरकार ने २५ प्रतिशत, बिहार ने २२ प्रतिशत, कर्नाटक ने ५८ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल १५ प्रतिशत ही आरक्षण रखा है। यह बहुत कम है। इसको २५ प्रतिशत से लेकर ३३ प्रतिशत तक होना चाहिये। अगर यह नहीं बढ़ाया गया तो जो जनता पार्टी ने अन्त्योदय का नारा लगाया है, जैसा कि मैं इस अन्त्योदय का मतलब समझा हूं वह यह है कि पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग लोगों को ऊंचा उठाया जाय, उन्हें हर साधन और सुविधायें उपलब्ध कराई जायं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस आरक्षण के बारे में कहा जाता है कि आरक्षण एक जाति विशेष के लिए है। ऐसा कहना बिलकुल अन्यायपूर्ण बात है। यहां पर ३७ जातियां हिन्दुओं में और २१ जातियां मुसलमानों की हैं। हम अगर हिन्दू और मुसलमान की बात करते हैं तो वहां जातिवाद पैदा हो जाता है यह बिलकुल गलत है। मैं सदन के सामने संविधान की धारा १५ के क्लाज ४ में यह दिया है कि—

15. (4) Nothing in this Article or in clause (2) of Article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Schedule Castes and schedule tribes.

यह प्राविधान था। धारा १६ में भी इसी तरह का प्राविधान पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किया गया है। जब संविधान में इनके लिए प्राविजन है तो क्यों उसे पूरा नहीं किया जा रहा है? पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? उन लोगों ने भी नहीं किया जो पहले कांग्रेस शासन में रहे और आज जनता पार्टी में हैं। आज जब रिजर्वेशन कर दिया गया है तो हाय तोबा मचाई जा रही है। आज जनता पार्टी की सरकार ने रंगमंच पर जो नारा दिया है

[श्री नरेश चन्द्र—]

आरक्षण के विषय में, अगर वह पूरा नहीं किया तो उस हालत में यह सरकार भी कभी कामयाब नहीं हो सकती है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९५३ में राष्ट्रपति के आदेश से काका कालेलकर कमीशन गठित किया गया था और उस कमीशन को पिछड़े वर्ग के बारे में अपनी रिपोर्ट देनी थी । । सन् १९५५ में उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी । किन्तु सन् १९५५ से लेकर आजतक उस रिपोर्ट पर अमल नहीं किया गया और न ही वह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई । आज दूसरा कमीशन बिठाने की बात की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि जब एक कमीशन बन चुका था तो उसका कार्यान्वयन क्यों नहीं हुआ ? दूसरा कमीशन बनने पर और उसकी रिपोर्ट आने पर १०–२० साल लग जायेंगे ।

इसके साथ–साथ मैं न्याय मन्त्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जनता सरकार बनते ही न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतन्त्रता दी गई लेकिन पर्याप्त स्वतन्त्रता देने का यह मतलब नहीं है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हो । आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर बिकता न हो । मुंसिफ कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट तक ५ सौ, एक हजार, दो हजार में निर्णय बिकते हैं । मेरे जिले में भी तीन चार अदालतों को छोड़ कर बाकी सब में निर्णय बिकते हैं । इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था की जाय की डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर विजिलेन्स कमेटी कायम की जाय जो उन वकीलों और प्रिसायडिंग आफिसर्स पर निगाह रखें ताकि वह भ्रष्टाचारी तरीके न अपना सकें ।

एक और बात जैसा कि एक माननीय सदस्य ने सुझाव रखा था मैं भी उससे सहमत हूं । शिक्षा व्यवस्था में हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें छात्र संघ के नाम पर उदंडता आ रही है । जो (ला एण्ड आर्डर) की समस्या सरकार के सामने है उसमें हमारे स्टूडेंटस का भी हाथ है । 'ला एण्ड आर्डर' की प्राब्लम को खतम करने के लिए एक कदम यह भी उठाना पड़ेगा कि या तो ये यूनियन्स समाप्त कर दी जाय और अगर उसमें कठिनाई हो तो यूनियन्स की सदस्यता ऐच्छिक कर दी जाय । इसको कम्पलसरी न किया जाय यह जरूरी नहीं होना चाहिए कि हर स्टूडेंट को उसका सदस्य होना है इससे यह जमघट तैयार नहीं होगा जैसा कि माननीय चौधरी चरण सिंह जब मुख्य मन्त्री थे उस समय किया गया था ।

एक सुझाव और दूंगा । आज मेडिकल और इंजीनियरिंग ग्रेजुवेट्स जो २०, २० और २५, २५ हजार रुपये खर्च कर निकलते हैं, जो मां बाप की गाढ़ी कमाई खर्च करते हैं तो बाद में वह सड़कों पर घूमते हैं उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है । इस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है । अगर कोई व्यक्तिगत रोजगार शुरू करना चाहता है तो उसको सुविधा मिलनी चाहिये । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । जल निगम में एक इंजीनियर ग्रेजुएट ने ठेका लेना चाहा पानी की टैंक बनाने के लिए उसके लिए उससे ३० हजार रुपये 'सिक्योरिटी मनी' मांगी गयी जो कि उसके पास नहीं था उसके लिए मैं निगम के डायरेक्टर तक से मिला लेकिन कहा गया कि सिक्योरिटी हर हालत में देनी पड़ेगी । जिस इंजीनियर को नौकरी न मिली हो जो बड़ी मुश्किल से ठेका लेने जा रहा हो वह इतनी रकम कहां से दे देगा ? उससे थोड़ा थोड़ा करके पैसे लेते । अगर इस तरह से हुआ तो सारे मेडिकल ग्रेजुएट्स और

इंजीनियर हताश हो जायेंगे और इससे असन्तोष फैलेगा। इसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, मैं गन्ना विकास मन्त्री को भी एक सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, यह बजट जो ग्रामोन्मुखी है और कहा जाता है कि भारत की ८५ प्रतिशत जनता गांवों में बसती है। काश्तकारों के लिए हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस गन्ना विकास विभाग का नाम बदल कर गन्ना विनाश विभाग कर दिया जाय या फिर इस विभाग को समाप्त कर दिया जाय।

श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनता सरकार ने अपने अल्पकालिक शासन काल में समता और समानता के आधार पर ८६ प्रतिशत देहात में रहने वाली गरीब जनता के हित को ध्यान में रखकर, लाखों करोड़ों दलित वर्ग के लोगों का हित ध्यान में रखकर जो बजट पेश किया है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। जहां सरकार ने घोषणाएं की कि ग्रामों के हित में योजनाएं बनाई जाएंगी, उस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि अभी शासन बदला है प्रशासन नहीं। और जब तक तदनुसार प्रशासन भी नहीं बदलेगा इन योजनाओं का भली भांति कार्यान्वयन सम्भव नहीं है, जिससे ग्रामीण अंचलों का विकास हो सके। इस अफसरशाही पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो सरकार की चाहे जितनी अच्छे-अच्छी योजनायें हों, चाहे जितना पैसा दिया जाये, गांवों का विकास सम्भव ही नहीं है। आज आए दिन तरह-तरह की घटनायें घट रही हैं, रोज हड़तालों का तांता लगा हुआ है, उस सबका दोष मैं एक ही समझता हूं कि ३० साल तक शासन में रहने वाले कुछ व्यक्ति जो सत्ता के लोभ में आज लालायित हैं, सड़कों पर अराजकता फैलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यदि इस पर नियन्त्रण नहीं किया गया तो १८ महीने में हम जो स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, वह लोकतन्त्र के लिए अति घातक हो सकती है। इमरजेंसी के दिनों में जिन भ्रष्टाचारी लोगों ने बुद्धिमानों और जनप्रतिनिधियों पर अत्याचार किया था, उनका अपमान किया था, मेरा अनुरोध है उनके आचरण की जांच कराई जाए और दोषी पाये जाने वाले समस्त लोगों को कठोर सजा दी जाय, ताकि हम विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें कि भ्रष्टाचार के नाम पर किसी व्यक्ति को वह चाहे कितना ही बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। मान्यवर, मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ऐसे कदम अवश्य उठाने का प्रयास करेगी।

जहां जिस मन्त्री ने ८६ प्रतिशत जनता का ध्यान रखकर योजनायें बनाई हैं, शिक्षा के विकास के लिए भी सरकार सोच रही है। मान्यवर, जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, कोई योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पायेंगी और न व्यक्ति अपने विकास के लिए सोच पायेगा। हमारे प्रदेश में दोहरी शिक्षा पद्धति जो चल रही है, उस पर प्रदेश सरकार ने शायद विचार भी नहीं किया है। एक प्रकार के स्कूल में लायक बच्चे बनाये जायें और दूसरे प्रकार के स्कूल में नालायक बच्चे बनाये जाएं, यह बिल्कुल उचित नहीं है। देहात के स्कूलों में जहां कुछ स्कूलों में नालायक बच्चे बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे जनपद में १५४ नये स्कूल खोले गए, लेकिन उनके लिए एक भी नया अध्यापक नियुक्त नहीं किया गया, उनके लिए पुराने स्कूलों से ही अध्यापक ले लिए गए। उसका परिणाम यह है कि अनेकों स्कूलों में अध्यापक ही नहीं हैं। ४० लड़कों पर एक अध्यापक की जो घोषणा सरकार ने की थी, उसके विपरीत १००-१००

[श्री राम नरायन वर्मा—]

व १५०-१५० छात्रों पर एक अध्यापक है और वे अध्यापक भी ऐसे हैं कि मर्जी हुई तो स्कूल गए, इच्छा नहीं तो स्कूल नहीं गए । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार के प्राइमरी स्कूलों पर अवश्य ध्यान दे, अन्यथा आगे आने वाली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की ही तरह रह जायेगी ।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं । प्रधान मन्त्री, भारत सरकार ने घोषणा भी की है कि १० साल के अन्दर हम निरक्षरता दूर कर देंगे, लेकिन मेरे विचार से इसके माध्यम से अध्यापकों को पेंशन ही दी जा रही है । जो अध्यापक दिन में पढ़ाने नहीं जाते हैं, वे रात में क्या जायेंगे ? मेरा सुझाव है कि इनमें व्याप्त गड़बड़ियों को रोकने के लिए इनको अपने घर से कम से कम ५०० किलोमीटर की दूरी पर अवश्य भेजा जाए ।

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने घोषणा की है कि ग्रामीण अंचलों के लिए १८४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक योजना प्रारम्भ कर दी जायेगी । तो मान्यवर, एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने की सोच रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार क बढ़ावा देने के भी सोच रही है । यह झोला डाक्टर (कंपक) अनाड़ी डाक्टर क्या समझ सकेंगे कि जन स्वास्थ्य क्या होता है ? ऐलोपेथिक दवाओं का प्रयोग करेंगे, उसका शरीर के किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको वह नहीं समझ पायेंगे । मान्यवर, सरकार की योजना का मैं वास्तव में विरोध करता हूं । माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने देहात के उन गरीब किसानों के स्वास्थ्य के लिए कभी कल्पना नहीं की कि जो हम लोगों को रोटी देता है, उनका स्वास्थ्य कैसे सुरक्षित रहेगा । ५० से १०० रुपया वेतन पाने वाला जो तीन महीने के लिए ट्रेनिंग पायेगा, उसे क्या पता होगा कि कौन सी दवा किस अंग पर क्या प्रभाव डालेगी । मुझे पूरा विश्वास है कि वे यदि एक रोग को दूर करेंगे तो ५० नये रोग पैदा कर देंगे । सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दो डाक्टर नियुक्त किये जायेंगे । आपकी घोषणा का परिणाम यह है कि मेरे क्षेत्र में तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं । एक पर डाक्टर है । दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोई डाक्टर नहीं है । एक में कुछ दिन डाक्टर रहता है तथा कुछ दिन डाक्टर ही फरार है । घर पर रह कर सिर्फ वेतन प्राप्त करना मात्र उद्देश्य है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस पिछड़े क्षेत्र की तरफ भी ज्यादा ध्यान दें । मैंने कई बार शासन से अनुरोध किया कि सीतापुर जनपद में जो महमूदाबाद क्षेत्र है, जिसमें महमूदाबाद, पहला, रामपुर मथरा और तीन ब्लाक्स हैं, इस गांजरी क्षेत्र में पांच नदियां पड़ती हैं । इस क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय । इस बजट सत्र में कोई भी उसके लिए प्राविधान नहीं किया गया है । घाघरा और चोका नदियों पर पुलों की जरूर व्यवस्था करा दी जाय, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है । पानी का धरातल इतना नजदीक है वहां बहुत कम परिश्रम से अच्छी फसल होती है । लेकिन आने जाने के समुचित साधन न होने के कारण यदि दाल शहर में तीन चार रुपये किलो बिकती है तब गांजरी क्षेत्र में पचास पैसे और एक रुपये किलो बिकती है । नमक, शक्कर बीड़ी तम्बाकू जो बाहर से आती है बरसात के दिनों में जब रास्ते बन्द हो जाते हैं तो १ रु० किलो नमक, ५ रु० किलो शक्कर, १ रु० का बीड़ी बन्डल तथा १ रु० का तम्बाकू की पुड़िया बिकती है । आने जाने के साधन तथा क्षेत्र में सड़कों के न होने से चीजों के दाम बहुत घटते बढ़ते हैं । कृपया इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें ।

सरकार ने घोषणा की थी कि गांवों का विकास हो, बेरोजगारी दूर हो। इस उद्देश्य से छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए कुटीर उद्योग को सरकार प्राथमिकता दे रही है। हमें लगता है कि माननीय चीनी उद्योग मन्त्री इसी उद्देश्य से चीनी मिलों की योजना को निरस्त करने की सोच रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसान सहकारी चीनी मिल के सम्बन्ध में झूठी रिपोर्ट जबरदस्ती जिलाधीश से कुछ मन्त्रियों ने दबाव डाल कर गलत रिपोर्ट मंगायी है कि इस क्षेत्र में गन्ना नहीं है, सड़कें नहीं है। मेरा माननीय चीनी उद्योग मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री से अनुरोध है कि इसकी सही जांच करायें कि उस क्षेत्र में कितना गन्ना पैदा होता है। ऐसे ही झूठी मनगढ़ंत रिपोर्ट के आधार पर चीनी मिल न निरस्त करें। गन्ने की जो विषम स्थिति है वह सर्वविदित है। जरवल चीनी मिल पर २६ लाख रुपया बकाया है। इसे भी देने की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। दो रुपये क्विंटल गन्ना आज भी मेरे जनपद में बिक रहा है। माननीय चीनी उद्योग मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध है कि किसान सहकारी चीनी मिल को गन्ना की पैदावार देखकर अवश्य लगवाने की कृपा करें।

(लाल बत्ती जलने पर)

मावर, दो मिनट और दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

तो कहिये एक वाक्य में।

श्री राम नरायन वर्मा—

इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे दिए गये सुझावों पर विचार करें और मैं यह कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मझे जो आज बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। मान्यवर, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है उसकी ओर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस बजट में बलिया की बहुत ही उपेक्षा की गई है। यह जिला इस प्रदेश के बिलकुल पूर्वी छोर पर बसा है। वहां की समस्यायें हैं और उसका विकास करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आजादी को मिले हुए इतने वर्ष हो गये लेकिन अब भी इस प्रदेश में टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटीज हैं वहां पर जमींदारी प्रथा चालू है। पिछली सरकार की ओर से तमाम अध्यादेश जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में निकाले गए लेकिन जो पिछली सरकार थी और आज की सरकार जो है, ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है।

माननीय वित्त मन्त्री जी यहां पर मौजूद हैं, मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन निकायों में अभी-अभी जमींदारी समाप्त नहीं हुई है। किसान अपने घर को बना नहीं सकता है। जो जमींदार जिस टाउन एरिया में होता है वह उसका मालिक होता है वह किसानों को और गरीब लोगों को घर बनवाने में नुकसान पहुंचाता है। हमारे ही क्षेत्र में रेवती और सहतवार को टाउन एरियाज है वहां पर अभी भी जमींदारी समाप्त नहीं हुई है। वहां पर तहबजारी वसूल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बच्चा पाठक—]

को जाती है । हमारी सरकार ने व्रत लिया है कि जो कमजोर वर्ग हैं उनकी सहायता की जायेगी लेकिन निकायों में उनको सताया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रहीं है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के आदेश प्रसारित किए जाये जिससे कि इन निकायों को जो जमींदारी है वह समाप्त हो जाये और वहां की रहने वाली जनता को शान्ति मिल सके और वह अपने को आजाद समझे । इन जमींदारों से शासन को भी नुकसान उठाना पड़ता है । ये तमाम प्रकार के टैक्स वसूल करती हैं और देखने में आता है कि आये दिन हड़ताल हुआ करती हैं क्योंकि ये अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं करती हैं । टाउन एरिया जो हैं उनकी आमदानी के स्रोत नहीं हैं ।

मान्यवर, वहां पर जमींदार लोग हजारों रुपया तहबाजारी के रूप में वसूल करते हैं । अगर वहां पर जमींदारी समाप्त करके सरकार उस तह बाजारी का वसूलना अपने हाथ में ले तो जो वहां का कमजोर वर्ग है, सफाई मजदूर हैं जिनको हड़ताल के समय में कुछ नहीं मिल पाता उनको सरकार द्वारा वेतन दिलाया जा सके । मेरी पुनः प्रार्थना है कि यह सरकार इन टाउन एरियाज की इकाइयों से जमींदारी को जल्द से जल्द समाप्त कर दे ।

दूसरी बात, जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें 'गांवों की ओर चलेंगे' का मार्ग दर्शन तो किया है लेकिन मैं उनका ध्यान अपने जनपद के ग्रामीण अंचलों की ओर दिलाना चाहता हूं । हमारे यहां का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि ग्रामीण अंचलों में सड़कों की ओर ध्यान नहीं दिया जायगा । जब तक छोटी-छोटी सड़कों को बड़ी सड़कों से नहीं मिलाया जायगा तब तक ग्रामीण अंचलों का विकास नहीं हो सकता है । ग्रामीण अंचलों में छोटी-छोटी सड़कों की जो पहले हालत थी, वही आज भी है । हमारे क्षेत्र में बांसी विधान सभा क्षेत्र हैं । वहां पर केन्द्रीय सरकार द्वारा एक ग्रामीण विकास का पाइलट योजना चलाई गई थी जिसके द्वारा सड़कों का निर्माण तो हुआ लेकिन उनके रख-रखाव और मरम्मत के लिए इस बजट में कोई पैसा नहीं दिया गया है । परिणाम यह होगा कि पिछली सरकार ने जो पाइलट योजना के अन्तर्गत सड़कें बनायीं थीं, वे समाप्त हो जायेगी और क्षेत्र के अन्दर जो विकास हो रहा था, उसका मार्ग अवरुद्ध हो जायगा ।

जहां तक सिंचाई विभाग का सम्बन्ध है हमारे जनपद में गंगा और घाघरा प्रत्येक वर्ष जनपद की भूमि काटती है । पिछली सरकार ने जहां पर कटान होना था जैसे पटोडी आदि स्थानों पर वहां पर ठोकरों की योजना बनायी थी लेकिन इस बजट में मैं देखता हूं कि इन नदियों के कटान को रोकने के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है । आज सरकारी तंत्र में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है अगर उसकी ओर ध्यान दें तो देखेंगे कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है । अभी अभी हंडिहा कलां और डुमरिया में जो सरकारी समितियों के चुनाव हुए वहां के जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने घोषणा कर दी कि चुनाव स्थगित कर दिया लेकिन दो दिन बाद जनपद के कार्यालय में निर्विरोध चुनाव करके भेज दिया । इस प्रकार का भ्रष्टाचार हमारे गांवों और शहरों में फैला हुआ है । हमारी केन्द्रीय सरकार जब से शासन में आयी वर्ष १९७७ में जब चुनाव हुआ तो सुखपुरा के थाने में उदय भान सिंह नाम का एक थानेदार है । उसने थाने में एक कुत्ता रखा है जिससे वह लोगों को कटवाता है और लोगों को पीटता भी है । अगर यह सरकार ग्रामीण अंचलों का विकास करना चाहती है तो जिस प्रकार से इसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी दिया था तो उनके विकास की चीजों की ओर यह ध्यान

दे । इस चुनाव के बाद जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर, अध्यापकों के ऊपर अत्याचार हुए और किसानों के ऊपर जो मालगुजारी वसूल करने में जो ज्यादतियां हुईं, उनसे पता चलता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है ।

श्री अधिष्ठाता--रुकिये, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बसंत (जिला देवरिया)---

मान्यवर, बजट के समर्थन में तो हम खड़े हैं ही लेकिन बात तो हमारी वहां तक पहुंच जाय और सदन भी समझ ले । आज हमको यह दूसरी बार है और हम चाहते हैं कि हम दिल खोल कर अपनी बात बतावें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप पूरी तरह खुल कर बतावें ।

*श्री बसंत--

हमारे देवरिया जिले में यह गन्ने का सवाल है । यह गन्ना, चीनी मिल जो है, यह बन्द होने का हल्ला हो गया है । यहां तक कि कप्तानगंज का एक कांटा, मेसई का कांटा ठीक न होने के कारण वहां पर हाहाकार मचा हुआ है । भटनी का भी गन्ना सूख जाने वाला है, वहां का भी कांटा बन्द पड़ा है, कई लोगों से सूचना मिल रही है । गन्ना आज हमारे यहां पर काफी मात्रा में है । हमारे यहां पर पिछले तीस सालों से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है । साथ ही साथ हम यह चाहते हैं कि किसानों का हजारों-हजारों का सामान, रास्ता न होने के कारण पड़ा रह जाता है, सड़ जाता है, वहां के हजारों-हजारों मवेशी मर जाते हैं । ऐसी दशा में उस गांव का रास्ता, सड़क से जोड़ दिया जाय कि दोनों तरफ से माल आये और जाये । साथ ही साथ हमारे इलाके में नहर काफी परिमाने पर है, वहां पर पुल नहीं है । हमारे यहां पर हाटा तहसील जो है वहां पर नहर पड़ती है। किसानों की खेती उस नहर के उस पार होती है, किसानों को अपनी खेती किसानी के लिए नहर पार करके जाना पड़ता है । किसानों को काफी दूर चल कर अपनी खेती तक जाना पड़ता है, क्यों कि नजदीक में पुल नहीं है । तो मेरा निवेदन है कि वहां पर नजदीक में पुल बनवाया जाय । साथ ही साथ वहां पर अस्पताल नहीं है और अस्पताल बिना बहुत नुकसान हो रहा है । जो लोग दूर-दूर से आते हैं, उनकी दवा दारू भी ठीक से नहीं होती है । साथ ही साथ हमारे इलाके में कन्या पाठशाला भी नहीं है । हाटा तहसील की मैं बात कर रहा हूं । हमारी तहसील में इस कांग्रेस शासन से लेकर आज तक पूरी तहसील के अन्दर कोई बस स्टेशन नहीं है । हाटा से लेकर गट्ठा छितौनी तक कोई बस स्टेशन नहीं है ।

मान्यवर, चकबन्दी का जो भ्रष्टाचार है, वह तो अपार है । तमाम दरख्वास्तें हम लोगों के समक्ष आ जाती हैं । हम तो यही कहते हैं कि हम आपके सिपाही हैं, अपने सरकार में भेजा है, आपका सुख-दुखः जो होगा वह हम सरकार के समक्ष रखेंगे और वहां की जो बातें होंगी, वह हम आपको बतायेंगे । मान्यवर जमीन का जो मामला है, जैसे सीलिंग की जमीन है, उसका मसला पड़ा हुआ है, अभी तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अभी-अभी गांव समाज की संपत्ति की बात कही गयी । जो गांव के शातिर लोग थे वह आज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बसन्त—]

सभापति बन गये हैं । वह जमीनें हड़प लिए हैं । जिनको मिलनी चाहिये उनको नहीं मिल रही है, यह दुख की बात है । जनता तो आशा लगाये थी कि जनता सरकार आ रही है, इतनी लहर आई हम लोगों में, लेकिन मालूम होता है यह लहर हवा के समान है ।बजट गरीबों के लिए है, अच्छा है, क्रान्तिकारी है, लेकिन जातियों के नाम रख लिए गए । हरिजनों में धोबी भी होता है, उसके लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है । न तो उसे चकबन्दी से घाट मिलता है कपड़े धोने के लिए और न कहीं और जगह से । वह भी समाज सेवी होता है । धोबियों के लिए गांव में घाट की कोई व्यवस्था नहीं है । पहले जमाने में कुछ समय आगे, ऊसर जमीन पड़ती की जमीन थी । उसे सब अपने काम में लिए जा रहे हैं । सोडा साबुन इतना महंगा हो गया हम समाज का काम भी नहीं कर सकते । अगर हमारी यही दशा रही तो उसी तरह से गांव भी गन्दा हो जायगा । तो हम कहते हैं कि "गांव की ओर चलो" तो धोबियों के लिए भी कुछ होना चाहिये । हरिजनों के लिए जैसे जूता बनाओ, मुरगी पालो, मुरगा पालो, सुअर पालो लेकिन धोबी के लिए गधा पालने का कोई मौका नहीं है । क्या वह समाज का आदमी नहीं है ? वह भी तो समाज का आदमी है ।

एक सवाल और है । पूरे प्रदेश की ऐसी हालत है कि क्या बतावें हमारे देवरिया में भी वही है कि तांता लग गया है चोरी और डकैतियों का । और परतनी एक गांव है जिसमें महान कृपा हुई है, उसको ओर ध्यान दिया जाय और सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठाये । कहां तक यह मामला पहुंचा, और हम लोग तो हैं । पुलिस कप्तान जो देवरिया में हैं उनको खराब तो क्या कहूं, लेकिन उनके रहते हुए ऐसे मनमाने काम हो जाते हैं ।

इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं और यह गरीबों का बजट है और मजदूरों का, मासूमों का, मजलूमों का सभी का बजट है । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

* डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री के बजट के समर्थन में बो ल रहा हूं । हमारी सरकार का गांव की ओर चलने का जो नारा है उस नारे को सफल साबित करन के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट में ग्रामों के लिए बजट रखा है, उससे गांवों का सुधार होगा तथा आज से पहले हमारे इस भारतवर्ष को लोग "सोने की चिड़िया" कहते थे । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि १० साल में, यदि इसी तरह हमारे वित्त मंत्री महोदय बजट गांव की तरफ रखते रहे तो ग्राम खुशहाल होंगे और हमारा भारत पुनः वही स्थान ग्रहण करेगा और सोने की चिड़िया कहलायेगा । इसमें दो राय नहीं । ८५ फीसदी गांव वासी अगर खुशहाल होंगे, सारी सुविधाएं होंगी तो हमारा भारत देश खुशहाल होगा । जैसे विदेशी लोग कहते हैं कि यह भूखा-नंगा देश है, ऐसी नौबत नहीं आयेगी ।

माननीय, कृषि के विषय में इस वित्तीय बजट में हर खेत को पानी और हर हाथ को काम के विषय में जो बजट रखा गया है, बिजली के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से हमारे हर खेत को पानी मिलेगा । गांव-गांव में सड़कें बन जायेंगी, नये नये उद्योग खुलेंगे, उनके माध्यम से हर आदमी को काम मिलेगा, हर मजदूर को काम मिलेगा । आज हमारी सरकार का नारा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। यह नारा इस बजट में हमें देखने को मिलता है।

लघु विकास योजनाओं के लिए भी हमारे बजट में प्राविधान किया गया है। इससे भी हमारे बहुत से गांवों में खुशहाली आयेगी। बहुत सी हमारी समस्यायें जो आज मुंह बाये खड़ी हैं उनका हल निकलेगा।

विद्युत के विषय में भी काफी प्रगति हो रही है। ओबरा और हरदुवागंज से जो अब बिजली बनकर आयेगी उससे आस पास के क्षेत्रों के गांवों में भी बिजली मिल सकेगी। उससे नलकूप चलेंगे, खेतों को पानी मिलेगा और फिर खेती की उपज भी बढ़ेगी। सीमेंट भी लोगों को मिलेगी। और भी सुविधाएं पहुंचायी जायेंगी।

ग्राम विकास की योजनाओं के लिए भी सरकार ने अल्पकालिक १५ करोड़ रुपये देहाती किसानों के लिए बजट में रखे हैं। ७० करोड़ रुपय दीर्घ कालिक ऋणों के लिए हैं। इससे भी किसानों की खुशहाली बढ़ेगी।

मैं हरिजन हूं और हरिजन होने के नाते में यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज मंत्रिगण भी हम लोगों से मिलते नहीं, केवल इसीलिए कि हम हरिजन हैं। हमारे अधिकारीगण भी इसीलिए हम लोगों से मिलने में कतराते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। मैं खुलकर उसका विरोध करता हूं। आज गांव में हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं वे केवल आरक्षण से दूर होने वाले नहीं हैं। यदि हमारे क्षेत्र में किसी एक को नौकरी मिल गयी तो उससे हमारी समस्यायें हल नहीं होंगी। अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमें आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए। हमारे लिए संरक्षण जरूरी है। जब तक हमें संरक्षण नहीं मिलेगा हमारा भला होने वाला नहीं है।

एक बात और कहना चाहता हूं। यह हरिजन और अछूत शब्द ही डिक्शनरी से निकाल दिया जाय। जब तक ऐसा नहीं होगा हमारे साथ बराबर अत्याचार होते रहेंगे। चाहे कोई भी सरकार आये आरक्षण से हमारा हित नहीं कर सकती। आरक्षण चाहे १०० प्रतिशत भी कर दिया जाये, तब भी हमारा भला होने वाला नहीं। जब तक यह अछूत और हरिजन शब्द रहेगा भारत सरकार भी हमारा सुधार नहीं कर सकती। मैं जनता पार्टी का विधायक हूं। मेरे साथ जो घटना घटी है मैं कह नहीं सकता। आज कोई हमसे बात करना पसन्द नहीं करता। इसलिए हमें आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए। उद्योगों के विषय में सरकार ने ४ हजार औद्योगिक इकाइयां स्थापित की हैं। इससे करीब ६० हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। यह हमारी सरकार ने एक नया नमूना पेश किया है। भूमि सुधारों के विषय में ध्यान दिया गया है। लोगों को भूमि दी गयी है और जहां पर लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया है उनको भी सरकार ने ३ साल कठोर कारावास देने की व्यवस्था की है, हम इसका स्वागत करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है और इस सम्बन्ध में नये राशन कार्डों की व्यवस्था की गयी है। चीनी और अन्य खाद्य सामग्री की व्यवस्था सही ढंग से चल रही है।

शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार २,१७० नये प्राइमरी स्कूल और १०२० मिडिल स्कूल देहातों में खोलने जा रही है। इससे हर ग्राम सभा में करीब करीब स्कूल हो जायेंगे और शिक्षा का प्रसार होगा। अगर देश और प्रदेश में शिक्षा का प्रसार होगा तो हरिजन और अछूत शब्द नहीं रहेंगे। सरकार शिक्षा के ऊपर ध्यान दे और आरक्षण की बात विभाग से निकाल कर हमको संरक्षण देने की व्यवस्था करे।

*श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यिष्ठाता महोदय, यह जो बजट पर चर्चा चल रही है इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । सरकार की नीति है कि अब वह गांवों की तरफ जायेगी । इस सम्बन्ध में पहला यह कदम उठाया गया है कि पिछले ४, ६ महीनों में गांवों में सड़कों की ओर ध्यान दिया गया है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो बजट बना है उस बजट में हमारे बस्ती जिले के साथ बहुत ही बड़ा पक्षपात किया गया है । हालांकि सरकार की नीति है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहां विकास का काम नहीं हुआ है वहां पर तेजी से ध्यान दिया जाय । लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि बस्ती जिले का क्षेत्रफल ७३०८ वर्ग कि० मी० है । १९७६ तक यहां पर ८४८ कि० मी० सड़कें बनी थीं जिसमें से ९८ कि० मी० नेशनल हाइवे सड़क है । इसको मिलाकर कुल ८४८ कि० मी० सड़कें हैं । जबकि बाम्बे प्लान में निश्चित किया गया है हर १०० वर्ग कि० मी० पर १६ कि० मी० सड़कें होनी चाहिए । तो बस्ती जिले में १०० वर्ग कि० मी० क्षेत्र में केवल ११ कि० मी० सड़कें हैं । इसमें से दक्षिणी क्षेत्र में और उत्तरी भाग में ९ कि० मी० सड़कें हैं । तो सड़कों पर बस्ती जिले के सम्बन्ध में ध्यान नहीं दिया गया है । आजमगढ़ को देखा जाय तो पता लगेगा कि बस्ती के साथ कितना पक्षपात किया गया है । वहां का क्षेत्रफल है ५७४५ वर्ग कि० मी० । १९७६ तक वहां १०६६ कि० मी० सड़कें बन चुकी थीं । इस बजट में, अभी मुझको मालूम हुआ है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने अपने जिले में १२ सड़कें जिला परिषद् से ट्रांसफर कराके पी० डब्लू० डी० को दी हैं । इनको ३७ लाख रुपया मिला है । बस्ती जिले में जहां १०० वर्ग कि० मी० पर केवल ११ कि० मी० सड़कें हैं लेकिन वहां सड़कों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है । मैं बताना चाहता हूं, इसी तरह से मंडी समितियों ने सड़कें बनायी हैं । मंडी समितियों को सड़कों का गलत निर्माण हुआ है । हमारे जिले को ३२ लाख की आबादी है और १४ विधायक हैं । वहां पर केवल ४ मंडी समितियां हैं । लेकिन यहां पर मंडी समितियों ने केवल ३.३ किलो मीटर सड़कें बनायीं हैं और बहुत से जिले ऐसे हैं जहां समितियों द्वारा १२ कि० मी० सड़कें बनायी गयीं हैं । तो यदि ऐसा रवैया रहा तो बस्ती जिले का विकास नहीं हो पायेगा । मैं समझता हूं कि बस्ती जिले में कम से कम ३ मंडी समितियां और होनी चाहिए ।

बभनान, मेंहदावल और खलीलाबाद में मंडी समिति का निर्माण कराया जाय । अन्यथा बस्ती को इससे कोई लाभ नहीं होगा ।

माननीय, बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे वहां ७ हजार गांव हैं जिसमें केवल ५११ गांवों में विद्युतीकरण हुआ है जबकि केन्द्रीय शक्ति आयोग के हिसाब से १९९६ गांवों में विद्युतीकरण हो जाना चाहिये था । हमारे क्षेत्र में कम से कम पचासों ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी १५०० से अधिक है । लेकिन वहां जन सम्पर्क मार्गों की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिये सरकार से निवेदन है कि जहां १५०० आबादी है वहां तत्काल सम्पर्क मार्गों की व्यवस्था करनी चाहिये ।

माननीय, बस्ती जिले में बाढ़ के बारे में बताना चाहता हूं और कहा कि हरी सिंह जी ने बताया कि पूरी जिले के लोग बढ़-बाढ़ चिल्लाते हैं और सारा पैसा पश्चिम का ले लेते हैं, पश्चिम जिले में एक बार बाढ़ आयी थी तो हाय तोबा मच गया था । लेकिन पूर्वी जिले में तो कई नदियां हैं और १९७० में

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

बाढ़ आयी थी तो ७ हजार गावों में से ३४६८ गांव प्रभावित हुये थे। जहां इतने गांव बाढ़ से प्रभावित होते हों वहां क्या विकास हो पायेगा इसकी सुरक्षा कैसे होगी। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि बस्ती जिले में जो बाढ़ एरिया है, घाघरा नदी के कटान से प्रति वर्ष पचासों गांव कटते रहते हैं, उससे जमीन के कटाव को रोकने के लिये सरकार कोई सुदृढ़ योजना बनावे जिससे कटान न हो।

मान्यवर, बस्ती जिले की प्रति व्यक्ति आय १८७ रुपया है जबकि पश्चिम जिलों की २५३ रुपया है। हर जिले से बस्ती जिला पिछड़ा है। न तो वहां सड़कें हैं और न सिंचाई के साधन। वहां नलकूपों की भी व्यवस्था कम है। वहां ५०० नलकूप हैं। बस्ती जिले में शारदा सहायक योजना चलने वाली है किन्तु पता नहीं कब वह शुरू होगी। इसलिये नलकूप का आबंटन हमारे जिले का बढ़ाया जाय। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में केशव देव मालवीय योजना १९६६ में चलाई गयी। पूरा क्षेत्र उनको दे दिया गया, उस क्षेत्र को इसलिये कोई नलकूप नहीं दिया गया। लाखों रुपये इस योजना में उनके चहेते खा गये। मास्को की गुदड़ी बाजार से २४ नलकूप मंगाये गये लेकिन उनसे एक से भी अभी तक सिंचाई नहीं हुई है और वे बन्द पड़े हैं। इसलिय मालवीय योजना में जो क्षेत्र है उसके लिये अलग से नलकूप की व्यवस्था होनी चाहिये नहीं तो वह क्षेत्र बिना सिंचाई के रहेगा। इसलिये निवेदन है कि पिछड़े क्षेत्र पर आप ध्यान दें।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं घंटी बजा रहा हूं।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। मुझे अफसोस है कि बार-बार कोरम के लिये घंटी बजानी पड़ती है। बजट पास कराने की सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय सदस्य को बोलने दिया जाय। हम भाग कर आये हैं सुनने के लिए।

श्री अधिष्ठाता—

बोलेंगे, हरी सिंह जी आप सिफारिश न करें।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट पर चर्चा करने का मुझे आपने अवसर दिया। माननीय वित मंत्री जी ने इस प्रदेश का बजट पेश किया है। इस संबंध में बड़ी लम्बी चौड़ी बातें, तकरीरें भी की गयीं हैं। उसमें आजकल का बहुचर्चित

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित—]

नारा है जिसकी विधान सभा से लेकर गांवों तक बात की जाती है कि यह सरकार गांवों की ओर जायेगी । आज मुझे खुशी है कि ग्रामीण अंचलों में बसे हुये किसानों के भारी पैमाने पर वोट लेकर हम विधान सभा में बैठे हुये हैं लेकिन जो किसान गांवों में रहता है उनकी समस्याओं का भी वर्तमान शासन को अध्ययन करना चाहिए कि आज पूर्वान्चल से लेकर पश्चिमांचल तक तमाम चाहे जिस जिले में आज जायें माननीय सदन में भी कई बार चर्चा का विषय बना रहा है कि चीनी मिल मालिकों ने किसानों से गन्ना नहीं खरीदा और गन्ना पूर्वान्चल से पश्चिमान्चल जिलों तक सूखा पड़ा हुआ है । पूंजीपति, किसानों का पैसा दबाये हैं । माननीय गन्ना विकास मंत्री ने, माननीय मुख्य मंत्री ने और जनता पार्टी के नेताओं ने, आडवानी ने रेडियो में ऐलान किया कि किसानों के गन्ने का भुगतान कराया जाय लेकिन आज भुगतान कहां हो रहा है । मेरठ जिले के हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं । मेरठ में आज पांच रुपया और छः रुपया कुन्तल गन्ने का दाम है देवरिया में, बाराबंकी में यही हालत है ।

श्रीमन्, आज किसानों के प्रतिनिधि वोट लेकर विधान सभा में आये हुये हैं उम्मीद मुझे थी कि तीस साल के कांग्रेसी सरकार में मिल मालिकों ने भारी पैमाने पर रकम देकर के किसानों को लूटा, शोषण किया पर अब जनता पार्टी की सरकार किसानों को शोषण से मुक्त करेगी लेकिन उनको आप मुक्त कराने के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं । यह एक विचारणीय परिस्थिति है, सवाल है । मेरा एक सुझाव है कि जब तक किसान के गन्ने को पिराई न हो जाय तब तक आप मिलों को बंद न करें, मिल मालिको को आप मजबूर करें कि वे उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना खरीदें और जो किसानों का पैसा जिन मिल मालिकों के ऊपर बकाया है चाहे वह कोई बड़ा पूंजीपति हो, बिड़ला की मिल हो, सिंघानिया की मिल हो उसे किसानों को दिलाया जाय और गरीब किसानों को शोषण से मुक्त करने की, लूट मार बन्द करने की घोषणा आप इस सदन में करें तो मैं स्वागत करता ।

आपने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया जायगा और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि कक्षा १ से ले कर कक्षा ८ तक की शिक्षा मुफ्त होगी लेकिन वह वायदा आज तक पूरा नहीं किया गया और शिक्षा का जो पिछड़ापन था वह अभी तक बरकरार है ।

आपके घोषणा-पत्र में यह था कि बेकारों को बेकारी भत्ता दिया जायगा । बहुत से सूबों में इसका ऐलान भी हो चुका है लेकिन उत्तर प्रदेश में जब नौजवान बेकारी भत्ते की बात करता है तो भारत सरकार के वरिष्ठ नेता जो मंत्रिमंडल में सबसे ऊंचे स्थान पर आसीन हैं उन्होंने ऐलान किया कि बेकारी का भत्ता मांगना भिक्षावृत्ति है । डाक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना था कि बेकारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो । हजारों नौजवानों को लेकर हम इस सम्बन्ध में आन्दोलन करते रहे लेकिन आज उस बेकारी भत्ते का मामला हल नहीं हुआ । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज स्थिति यह है कि जिनको हमने नेता माना था और ५, ५ वरिष्ठ नेता स्थिति को सुलझाने के लिये बैठकें कर रहे हैं और जय प्रकाश जी से उनकी वार्ता भी होती है लेकिन इससे मामला तय होने वाला नहीं है ।

बिहार में जो छोह लुहान की स्थिति है वही स्थिति यहां भी उत्पन्न हो सकती है । कांग्रेसी तानाशाही को खत्म करने के लिये जिन नौजवानों ने आपका

साथ दिया था वही आज बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लिहाजा आपको किसी एक वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं करनी चाहिये। सामाजिक स्तर से जो पिछड़ा हुआ हो उसको आप आरक्षण दें, उनको शिक्षा में तथा नौकरियों में वरीयता दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप मजदूरों, गरीबों की समस्याओं का निराकरण नही कर सकेंगे।

भूमिहीन हरिजनों को जमीन बांटी गयी और उसकी बड़ी दुहाई दी गयी इधर से और उधर से भी। केवल उस बेंच पर बैठना ही काफी नहीं है। हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है जिसे हम और आप मिल कर निभायें और जो वस्तुस्थिति है उसे आप स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी समस्यायें हैं आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जैसे कानपुर के कालेजेज में, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा समस्त शिक्षा संस्थाओं में जो अशान्ति का वातावरण फैला हुआ है इसे आप समाप्त करें और जो निरंकुशता तथा भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है उसे बन्द करायें।

श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)—

अधिष्ठाता महोदय, जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरे क्षेत्र में ७७ में एक नेशनल पार्क दुधवा जानवरों के लिये घोषित किया गया था और उस पार्क में बहुत सी नस्लें जानवरों की जो देश में हैं उनमें सबसे ज्यादा वह वहां हैं। पिछले वर्ष जब वन विभाग का बजट प्रस्तुत हुआ था तो मैंने कहा था कि वहां पर जितने पेड़ गिर गये हैं उस लकड़ी को नीलाम करके धनराशि उस पार्क को दे दी जाय। उस पार्क का पूरा एरिया काश्तकारों की जमीन से घिरा हुआ है। जो लाखों लाख रुपया यहां के जानवर जाकर किसानों का नुकसान कर देते हैं उससे इसकी बचत हो सकती है। सरकार ने इस पर विचार भी किया था किन्तु जितनी लकड़ी वहां पर थी अगर वह नीलाम की जाती तो लगभग १ करोड़ रुपया उससे आ सकता था लेकिन वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने उस लकड़ी को जो वहां पर वन समिति बनी हुई है उसको दे दिया, वह एक करोड़ रुपये मूल्य की लकड़ी केवल २६ लाख रुपये में दी गई। २६ लाख रुपये में केवल एक पोर्शन ही बनेगा अगर पूरी लकड़ी नीलाम की जाती तो जो किसानों की समस्याय वहां पर थी उनको हल करने में बहुत बल मिलता। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अधिक से अधिक पैसा दे और पूरी बाउन्डरी वाल बनाई जाय जिससे देखने वालों को भी मौका मिले। इन जंगली जानवरों ने वहां पर अभी दो आदमियों को मार दिया है। इस बाउन्डरी वाल के बन जाने से जो भय वहां लोगों में पैदा हो गया है उससे भी उनको राहत मिल सकती है। मैं सरकार से चाहता हूं कि जो पालिसी बनायी गई थी कि हम मार्च तक पूरी लकड़ी निकाल कर जंगली जानवरों से राहत दिलायेंगे किन्तु मालूम हुआ कि वह लकड़ी अब जून तक निकाली जायेगी। लेट होना अच्छा नहीं है। जो जानवर पार्क में रखेगये हैं उनका परपज हल नहीं हो रहा है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लिये एक योजना बनाई गयी है और यह योजना पांच साल से चल रही है। ४ साल व्यतीत हो गये हैं अभी वह पूर्ण नहीं हो पा रही है। जितने पैसे का प्राविधान किया गया था उसका दुरुपयोग किया गया है, कोई काम वहां पर नहीं हुआ है। यह जो थारू जनजाति है, उसके लोग बड़े भोले-भाले हैं। सरकार को चाहिए कि उनकी उन्नति के लिये, पढ़ाई-लिखाई और रहन

[श्री राम चरन शाह]

सहन के लिये कदम उठाये जायें । उनको पढ़ाने के लिये वहां पर मास्टर नहीं जाते हैं, स्कूल बन्द हैं । मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी किया था और मैं अधिकारियों से मिला भी था किन्तु कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया जा रहा है । मंत्री जी कहते हैं कि समिति में हमें एक पढ़ा लिखा आदमी दिलाओ । मैं उन शब्दों को नहीं दुहराना चाहता जो माननीय मंत्री जी ने कहे हैं । यदि आदमी पढ़ा नही मिलेगा तो काम कैसे चलेगा । सवाल यह है कि यह जनजाति उत्तर प्रदेश में केवल एक है और उस ओर कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है ।

पिछले साल उस क्षेत्र के सड़क के निर्माण के लिये अस्पताल आदि के लिये धन की व्यवस्था की गई थी । वह सारा पैसा लखनऊ में ही जमा है । कोई काम वहां पर नहीं किया गया ह । मेरा सुझाव है कि वहां पर जिम्मेदारी देकर जिलाधिकारियों से शीघ्र यह काम कराये जांय, आदमी नियुक्त किये जांय ताकि वह काम जल्द से जल्द पूरा हो सके और उस क्षेत्र के साथ न्याय हो सके । हमारा क्षेत्र नेपाल से मिला हुआ है । उसकी जो बेल्ट है वह १२६ मील लम्बी नेपाल से मिली हुयी है । वहां पर अधिकतर मकान कच्चे हैं खरफूस के हैं । अभी पन्द्रह दिन में ही उस इलाके के १३ गांवों में आग लग चुकी है । इसके लिये जो पैसा उनको दिया गया है वह बहुत कम है । वह आंसू पोछने के लायक पैसा उनको नहीं मिला है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अग्नि कांड होता है उसके लिये सरकार को ज्यादा फण्ड की व्यवस्था करनी चाहिए ।

आज पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या गन्ने की है । गन्ना सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र लखीमपुर में होता है ।

लखीमपुर जिला गन्ना उगाने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है उसमें तीन मिलें पलिया, ऐरा (खमरिया) और गोला है । इन तीन मिलों के बावजूद इस साल कम से कम ५० लाख क्विंटल गन्ना अग्निकांड में देना पड़ेगा क्योंकि सबकी पिराई नहीं हो सकती है । अभी भी इतना गन्ना मौजूद है क्योंकि एक तो मिल लेट चली और फिर कभी मिल मालिकों की गड़बड़ी के कारण और कभी मजदूरों के झगड़े के कारण मिलें काम नहीं कर पाई । इस प्रकार वहां का किसान परेशान है । बिलराया में एक मिल बननी है जिसके लिए २ करोड़ १० लाख रुपये जमा है सरकार के पास वह मामला पड़ा है । वहां पर उस मिल को शीघ्र से शीघ्र प्रारम्भ किया जाय जिससे वहां पर दो वर्ष में गन्ने की पिराई शुरू हो जाय । उसके बाद भी वहां पर गन्ना ज्यादा होगा । इसलिए वहां पर सम्पूर्णानगर मिल का जो ४० लाख रु० जमा है उसको भी सरकार आगे बढ़ाये और अपनी संस्तुति देकर कम शुरू कराये उसके कागज भी सरकार के पास आये हुए हैं । उसके लिए एक बार पहले भी लिखा जा चुका है । हमारी मांग है कि सरकार अपनी ओर से संस्तुति भेज कर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से लाइसेंस दिलाये । वहां पर जो न्यूटिया हैं वह चाहते हैं कि गोला और पलिया मिल का एक्सटेंशन किया जाय और यह मिल न बने । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर नई मिल लगेगी तो वहां पर नया इस्टेब्लिशमेन्ट होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा । इसलिए उस काम को प्राथमिकता दी जाय । अगर एक्सटेंशन देना है तो वह भी दिया जाय क्योंकि फिर भी गन्ना बच जायेगा ।

हमारे यहां सन् १९२६ से सिगाही में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अस्पताल है जो अब जिला परिषद् का है उसमें साल में ५ सौ रुपये की दवायें मिलती हैं । पांच सौ रुपये की दवाओं से क्या होता है ? हम लोग ५, ७ सौ रुपये देकर इस अस्पताल

को चला रहे हैं। सरकार को स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिये और उस अस्पताल को सरकारी किया जाय जिससे दवाओं का प्रबंध किया जा सके। वहां पर जनाना अस्पताल भी शीघ्रातिशीघ्र खोला जाय। हर साल प्रसव के समय वहां पर दुर्घटनायें हो जाती हैं। कई औरतें मर चुकी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि शीघ्र वहां पर जनाना अस्पताल खोला जाय। टाउन एरिया ने उसके लिए जमीन देना स्वीकार किया है और २० हजार रुपये देने की भी व्यवस्था की है। इसलिए इस अस्पताल को खोलने का प्रयास करना चाहिये।

मेरे क्षेत्र में मंडी समिति द्वारा सड़कों का निर्माण हुआ है। मंडी समिति ने वहां १२ कि० मी० सड़कें दी थी वहां पर दो 'ए' और 'बी' क्लास की मंडी हैं। पलिया मंडी 'ए' क्लास की है। उसको पहले १२ कि० मी० सड़क दी गई थी लेकिन बाद में ८ कि० मी० कर दिया गया और ४ कि० मी० कम कर दिया गया। इसके लिए मैंने कृषि मंत्री जी से भी कहा मगर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी 'ए' क्लास मंडी है उसको ४ कि० मी० और सड़क दी जाय। इस पर सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द उस पर काम शुरू कराये।

हमारी सरकार पर जनता की दृष्टि लगी हुई है। जनता चाहती है कि जनता सरकार ऐसे काम करेगी जिससे उनको बल मिलेगा। परन्तु कभी-कभी आपस में जो संकटमय वातावरण हो जाता है वह दुखदाई होता है। मैं सभी सदस्यों से और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जनता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए जो वायदे किय गये हैं उनको पूरा करने का भरसक प्रयास किया जाय जिससे जनता का विश्वास जनता सरकार पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज बजट के सिलसिले में आपने मुझे जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक ग्रामीण बजट है। इस बजट में जितना गावों की ओर अग्रसर होने का प्रयास किया गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उतना पिछले ३० साल के कांग्रेसी सरकार में कभी नहीं किया गया था। मुझे एक खुशी की बात और है केन्द्र सरकार से इस प्रदेश और गांवों के लिए जितना धन इस बार लिया गया है, उतना कभी नहीं लिया जा सका है। इससे स्पष्ट है कि अब प्रदेश की स्थिति में पहले की अपेक्षा अवश्य अधिक सुधार होगा। हमने अपने९-१० महीने के शासनकाल में जनता को काफी राहत पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया है। सिंचाई में पहले २-१ पानी लागने के बाद, पानी के अभाव में फसलें सूख जाती थीं, उसमें इतना सुधार हुआ है कि अब किसी किसान को कहने का अवसर नहीं मिला कि पानी के कारण हमारी फसल सूख गई। सड़कों का भी प्रसार हुआ है और शिक्षा का भी काफी प्रसार हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सड़कें वहीं बनी हैं, शिक्षा का प्रसार भी वहीं हुआ है, जहां पर पहले से ही इनकी काफी व्यवस्था थी।

हमारा जनपद मैनपुरी एक पिछड़ा हुआ जिला है, जो २८ पिछड़े हुए जिलों में से है। इसका आधार रकबा जमुना नदी के किनारे किनारे आता है, वह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां न सड़कें हैं न स्कूल और न नलकूप ही हैं। वहां अभी ग्राम्य विकास मन्त्री जमुना प्रसाद बोस गए थे, उन्होंने वहां जब

[श्री गंगा सहाय यादव]

लड़कों को १५-१५, २०-२० मील से शिकोहाबाद पढ़ने को आते देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए और उसका विकास करने की बात कही । हमारे यहां ३०-४० गावों के बीच में एक धीगऊ किसान जूनियर हाई स्कूल ऐसा है, जिसकी हाई स्कूल मान्यता के लिए पिछले सन् १९७२ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी लोग इतने अनिच्छुक रहे हैं कि अब तक उसको मान्यता नहीं मिल पायी है । मैं खुद मन्त्री जी के पास इन ७-८ महीनों में ५-६ बार इसके लिए जा चुका हू, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है । जब कि कोई मन्त्री यदि मौके पर जावें तो यही कहेंगे कि इसको कम से कम इंटरमीडिएट तक अवश्य होना चाहिए । इसलिए मेरी अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से मुख्य मन्त्री व शिक्षा मन्त्री से प्रार्थना है कि ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए शिक्षा के द्वारा, नलकूपों के द्वारा और सड़कों के निर्माण द्वारा प्रयास किया जाए ।

मैं अपनी सरकार की सब से बड़ी उपलब्धि यह कहूंगा, जो सभी महसूस करते हैं, जो इस सरकार ने मद्यनिषेध को इतनी प्राथमिकता देकर उसे १२ जिलों में लागू किया है । मद्यपान को निमूल करने की दिशा में सरकार ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है इसके द्वारा सभी प्रकार के मद्य पदार्थों का सेवन वर्जित कर दिया गया है । यह प्रशंसनीय कार्य है और इसके लिए सरकार सराहना की पात्र है ।

इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस प्रशासन में अवश्य कमी है । कुछ कमी का कारण यह है कि पिछली कांग्रेसी शासन के जो लोग हैं, जिनको अपनी कुर्सी छिन जाने से बड़ा दुःख हो रहा है, वे जनता के तमाम वर्गों को अशान्ति फैलाने और आन्दोलन करने के लिए उभाड़ रहे हैं, जिसके कारण ला एण्ड आर्डर की स्थिति बदतर हो गई है । यह सहयोग करते तो यह बातें कतई देखने में न आतीं । मैं एक बात और जरूर कहूंगा, जो मैंने पिछले बजट चर्चा के दौरान सड़कों व नलकूपों के निर्माण व स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में कही थी, उनकी ओर कोई ध्यान न दे कर यह बजट रखा गया है । उससे हमारे क्षेत्र को कोई राहत मिलने वाली नहीं है अब भी समय रहते हुए घोषणा की जाय कि हमारे पिछड़े क्षेत्र की तरफ सरकार पूरी तरह से ध्यान दे ।

हमारे यहां मंडी समिति की सड़कें बनायी गयी हैं । वे बन तो गयी हैं लेकिन उन पर पुलियों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । अगर बरसात से पहिले पुलिया न बनायी गयीं तो बनी बनायी सड़कें बह जायंगी और मंडी समितियों का सारा रुपया बेकार हो जायगा ।

अब मैं कुछ आरक्षण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मुझे बड़ा अफसोस है कि आरक्षण के नाम पर हमारे कुछ लोग, वैसे उच्च वर्गों में सहानुभूति रखने वाले भी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे हैं, क्या वह चाहते हैं कि हमारे गरीब, पिछड़े भाई पिछड़े ही पिछड़े रहें । पिछड़े वर्ग के लोग कम से कम ६० प्रतिशत हैं । केवल उनको १५ परसेंट ही राहत दी है । तो खलभलाहट क्यों हो रही है ? अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो । हरिजन भाइयों का १८ प्रतिशत आरक्षण रखा गया । अगर यह न होता तो जो भी थोड़ा बहुत उनका उत्थान हुआ है वह हरगिज नहीं होता । इसी प्रकार बैकवर्ड जिनकी संख्या ६० प्रतिशत है उनका उत्थान न किया गया, जैसा कि जनता पार्टी के मैनेफेस्टो में है कि २५ से ३३ प्रतिशत तक आरक्षण करेंगे जनता पार्टी ने भी अगर ठीक से अनुपात से न दिया, तो इसमें कुछ न कुछ खतरा पैदा हो सकता है । लिहाजा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके आरक्षण के लिए जरूर ध्यान दिया जाय जिससे

पिछड़े वर्ग और शोषित वर्ग किसी न किसी रूप से तरक्की कर सके । पूर्व वक्ता ने कहा कि आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए । मैं इसका कायल नहीं हूं । संरक्षण के साथ आरक्षण भी चाहिए । आरक्षण भी नहीं होगा तो हमें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ।

मेरे यहां शिकोहाबाद में हास्पिटल बन गया है, नया हास्पिटल है, लेकिन बाउन्डरी वाल नहीं है । केवल पचास हजार रुपया खर्च होगा जिससे बाहरी पानी आने से बिल्डिंग खराब होती जा रही है । उसकी मरम्मत करायी जाए । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री प्यारे लाल (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी । सब से बड़ी खुशी की बात यह है कि आज ३० साल के बाद जो गांधी का स्वप्न था वास्तव में उसको साकार रूप में आज हमारी जनता पार्टी ने रखा है । आपने देखा होगा कि गांधी जी का अंग्रेजो जाति से विरोध न होकर उनकी मनोवृत्ति से विरोध था और उनकी अपनी एक भावना थी । जो पिछड़े हुए, गांव के लोग हैं, वहां गृह उद्योग धंधे पनपाएं, जो भारतीय संस्कृति का असली रूप है वह पुनः प्रकाशित हों । ३० साल के कार्य काल में आपने देखा होगा कि बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो गांवों में बरबाद हो गयी हैं जैसे कोरी, तेली, खटिक, गड़रिया, हमारी सरकार गांवों की ओर जा रही है । इसका सीधा अर्थ यह है कि वह जातियां अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें और आबाद हों ।

किसी देश में जहां पर श्रम और बुद्धिजीवी की समानता न हो तो समझ लो कि वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने गांधी जी की नैतिकता और लोहिया जी का अर्थ की बात को जोड़ा है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है । हमारी सरकार ने नारा दिया है कि गांव की ओर चलो । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर सरकार ने यह नारा दिया है तो हर ब्लाक में ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोले जायें जैसे तेली का काम, चमड़े का काम, साबुन बनाना और आज हमारा किसान ट्रैक्टर्स का प्रयोग कर रहा है तो ट्रैक्टर्स की मशीनरी के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाये जो लड़के पढ़ कर निकलते हैं और बेकार हो जाते हैं उनको इन चीजों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । इससे फायदा होगा कि उनको रोजी के लिए भागना नहीं पड़ेगा और किसानों को वहीं गांव में ट्रैक्टर की रिपेयरिंग के लिए आदमी भी मिल जायेंगे । इस प्रकार से हमारे प्रदेश की ग्रामीण जनता का विकास हो सकता है ।

अब मैं अनुदान की बात कहना चाहता हूं । इससे कोई समस्या हल होने वाली नहीं है । आप देखें कि जमींदारी समाप्त हो गयी तो किसान स्वावलम्बी हो गया है । तो मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार किसानों, मजदूर तथा हर वर्ग के आदमी को उद्योग धन्धे दे दिए जायें तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और प्रगति कर सकते हैं । इससे हर वर्ग में सहकारिता की भावना उत्पन्न होगी और जो आपस में वैमनस्यता है वह समाप्त होगी । आपने शराब बन्द कर दिया तो अच्छा किया । समाज को नैतिक बल मिलेगा उससे जो आमदनी मिलती थी वह समाप्त हो गयी । किन्तु किसी बजट की अच्छाई रुपया से नहीं नापी जाती वह भावना से नापी जाती है अगर प्राइमरी स्कूल नहीं बन सकता है तो आप वहां पर मास्टर ही भेज दें, सड़कों की जगह नहर की पटरी किसानों के उपयोग को दे दें । यह बजट बड़ा अच्छा बजट है और गांधी तथा लोहिया की भावनाओं को पूरा किया जा रहा है ।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो आज यहां पर चल रहे विषय पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यह विषय हमारी जनता के हित के लिए है। बजट का विषय इतना गम्भीर है कि इसको देखने से ऐसा लगता है कि बजट जो तैयार किया गया वह समुचित ढंग से नहीं तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश हमारे देश का हृदय है। जहां पर हम बैठे हैं यहां बड़ी महान विभूतियां बैठी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप आज यहां पर अपने त्याग और तपस्या से नहीं आये हैं, बल्कि जनता ने कांग्रेस को हराने का संकल्प लिया था, जिसके कारण आज आप यहां पर शोभा बढ़ा रहे हैं। आप इस बजट पर गम्भीरता से सोचें नहीं तो जनता आपको भी फुफकार मार कर हटा देगी। आज आप जान लीजिए कि बजट में जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, उनमें वर्गवाद और राजनीतिक हथकन्डे की बू आ रही है। आज आरक्षण का बावेला मच हुआ है लेकिन जनता की आवाज पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। आपने मिथ्या प्रचार कर के वोट ले लिया है। इलेक्शन के जमाने में तो आपने काफी मिथ्या वायदे किए थे लेकिन क्या आप हिम्मत करते हैं, क्या आप में इतना हौंसला है कि आप प्रदेश के धन को ठीक ढंग से व्यय न करें? अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। यह गरीब और अमीर के आधार पर होना चाहिए यानि यह होना चाहिये कि यह इतनी तन्खवाह पाता है या इतनी एकड़ जोत इसके पास है। जिस प्रकार से राजनीतिक ढंग से जो आरक्षण किया जा रहा है, इसका परिणाम बहुत अच्छा होने वाला नहीं है।'इसलिए मेरा निवेदन है कि बजट के द्वारा जो मनमाने ढंग से रुपया व्यय किया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिए और इसको ठीक ढंग से व्यय किया जाना चाहिए। आप यह न सोचें कि आप बहुमत के आधार पर इस प्रदेश को चलायेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो प्रदेश की जनता कभी ऐसा नहीं होने देगी।

श्री अधिष्ठाता—

यह जनता की सभा नहीं है।

श्री राम कृष्ण—

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में हमने प्राइमरी स्कूलों के बारे में पढ़ा है लेकिन मैंने देखा है कि हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है, एक ओर नंगे-नंगे बच्चे पढ़ने आते हैं और दूसरी ओर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो २५-२५ रुपये का बैग लटकाये हुए आते हैं और अपना नाश्ता भी लाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो बच्चे इन स्कूलों में प्राइमरी शिक्षा के लिए आते हैं, उन सब की एक यूनिफार्म हो और कम से कम स्कूल के समय एक प्रकार का खाना और दूध होना चाहिए। उन बच्चों को भी यह महसूस होना चाहिए कि वे भी एक स्वतंत्र देश के बच्चे हैं और उनके भी अधिकार बराबर हैं।

इसी प्रकार से सिंचाई योजना की भी हालत है। हमारे यहां जौनपुर में जो नहरें हैं उनका स्वरूप विकृत किया जा रहा है। ओवरसियर, इन्जीनियर से मिल कर, उनको पैसा दे कर, उनका स्वरूप ही बदलवा दिया जाता है। इतना व्यय किया जा रहा है कि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कुछ बात समझ में नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आती है । जो ये कार्य चल रहे हैं हमारे प्रदेश में इनमें बहुत ढिलाई है । मौसा के जमाने में भी इतने जुल्म नहीं होते थे । कल ही यहां पर चर्चा हुई कि हमारे एक विधायक को लाठी से मारा गया । प्रदेश के एक डाक्टर को वहां के थानेदार ने मारा पीटा और थाने में बन्द रखा । आज हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है ? मेरा इस सरकार से यह निवेदन है कि वह इनकी ओर देखें और जो प्रदेश में व्यय किया जाय वह ठीक ढंग से हो । हमारे क्षेत्र बरसेठी में एक सड़क रामपुर से सुरेरी गांधी घाट (वाया कठौलिया) जाती है । उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है । आप जो यह बजट बना रहे हैं उसमें अगर आपकी राजनीति रही तो इसके भयंकर परिणाम होंगे । आपने मजदूरों की जो मजदूरी निश्चित् की है क्या वह आप प्रदेश के मजदूर को मिल रही है ? उनसे कहा गया कि गन्ने का भाव तो आप सस्ता करते हैं लकड़ी से भी सस्ता, तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या बात है, गन्ने को धूप में सुखा दो और लकड़ी के भाव में बेंच दो । तो इस तरह से हम अपने वित्त मन्त्री जी से निवेदन करेंगे कि आपने जो बजट बनाया है, जो बजट आपने पेश किया है, उसके व्यय का जो तरीका है बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें पक्षपात की बू आ रही है ।

हमारी जो और प्लानिंग की बातें हैं, हमारे देश में पिछले तीस सालों में जो काम हुआ है, उसके लिए जो दुनियां में गौरव प्राप्त हैं, उसको सभी जानते हैं । सभी ने मिल कर देश को बनाया हैं । आज हमारा देश बहुत आगे है । हमारे देश में बहुत बड़े–बड़े बांध बांधे गये हैं, बिजली के खम्भे जंगलों और खंदकों में लगे हैं । देश समृद्धशाली हुआ और दुनियां के सातवें, आठवें, नम्बर पर है । हम इस प्रदेश को चाहेंगे कि यह प्रदेश, हमारे भारत का हृदय रहा है । यहां के मन्त्रियों ने हमेशा हिन्दुस्तान में सर्वोपरि विचार–धारा को रख कर देश को सम्भाला है । इस बजट में जो कमी दिखलाई पड़ रही है, उसको ठीक किया जाय । बजट को न्यायिक ढंग से बनाया जाय । मैं इसके सम्बन्ध में आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके बजट में जो व्यय करने का तरीका है वह ठीक नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूं । अर्थात् इस पर पुनः विचार कर निष्पक्ष भाव से बजट पर खर्च करने का तरीका अपनायें ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं ।

एक सदस्य––

अधिष्ठाता महोदय, तीन आदमी और खड़े हैं ।

श्री अधिष्ठाता––

सब बैठें ।

श्री बाबू बदरे––

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय जो प्रदेश की हालत है, प्रदेश की ही नहीं, देश की जो हालत है, उस हालत को सुधारने के लिए, चाहे इस पक्ष में लोग बैठते हों, चाहे उस पक्ष में लोग बैठते हों, लेकिन उनको यह सोचना पड़ेगा कि जिस हालत में जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने वोट दिया है, उस हालत में सुधार आना चाहिए । इस समय जो समाज में वातावरण है, जो गंदगी फैली हुई है, जो बद इंतजामी फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए, इस पक्ष के और उस पक्ष के, दोनों पक्ष के लोगों का कर्तव्य है कि मुकम्मिल करें । इस बात पर

[श्री बाबू बदरे]

न जायं कि बजट में फिजूल खर्ची हो रही है । हमारे अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि फिजूल खर्ची हो रही है, तो जहां पर फिजूल खर्ची हो रही है उसके लिए तो आपको अधिकार रहेगा कि उसकी शिकायत अफसर से, मन्त्री से करेंगे । आप उसके लिए इन्क्वायरी करा सकते हैं । मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह जो बजट पेश किया गया है, ऐसा बजट पिछले ३० सालों में कभी भी नहीं आया है । इस तरह का सार्वजनिक, देहातों के लिए, गरीबों के लिए इतना धन खर्च करने का बजट पिछले तीस सालों में कभी भी नहीं आया है । मैं ज्यादा न कह कर एक शेर अपने विरोधी पक्ष के लोगों को सुनाना चाहता हूं :

वो जफा करके भी चलते हैं, अदा ओ नाज से ।
हम वफा करके भी रहते हैं, पशेमानी के साथ ।

मैं आप से यही कहना चाहता हूं कि मैं शुरू से इसी नजरिये का रहा कि आदमी बैकवर्ड जाति से नहीं माना जाता है, आदमी बैकवर्ड होता है अपने कर्म से । जो निर्धन होता है, वही बैकवर्ड होता है । अगर शैड्यूल्ड कास्ट के भी लोग हैं, और उनके पास काफी धन है, वह अन्य जाति से जो शैड्यूल्ड जाति का नहीं है उसकी लड़की से शादी कर ले, तो मैं जानूं ? तो स्टेटस से आदमी माना जाता है । जो निर्धन है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो सरकार को चाहिए कि उसके स्टेटस की वैरीफाई कराकर उसकी भलाई के लिए सोचें । अगर लोग इस प्रकार सोचें, लेकिन कम लोग हैं इस बात को सोचने वाले और कहने वाले और लोगों की हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि जो सच बात है और कायदे की बात है उसको इसलिये नहीं कहते कि ज्यादा लोग उसको पसन्द नहीं करेंगे । मैं हमेशा अपने मन से और सिद्धान्त से इस बात को मानता हूं कि वह बैकवर्ड है, वही शेड्यूल्ड कास्ट है जो निर्धन है, बेरोजगार है, जिसके पास कोई कारोबार नहीं है और जो पिछड़े वर्ग के लोग धनवान हैं उनमें काहे का पिछड़ापन ? उनकी लड़की, बेटियों की शादी होती है तो उन्हीं के बराबर के लोगों के साथ होती है ।

पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था बिगड़ती चली आयी है पुलिस में कि जहां तक मेरा तजुर्बा है दो तरह के लोग होते हैं पुलिस में । एक तो वह लोग हैं जो आफिसेज में अच्छा काम करते हैं और दूसरे वह जो फील्ड पर काम करते हैं । लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी चीजें पैदा हुई कि उसी तरह से आई० सी० एस०, पी० सी० एस० अफसरों में भी यही चीज पैदा हो गयी कि काम करने के योग्य हो या न हो, चूंकि हमारा आदमी है इसको भेज दीजिये । जो इस तरह काम पूरा नहीं हो पाता है अगर वह आदमी उस योग्य नहीं है । यह कहा जाय कि एक काम को सभी आदमी कर लें, तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता । विजिलेंस में, सी० आई० डी० में भी ईमानदार आदमियों की जरूरत है, लेकिन जो लोग ४–५, ६–६ साल से सी० आई० डी० में, विजिलेंस में पड़े हुए लोग हैं उनमें से बहुत से कानपुर में मेरी जानकारी में हैं कि पुलिस के अफसर, एस० एस० पी० जो कानपुर से हटाकर दूसरी जगह प्रोमोशन पर गये हैं अगर उनकी कारगुजारियां अच्छी रही हैं तो मैं मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को विजिलेंस से निकालें और फील्ड पर भेजें, जिनमें फील्ड पर काम करने की क्षमता है । अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूं ज्यादा कन्ट्रोल नहीं कर पायेंगे । कन्ट्रोलिंग पावर जिस

अफसर में होती है वही कर पाता है । जिसमें अपने मातहत को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं है तो उसको अगर काम दे दिया तो कैसे कर पायेगा ?

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जहां तक नगरपालिकाओं का सम्बन्ध है, कानपुर की ही नहीं, दो, चार, दस-बीस शहरों की चर्चा करना चाहता हूं । स्वायत्त शासन मंत्री तो क्रांतिकारी और तेज हैं और ९-१० महीने की यह सरकार हो गयी है लेकिन एक शहर में भी नाजायज कब्जों को हटा नहीं सकी । लोगों ने सरकार की जमीनों पर अपना कब्जा कर रखा है और आपका ऐडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस प्रशासन को उससे कोई मतलब ही नहीं है । इस तरह की अराजकता, जो लाकानूनियत के जरिये से फैलेगी उसी का असर सब जगह होता है । मुझे दुख होता है कि जब इधर के बैठने वाले लोग यहां के कर्मचारियों को मारते हैं यहां पर । कर्मचारी आपको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आपका आदर करते हैं और आप किसी का हाथ तोड़ दें, कुर्सी मार दें तो इस तरह के आचरण उचित नहीं है, इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा । लेकिन जिधर से किया जाता है कुछ लोगों के जरिये लोग यही समझते हैं कि सारे के सारे लोग कर रहे हैं । उस कर्मचारी के परिवार के लोग और बच्चों को जितना दुःख पहुंचा होगा जब उन्होंने सुना होगा कि अस्पताल में हालत चिन्ताजनक है । इस तरह की परम्परा डाल करके कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि जो ३० साल के अन्दर बुनियादें रखीं जिनके आधार पर लोग काम करने के आदी बना दिये गये, उनसे उम्मीद रखना चाहते हैं कि ९ १० महीनों में किसी की आदत बदल जायगी ? बहुत सी जगहों पर जहां-जहां हमारे मंत्री तेज हैं वहां के डिपार्टमेन्टों की खराबियां उन्होंने ठीक की हैं और जहां पर लोग लगे हुए है कि यह सरकार हटे और वह आये तो वह केवल अपने डिपार्टमेंट को देखें और इस बात की कोशिश न करें कि मुख्य मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे । कांग्रेस के लोगों को तो इसमें मजा आता है, लेकिन जो काम उनको करना चाहिए वह सब जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और वह बैठे-बैठे मौज ले रहे हैं ।

मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं कि वे यह बात अपने दिमाग से निकाल दें कि मुख्य मंत्री हट जायेंगे या यह सरकार हट जायेगी । कांग्रेसियों ने तो एक साल का समय और बढ़ा दिया है, ५ साल के लिये हम चुनकर आये हैं, इस तरह ६ साल तक तो इस सरकार को हटाने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता । परिवर्तन हो सकता है । यह हो सकता है मुख्य मंत्री जी अपने विभाग को ठीक तरह से सम्भाल न सकें । लेकिन सरकार यही कायम रहेगी । पहले वाले बजट भी आपके पास होंगे, उन बजटों से इस बजट को मिला लीजिये । गरीबों की भलाई के लिये और देहात के लिये जितनी रकम इस बजट में रखी गयी है उतनी पहले कभी नहीं रखी गयी । इतना करने पर भी अगर कोई हमारी नीयत पर शक करे तो दुख होता है । आखिर यह तो देखिये कि हम धन कहां ले जाकर खर्च करना चाहते हैं ? आपको तो हमारे अच्छे कामों में सहयोग देना चाहिये । सहयोग के बजाय आप अराजकता की स्थिति पैदा करते हैं । मैं माननीय सदस्यों की तवज्जह दिलाना चाहता हूं, दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों की तवज्जह दिलाना चाहता हूं, दीर्घा में बैठे अधिकारियों की तवज्जह दिलाना चाहता हूं, आप कभी तब तक प्रशासन में सुधार नहीं कर सकते जब तक आप सही काम को सही और गलत काम को गलत नहीं कहेंगे । जो सही काम हो उन्हें तो आप सही कहें ।

आज कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद आदि बड़े-बड़े नगरों में पुलिस के अंकुश की कमी के कारण स्थिति यह हो गयी है कि हमारी कोई महिला गले में

[श्री बाबू बदरे]

सोने की जंजीर या अंगूठी पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकतीं । उनकी वजह यह है कि पुलिस की ड्यूटी जहां लगायी जाती है, उसको देखने के लिये कभी कोई आफिसर जाता ही नहीं कि वह व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर है भी या नहीं । वह कभी अपनी ड्यूटी सही अंजाम नहीं देता । वह ड्यूटी पर मिलेगा ही नहीं । मैं चाहता हूं इस अराजकता का मुकाबला डट कर किया जाना चाहिये । जब इसका मुकाबला होगा....

श्री अध्यक्ष—

आपको १० मिनट हो गये, अब एक मिनट में कृपया समाप्त करें ।

श्री बाबू बदरे—

मैं अभी तो २–३ मिनट ही बोला हूं । इस अराजकता का मुकाबला करने के लिये हर सदस्य का फर्ज होना चाहिये । मैं तो सदा ही विरोध में रहा हूं इसलिये गलत बातों का सदा विरोध करूंगा । बिक्री कर जो लगाया गया है उसका मुझे बहुत दुख है । लगान भी जो बढ़ाया गया है उसका भी मुझे दुख है । सन् १९६७ में इसी लगान की बढ़ोत्तरी के प्रश्न पर ही चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरी थी । उस वक्त भी सवा तीन एकड़ और साढ़े ६ एकड़ लगान को मफी का प्रश्न था । कांग्रेस की फिजूलखर्ची और गलत नीतियों के कारण ही लगान बढ़ा था । मैं समझता हूं कि वह नामुनासिब है । वह टैक्स नहीं लगना चाहिये । मैं उसे पसन्द नहीं करता ।

श्री अध्यक्ष—

आप अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अवनीश कुमार सिंह (जिला बदायूं)—

श्रीमन् मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर प्रदान किया । माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह वास्तव में ग्रामोन्मुखी बजट है । मान्यवर, यह बजट जनता पार्टी के चुनाव घोषणा–पत्र के अनुरूप जैसा कि जनता पार्टी ने वायदा किया था कि हम गांवों का उत्थान करेंगे, वैसा ही है । मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं । मैं अपने कुछ सुझाव इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं । आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या सब से बड़ी समस्या है । हमारे प्रदेश के अन्दर ७८ प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं । उन लोगों के उत्थान के लिये वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनायें बनायी हैं जिनमें उनके लिये रोजगार देने की बात की गयी है । इससे ४–५ लाख लोगों को रोजगार दिया जायगा । लेकिन अगर इतने लोगों को रोजगार दे भी दिया जाता है तो इससे काम चलने वाला नहीं है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि गांवों की खेती का आधुनिकीकरण किया जाय और खेती के लिये विभिन्न प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करायी जायं ।

हमारे प्रदेश के अन्दर २० प्रतिशत एरिया ही ऐसा है जिसमें २ फसलें बोयी जाती हैं । यह एरिया बहुत कम है । यदि हम विद्युत और पानी की समुचित व्यवस्था कर दें और खेती के सम्बन्ध में खाद और बीज की उचित व्यवस्था कर दें तो यह क्षेत्र २० प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जा सकता है । मान्यवर, इससे दो फायदे होंगे एक तो यह होगा कि रोजगार लोगों को मिल

जायगा और दूसरा फायदा यह होगा कि हमारे प्रदेश की खाद्यान्न की कमी पूरी हो जायगी । दूसरी बात, मान्यवर वह लोग हैं जो शहरों में रहते हैं । इनमें से भी बहुत से पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं । इनकी जीविका का कोई साधन नहीं है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमें अपनी शिक्षा पद्धति के अन्दर सुधार करना पड़ेगा । हमको शिक्षा पद्धति इस प्रकार की बनानी पड़ेगी, जिसमें शुरू से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार के कार्यों की शिक्षा दी जाय ताकि आगे ल कर वह अपना काम कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।

मान्यवर, एक निवेदन मैं आपसे और कर रहा हूं कि हम लोगों का कहना है कि अधिक अन्न उपजाया जाय । तो जब यह बात आती है तो शासन की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो अधिक पैदावार करते हैं उनकी पैदावार की खपत का उचित इंतजाम हो । मान्यवर, गन्ने के सम्बन्ध में जो स्थिति पैदा हो गयी है उसके सम्बन्ध में यहां पर बहुत सी चर्चायें हो चुकी हैं । लेकिन कोई भी शर्त ऐसी नहीं है कि गन्ना जो खेतों में खड़ा है वह पूरा-पूरा पेर लिया जायगा । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि गन्ना नहीं लिया जाता है और गन्ना खेतों में रह जाता है तो उसका मुआविजा सरकार को जरूर देना चाहिये ।

मान्यवर, इसी प्रकार से आलू के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आलू की अच्छी पैदावार हुई है । किसान जब आलू का बीज रखने शीतगृहों को जा रहा है तो शीतगृहों में उसका आलू नहीं रखा जा रहा है । किसान से कहा जा रहा है कि जगह नहीं है । इसके परिणामस्वरूप किसान निराश होकर मंडियों में पहुंचता है और मंडियों में उसके बीज को पूंजीपति व्यापारी लोग खरीद लेते हैं और उन्हीं शीतगृहों में फिर रख देते हैं जहां किसान के लिये जगह नहीं है । तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अभी समय है, समय खत्म नहीं हुआ है । मैं शासन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बात की समुचित व्यवस्था की जाय कि शीतगृहों में जहां पर जगह खाली है, वहां कृषकार अपने बीज रखने जायं तो उसका बीज तुरन्त रखा जाय । गन्ने की समस्या और आलू की समस्या की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये । मान्यवर, अब गेहूं की भारी फसल आने वाली है । यदि जिस तरह से आलू और गन्ने के सम्बन्ध में स्थिति है यदि उसी प्रकार से गेहूं के सम्बन्ध में स्थिति रही तो किसानों में बड़ी निराशा व्याप्त होगी । इसके लिये अभी से व्यवस्था कर लें, जिससे काश्तकारों का गेहूं लिया जा सके । अधिकारियों को अभी से निर्देश दिये जायं कि काश्तकारों को अपना गेहूं बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो ।

मान्यवर, मंडी समितियों के द्वारा बनायी गयी सड़कों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । बड़ा प्रशंसनीय कदम शासन ने उठाया कि इस प्रकार की सड़कें बनाना शुरू की । उन पर मिट्टी का काम पूरा हो चुका है । परन्तु मान्यवर, पिछले ३० सालों में सड़कें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं और कभी पूरी नहीं हो पायीं । इसी प्रकार से हुआ तो जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बहुत जबर्दस्त ठेस होगी, यदि इन सड़कों को तुरन्त पक्का नहीं किया गया और पुलियां जो बननी चाहिये वह पुलिया न बनायी गयी । इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि शासन उनको तुरन्त बनाकर पूरा करे ।

मैं बदायूं जिले के दातागंज पिछड़े क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां शिक्षा के नाम पर लड़कियों का एक भी कालेज नहीं है । औद्योगीकरण के नाम पर एक चीनी मिल इसी साल वहां स्थापित की गयी है । इसलिये मेरा निवेदन है कि

[श्री अवनीश कुमार सिंह]

पिछड़े जिलों के लिये अलग से धन एलाट करने की कृपा करें, जिससे वह क्षेत्र उन्नति कर सके। मान्यवर, बदायूं से दातागंज जाने के बाद सड़क खतम हो जाती है फिर वहां से कहीं दूसरी और जगह सड़क नहीं जाती है। पिछली बार १९६० में माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक सड़क मंजूर किया था---दातागंज से आजमपुर होते हुए बिहारीपुर तक लेकिन १७ साल हो चुके हैं, कई बार मिट्टी पड़ चुकी है, लेकिन वह सड़क ठीक से पूरी नहीं बनी है। इसलिये अनुरोध है कि जो सड़कें निर्माणाधीन है और पूरी नहीं हैं उनको ठीक करवा देना चाहिये। सड़क ठीक न होने से वहां अपराध अधिक होते रहते हैं। इसलिये वहां चौकियों की स्थापना होनी चाहिये जिससे वारदात अधिक न हों।

मान्यवर, दातागंज जो कि राम गंगा नदी के किनारे-किनारे बसा है वहां सीमा विवाद हमेशा रहता है बरेली और शाहजहांपुर में सीमा विवाद रहता है। चूंकि गंगा से कटी कुछ जमीन वहां के लोग जोतते रहते हैं। इस कारण वहां वारदातें भी होती रहती हैं। इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बात का प्राविधान करें कि इस प्रकार का सीमा विवाद तुरन्त समाप्त हो और मेड़बन्दी हो जाय तथा जो वहां के जमीन के असली काश्तकार मालिक हैं उनको वह जमीन दे दी जाय।

मान्यवर, अंत में शान्ति और व्यवस्था की बात मैं कहना चाहता हूं। शांति और व्यवस्था कुछ हद तक बिगड़ी है और जिसका मुख्य कारण मैं समझता हूं कि यहां पर अफसरशाही का जोर हो गया है। वह अपने को सुप्रीम समझने लगे हैं। जब यह स्थिति आ जाती है तो शासन को कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य करनी पड़ेगी, जिससे शांति व्यवस्था ठीक हो। मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं बजट का समर्थन और स्वागत करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने जो आय-व्ययक पर चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने का अवसर दिया। वित्त मंत्री जी ने मान्यवर, अपने भाषण में प्रयास तो बहुत किया है कि वे इस प्रदेश की जनता के सामने एक अच्छी तस्वीर प्रस्तुत कर सकें। लेकिन जो बजट है वह बड़ा ही निराशाजनक है और ऐसा बजट इसके पहले नहीं प्रस्तुत किया गया है। यह अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाने वाला बजट है। मान्यवर, यही नहीं देहात में जो बसते हैं उनकी कठिनाइयों को और आगे यह बजट बढ़ाएगा। यह बजट आंकड़ों के जाल से भरा हुआ है। जो मंत्री जी ने तुलना किया है उसमें उन्होंने लिखा है---१९६०-६१ से लेकर १९७६-७७ तक आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशत है, जबकि पूरे देश में ३.३ प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। यह बतायें कि कभी वास्तविक आंकड़े से अनुमानित आंकड़े की तुलना हुई है? कौन सा प्रयास किया गया है। यही नहीं मान्यवर, पिछले वर्ष जो बजट पास किया गया, जो अनुदान पास किया, उसे भी यह खर्च नहीं कर पाये। इसके अतिरिक्त मान्यवर, आप देख लें सन् ७६-७७ में वास्तविक आंकड़े शिक्षा से सम्बन्धित ६,५३,१४,०२० रुपये और ७७-७८ में आय-व्ययक में ७,८३,६४,७००, पुनरीक्षित जब हुआ तो रुपया खर्च नहीं कर पाये। ६,४६,३७,७०० रुपये ही खर्च कर पाये। यानी सवा करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाये शिक्षा में।

दूसरी बात। चिकित्सा की बात कहते हैं। चिकित्सा में ४,५,६७,८२४ रुपये था, फिर आय-व्ययक में ७७-७८ में ४,७७,९२,७०० रुपये बाद में चल कर जितनी बजट में स्वीकृति ली थी उसके विपरीत ४,५७,८८,१०० रुपये। इसमें

खर्च नहीं कर पायें । आगे चलें । जल सम्पूर्ति में यही स्थिति है, कृषि में यही स्थिति है, लघु उद्योग में यही स्थिति है, बाढ़ नियन्त्रण में यही स्थिति है । यही नहीं और आगे चलें । हमारे पर्वतीय क्षेत्र की विकास करने क बात करते हैं इसमें भी पैसा तो दे दिया लेकिन खर्च नहीं कर पाये । टिप्पणी में दिया है कि उद्योग में ५४५०, कृषि में ७५८, चिकित्सा में १६००, शिक्षा में २००, सिंचाई विभाग में ४९१, स्वास्थ्य में २२४, खेल-कूद में ४७५ की कमी की गयी जो वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर हैं । वास्तविक जो आवश्यकताएं हैं यह कितनी हैं यह तो निर्भर करती हैं कि योजनायें कैसी हैं, किस तरह की योजनाओं को आप बनाते हैं जिनके अनुसार यदि आप धनराशि लें तब कार्यान्वयन होगा ।

मान्यवर, जब मन्त्री जी ने बजट भाषण प्रस्तुत किया तो इसमें करीब ७९.३५ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है । अब इसे पूरा कैसे करेंगे । पूरा करने के लिए इन्होंने सिनेमा टिकट पर टैक्स लगाया । टैक्स किस पर लगाया । न्यूनतम दर को १०० प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है । यानि जो ऊपर की श्रेणी के टिकट हैं जिनमें रईस लोग जाते हैं उन में आप ने कोई वृद्धि नहीं की । इस बात से साबित है कि जो गरीब लोग हैं उन पर टैक्स लगाया । जो गरीब जनता का इस प्रदेश में सिनेमा मनोरंजन का साधन है उस पर टैक्स लगाया, रिक्शे वाले हैं छोटे-छोटे मजदूर हैं यह टैक्स उन पर पड़ेगा । इस प्रकार इन्होंने जन विरोधी कार्य किया है । ऐसा प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ । यही नहीं मान्यवर इन्होंने डिजिल पर १२ प्रतिशत एडविलोरम दर निश्चित की । डिजल की सभी को जरूरत है । किसानों को भी अपने पम्प सेट चलाने हैं, ट्रैक्टर चलाने हैं । उस पर टैक्स बढ़ा कर किसानों को राहत देने की बात करते हैं । इसको कोई राहत देने की बात तो दूर रही उसकी आर्थिक कठिनाई डिजिल पर टैक्स बढ़ा कर इन्होंने और बढ़ा दी है ? बिक्री कर पंजीकरण, नवीनीकरण की फीस की दर भी बढ़ा दी है जिसमें वृद्धि से इन को ४० करोड़ रुपये का लाभ हो रहा है । किसान बंदूक का लाइसेन्स लेता है उस पर भी इन्होंने फीस में वृद्धि कर दी है । और यह जो हमारी ट्रालियां हैं इनके लिये क्या किया गया है ? गांव की ओर चलो यह नारा है । उसे आप उजाड़ने जा रहे हैं क्या ? ट्राली किसान रखते हैं जो फार्म का उत्पादन है उससे उसे बाजार में लाया जाता है । उस पर आप रोड टैक्स लगाने जा रहे हैं । उनका कहना है कि ट्रैक्टर तथा ट्रैक्टर ट्रालियों के पंजीकरण शुल्क तथा मार्ग कर की विविधता के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता था । इनका सरलीकरण किया जा रहा है । इससे लगभग ५० लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय होने का अनुमान है । ५० लाख रुपया का टैक्स लगा कर ऐसी परेशानी दूर किसी ने आज तक नहीं की होगी जो ये कर रहे हैं ।

पिछले साल जब बजट सेशन चला तो कहा गया था कि लगान में एक रूपता लायेंगे और एक रूपता लाने लिये लगान में वृद्धि कर दी और वसूली निर्दयतापूर्वक की, उसका काफी विरोध हुआ । इसके अलावा उप खनिजों में रायल्टी बढ़ा दी । गरीब मजदूर उसमें काम करते हैं इस तरह से मजदूर जो पैसे कमा लेता था उस को भी आपने टैक्स कर दिया । इसी तरह से २० करोड़ रुपये राजस्व की हानि नशाबन्दी से होगी । नशाबन्दी के हम पक्ष में हैं लेकिन नशाबन्दी करने के लिये जो कानून और व्यवस्था है २० करोड़ रुपये उस पर व्यय हो जायगा तब यह रुक सकेगी और सरकार को कामयाबी मिल सकेगी ।

[श्री देव बहादुर सिंह]

पिछले बजट में जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उसमें एक बात आई थी कि जो निगम हमारे प्रदेश में हैं वे सफेद हाथी हैं और जो राजनीतिक लोग हैं उनको पुरस्कार उनके जरिये दिया जाता है। लेकिन जिन्होंने यह कहा था जब वही गद्दीनशीन हुए तब मैंने सोचा कि जिस सरकार की यह विचारधारा रही है वह इन निगमों को खत्म कर देगी या ऐसा कोई सुधार करेगी, जो इससे भिन्न काम होगा लेकिन जितने निगम हैं पुरस्कार स्वरूप कि किस-किस को इन्होंने दिये, कि किस को इन्होंने रखा ? इनके दोस्त व रिश्तेदार ही हैं जिनको रखा गया। अब निगमों की हालत देखिये। सीमेन्ट निगम है। इसकी इकाइयों में जो उत्पादन क्षमता पहले ८० प्रतिशत थी वह घट कर ६० प्रतिशत रह गयी। चीनी निगम की भी यही हालत है और उसकी बड़ी दुर्गति हो रही है। वस्त्र निगम की हालत यह है कि तालाबन्दी के कारण काम की गति धीमी पड़ गयी है। उत्पादन क्षमता ७० प्रतिशत रह गयी है। इंडियन टर पेनटाइन एंड रोजिन निगम है। इसके प्लान्ट्स बन्द पड़े हैं। आटो ट्रैक्टर जो प्रतापगढ़ में है केन्द्रीय आयोजना आयोग ने स्वीकृति नहीं दी। सड़क परिवहन की क्या हालत है, किस रफ्तार से चल रहा है ? निर्यात निगम की भी यही हालत है। सबकी हालत यह है कि रोज उनकी आय घटती जा रही है। पहले वह सफेद हाथी नहीं थे लेकिन अब अवश्य हो गये हैं और जैसी यह सरकार है वैसा उनका पालन पोषण यह करना चाहती है।

एक बात मैं यह कहूंगा कि पेंशनर्स की ५ रुपये की वृद्धि की है। एक-एक आदमी का हिसाब देखा जाय तो ४० रुपये की वृद्धि होनी चाहिये थी। वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि हम इसे पुरस्कार स्वरूप दे रहे हैं। अगर देना ही था तो इतना देना चाहिये था, जिससे कि काम चल सकता। यह प्रश्न नहीं है कि कितना बढ़ाया बल्कि यह है कि आदमी जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन स्वीकार होने में कितना समय लगता है। कभी-कभी तो यहां तक होता है कि उसका देहावसान हो जाता है और उसका कागज ही नहीं पहुंच पाता। यदि कोई ऐसा कार्यक्रम आप बनाते जिससे सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी के कागजात पहले ही बन जाते तो ज्यादा लाभ होता। ५ रुपया बढ़ाकर एक झूठी और गलत आशा उनके सामने रख दी गई है।

इस प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहूं। रोज यहां पर इस सम्बन्ध में चर्चा होती है। जब विधान सभा सदस्य के साथ ही दुर्व्यवहार इस प्रदेश में हो तो साधारण नागरिक की क्या स्थिति होगी, इसकी चर्चा हम सदन में करते हैं। मान्यवर, मैं तुलनात्मक आंकड़े आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि आप प्रदेश में १९७६ और १९७७ की तुलना करें तो पायेंगे कि डकैती १९७७ में ४१७८ और १९७६ में ३३३१, लूट १९७७ में ७६८८, १९७६ में ६३०६, हत्या १९७६ में ४२७३, इसी तरह से हर आइम में वृद्धि हुई है। हमारे मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश में ठीक है। उन्हें आत्म-संतोष है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आदमी अपने को ही धोखा दे, लेकिन मुख्य मन्त्री कहते हैं तो ठीक हैं। ऐसा कह देने से जो आज व्यवस्था और शासन प्रणाली है वह ठीक नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं कि जो असलियत है उसको आप स्वीकार करें और कानून व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है, उसको ठीक करें।

मान्यवर, काठगोदाम में, आगरे में कुमायूं एक्सप्रेस की दो बोगियां लड़कों ने जला दी, बाराबंकी में गोली चला दी, ३० साल की कांग्रेसी हुकूमत में कभी लड़कियों पर लाठी चार्ज नहीं हुआ था वह भी करा दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी और डी० ए० वी० कालेज, कानपुर की कानून व्यवस्था हमारे सामने कल ही आई। चारों तरफ से अराजकता की स्थिति में हमारा प्रदेश है। मैं चाहता हूं कि अपनी नीति सरकार इस तरह से बदले, जिससे यह अराजकता की स्थिति प्रदेश से चली जाय। आज आदमी अपने को सुरक्षित नहीं समझता। महिलायें घर से नहीं निकलती हैं। ट्रेन में सफर करने वाला आदमी जब तक अपने गंन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाता, अपने को सुरक्षित नहीं पाता। उसके मन में आशंका बनी रहती है। जहां उसे पहुंचना है, उसकी प्रतीक्षा होती रहती है कि वह ठीक-ठाक आ जाय। जब वह घर पहुंच जाता है, तब समझता है कि हम मंजिल में पहुंचे हैं...

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, कृषि के बारे में दो शब्द कह दूं। कृषि में दो चीजें बड़े काम की हैं--दलहन और तिलहन। हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हैं जिस तरह से उन्होंने गेहूं और चावल के बारे में हाई ईल्डिंग वैराइटी का अनुसंधान किया है उसी तरह से तिलहन और दलहन में भी होना चाहिए। कृषि विभाग को चाहिए कि वह फसल चक्र की सूचना किसान को दे कि वह कहां-कहां उसे बोये। मान्यवर, मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया, क्षमा चाहता हूं और आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी को कहता हूं कि वे कृपया इन सुझावों पर विचार करें। स्वास्थ्य के बारे में भी कहना था किन्तु समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अब आज फिर आय-व्ययक पर सामान्य विवाद स्थगित किया जाता है। यह आज दूसरा दिन है। अभी तीन दिन सामान्य विवाद पर चर्चा और होगी। अब मैं नियम ५१ की सूचनायें लेने से पहले एक औपचारिक सूचना देना चाहता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक ७ अप्रैल, १९७८ की बैठक में यह सिफारिश की है कि आय-व्ययक की मांगों पर सामान्य चर्चा दिनांक १२ अप्रैल, १९७८ को हो और १३ अप्रैल, १९७८ से १२ मई, १९७८ तक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आय-व्ययक की मांगों पर मतदान हो।

खाद्य मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमन्त्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत हैं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

एक सदस्य—

सर्व सम्मति से कहें ।

श्री अध्यक्ष—

मुमकिन है कोई विरोध करे ताकि कार्यवाही गलत न हो जाय क्योंकि कभी-कभी मन्जूर साहब इधर-उधर चले जाते हैं ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ में आज जो सूचना मुझे प्राप्त हुई हैं उसमें सर्वश्री श्रीराम द्विवेदी, रवीन्द्र सिंह, राजपति मिश्र, राजेन्द्र कुमार गुप्त, रमा शंकर कौशिक, हरिकेवल प्रसाद, राम नरेश पान्डेय, बसंत लाल, डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', शतरुद्ध प्रकाश, बाबू राम शुक्ल, बाबू बदरे और मोती राम की "दिनांक ६ अप्रैल, १९७८ को पुलिस द्वारा डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के उग्र छात्रों पर लाठी चार्ज, आंसू गैस तथा रबर गोलियों का प्रयोग तथा वहां की स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण गंभीर स्थिति पैदा होना" विषय पर सूचना है जिसको मैंने स्वीकार किया है ।

माननीय खाद्य मन्त्री जी, इस पर मुख्य मन्त्री जी कब वक्तव्य देंगे ? क्योंकि यह महत्वपूर्ण मामला है और १० तारीख को अब हम मिलेंगे इसलिये उस दिन इस पर वक्तव्य दे दिया जाय ।

श्री हरिश्चन्द्र—

ठीक है ।

श्री अध्यक्ष—

पिछड़ी जातियों के सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विषय को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा आंदोलन ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, मैंने एक सूचना नियम ५१ में दी थी, जिसको आपने सम्वत: वक्तव्य के लिए स्वीकार किया था, उसका जिक्र नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष—

श्री कल्पनाथ सिंह, श्री आरिफ मोहम्मद खां, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी की राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के चलने से जनता में निराशा तथा राजकीय कोष को भारी क्षति के विषय पर सूचना प्राप्त हुई है, जिसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । इस पर प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे । परिवहन मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

११ तारीख को दे दूंगा ।

पिछड़ी जातियों के सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विषय को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों में असंतोष के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो नोटिस नियम ५१ और ५६ के अन्तर्गत दिया गया इसका प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था से सम्बन्ध था । लेकिन सरकार ने उसका जिस तरह से नोटिस लिया है कि माननीय समाज कल्याण मन्त्री जी पर उसे डाल दिया है इससे लगता है कि आरक्षण के प्रश्न को सरकार किस तरह ले रही है । गृह मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिये था जो कि मुख्य मन्त्री जी के पास है । वह इस पर वक्तव्य देते, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह सवाल कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई सूरत हाल से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका व्यवस्था के प्रश्न पर इतना बड़ा भाषण । देखिए सरकार की मुश्तरका जिम्मेदारी है । आरक्षण आदि का सम्बन्ध माननीय समाज कल्याण मन्त्री से ही है । इसलिए मैंने उनको ही बुलाया है ।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री राम सिंह)—

वक्तव्य में प्रस्तुत करूं, उसके पहले यह कह देना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो पूछा गया है, उसका भी इस वक्तव्य में समावेश है ।

पिछड़े वर्ग के लिए शासकीय तथा शासन से सहायता प्राप्त संस्थाओं की सेवाओं में १५ प्रतिशत आरक्षण करने का प्रस्ताव पिछली सरकार द्वारा माह अप्रैल, १९७७ में सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया गया था । लेकिन इसके कार्यान्वयन के पहलुओं पर विचार करने और आदेश जारी होने के पूर्व ही प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया ।

पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में भारत सरकार से भी राय ली गई । भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में यह सूचित किया कि सेवाओं में आरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त किसी भी पिछड़ी जाति को मान्यता नहीं दी है । संविधान के अनुच्छेद १६(४) और १२ के साथ पठित अनुच्छेद ३३५ की शर्तों में राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में किसी भी अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने का कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारों का होगा । अनुच्छेद १६(४), १२ एवं ३३५ निम्न प्रकार है :—

"१६(१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी ।

× × ×

[श्री राम सिंह]

(४) इस अनुच्छेद के किसी बात से राज्य को पिछड़े हुये किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिए उपबन्ध करने में कोई बाधा नहीं होगी ।

१२—यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इस भाग में "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक की सरकार और विधान मन्डल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी हैं ।

३३५—संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्य पटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनूसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायगा ।"

जहां तक अनूसूचित जातियों/जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इन जातियों को आरक्षण की सुविधा संविधान में निहित स्पष्ट प्राविधान के अन्तर्गत प्रदान की गई है । किन्तु पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में ऐसा कोई स्पष्ट प्राविधान संविधान में नहीं है लेकिन भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि अनुच्छेद १६(४) में राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उनकी राय में किसी पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो नियुक्तियों/पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी ।

पिछले सत्र में श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मामले में विधान सभा में काफी चर्चा हुई । अतएव संविधान के सम्बन्धित उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मामले पर विचार किया गया और २० अगस्त, १९७७ को यह आदेश जारी हुए कि पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासकीय सेवाओं की प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में १५ प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी में १० प्रतिशत का आरक्षण दिया जाय । इसके अतिरिक्त प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भांति पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए १५ प्रतिशत का आरक्षण जनवरी, १९७८ में प्रदान किया गया । पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए राजकीय सेवाओं में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वह संविधान में निहित सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन है ।

जहां तक पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित ३७ हिन्दू एवं २१ मुस्लिम जातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पिछली सरकार द्वारा श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में "सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग" गठित किया गया था । उस आयोग की रिपोर्ट सरकार को पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हो सकी । अतः पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वर्ष १९५८ में निर्गत शासनादेश में तदुल्लिखित ३७ हिन्दू एवं २१ मुस्लिम जातियों को आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया गया और तद्नुसार ही आदेश इस सम्बन्ध में जारी किये गये हैं ।

संविधान के अनुच्छेद १६(४) में निहित प्राविधान को ही ध्यान में रखकर जिन सेवाओं में भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं में पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे चिकित्सा/कृषि/प्राविधिक सेवा आदि, इनके लिए भी राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल कालेजों/इंजीनियरिंग कालेजों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/कृषि विद्यालयों में प्रवेश हेतु १५ प्रतिशत के आरक्षण का निर्णय लिया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग/श्रम विभाग ने इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश भी जारी कर दिये हैं। चिकित्सा/कृषि विभाग के अन्तर्गत यह मामला अपेक्षित आदेश जारी करने के लिए अभी विचाराधीन हैं।

इस समय प्रदेश में निम्नलिखित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है :—

	वर्ग–१	वर्ग–२	वर्ग–३	वर्ग–४
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
१—अनुसूचित जाति ..	१८	१८	× २५	*३०
२—अनुसूचित जनजाति ..	२	२	२	२
३—समाज के अक्षम व्यक्तियों के लिए (फिजीकली हैण्डीकैप्ड)	२	२	२	२
४—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	५	५	३	३
५—सेना के विकलांग अधिकारियों तथा इमरजेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड अफसरों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए	८	८	३	३
६—पिछड़े वर्ग के लिये ..	१५	१५	१५	१०

टिप्पणी— × वर्ग ३ की सेवाओं में, जो लोक सेवा आयोग के बाहर हैं, अनुसूचित जातियों के लिये जब तक १८ प्रतिशत कोटा पूरा नहीं हो जाता तब तक इन जातियों के लिये २५ प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।

* वर्ग ४ में अनुसूचित जातियों का जब तक १८ प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं हो जाता उनके लिये ३० प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।

उक्त तालिका के देखने से विदित होगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये आरक्षण की व्यवस्था करने के अतिरिक्त राज्य सरकार ने समाज के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा सेना के विकलांग अधिकारियों आदि के लिए भी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी निर्बल वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के हितों की सुरक्षा का ध्यान बराबर रखा है।

[श्री राम सिंह—]

लखनऊ में विशेषकर लखनऊ विश्वविद्यालय में दिनांक ३१ मार्च, १९७८ से आरक्षण विरोधी आन्दोलन छात्रों द्वारा चलाया जा रहा है। दिनांक ३१ मार्च, १९७८ को के० के० बी० कालेज के १४ छात्रों को रायल होटल क्रासिंग विधान भवन के सामने प्रदर्शन हेतु जाने के प्रयास में धारा १५१/१०७/११६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया और उसी दिन शाम को मैजिस्ट्रेट के आदेश से उन्हें छोड़ दिया गया।

३१ मार्च, १९७८ को ही लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का एक जुलूस विश्वविद्यालय से जी० पी० ओ० तक आरक्षण विरोधी नारे लगाते हुये आया। इसके उपरान्त छात्रों का एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्य मंत्री जी से मिला तथा २९ सूत्रीय मांग-पत्र उन्हें दिया जिसमें जातिगत आरक्षण का विरोध भी किया गया था।

दिनांक २ अप्रैल, १९७८ को रात्रि में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावासों के लड़कों ने एकत्रित होकर मीटिंग की तथा आरक्षण के विरोध में लगभग १०० विद्यार्थी जुलूस बनाकर जिला मैजिस्ट्रेट से उनके निवास पर रात्रि को मिले।

दिनांक ३ अप्रैल, १९७८ को लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को कक्षाओं से बाहर आने को कहा तथा विश्वविद्यालय प्रांगण में एक मीटिंग करने के उपरान्त जुलूस बनाकर जी० पी० ओ० पार्क तक आये। छात्र विधान भवन के सामने निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर जाना चाहते थे अतः २० छात्रों को धारा १५१/१०७/११६ के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया जिन्हें बाद में मैजिस्ट्रेट के आदेशानुसार मुक्त कर दिया गया।

दिनांक ४ अप्रैल, १९७८ को लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने कक्षा यें बन्द कराने के बाद एक मीटिंग की तथा आरक्षण विरोधी नारे लगाये।

दिनांक ४ अप्रैल, १९७८ को ही विद्यार्थी परिषद् के तत्वाधान में 'प्रतिकार दिवस' मनाया गया। लगभग ५० छात्र जिनमें लखनऊ विश्वविद्यालय के भी छात्र थे निशात टाकीज के पास से आरक्षण विरोधी नारे लगाते हुये जी० पी० ओ० तक आये जहां ४१ छात्रों को धारा १५१/१०७/११६ द० प्र० सं० के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया जिन्हें बाद में मैजिस्ट्रेट के आदेशानुसार छोड़ दिया गया।

दिनांक ५ अप्रैल, १९७८ को लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने एक मीटिंग की जिसमें आरक्षण विरोधी भाषण हुये एवं नारेबाजी की गयी। मीटिंग के उपरान्त छात्र विभिन्न कक्षाओं में गये जहां उन्होंने कक्षायें बन्द करायी, कुछ कमरों के शीशे तोड़े तथा कुछ छात्रों एवं छात्राओं को मारा-पीटा। केमेस्ट्री विभाग में कुछ सामान को भी क्षति पहुंचायी। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने दिनांक ६ अप्रैल से ८ अप्रैल, १९७८ तक के लिए केवल विज्ञान, कला, कामर्स तथा कानून संकायों में अध्ययन कार्य बन्द करने की घोषणा की।

दिनांक ६ अप्रैल, १९७८ को लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों ने एक सभा की तथा ११ छात्र क्रमिक अनशन पर आरक्षण का विरोध करने हेतु बैठ गये हैं। दिनांक ६ अप्रैल, १९७८ को ही सायंकाल लगभग ८ बजे हजरतगंज मार्केट में कुछ छुट-पुट छात्रों ने आरक्षण विरोधी नारे लगाये तथा बाद में वे इधर-उधर चले गये।

पिछड़ी जातियों के सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विषय को लेकर २७३ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों में असंतोष के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

आज दिनांक ७ अप्रैल, १९७८ को प्रातः क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ के छात्रों ने आरक्षण का विरोध करने हेतु कक्षाओं का बहिष्कार किया । स्थिति नियंत्रण में है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय, जहां तक अनुसूचित और जन जातियों के लोगों के आरक्षण का प्रश्न है उसको सम्पूर्ण देश ने स्वीकार किया है । राज्य ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था की है । इन में २७ हिन्दू जातियां और ३१ मुस्लिम जातियां हैं । इनके अतिरिक्त जो जातियां हैं वह पिछड़े वर्ग की नहीं हैं यह किस आधार पर निर्धारण किया गया है ?

श्री राम सिंह—

१९५८ की सूची के पश्चात् जो 'साथी कमीशन' की स्थापना हुई, मैंने पहले भी कहा था कि उसमें कुछ जातियों का जिक्र है, हम उसका अध्ययन करा रहे हैं कि सर्वाधिक पिछड़ी जातियां कौन हैं । यदि आवश्यकता हुई तो उस पर भी विचार कर लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि ५८ जातियों को पिछड़ी घोषित किया है तो बाकी को पिछड़ी न घोषित किए जाने का क्या आधार है ?

श्री राम सिंह—

यह प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन नहीं है । ५८ में जो सूची तैयार की गयी थी, उसी आधार पर है ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कई लोगों के हस्ताक्षर हैं, पहले उन्हें मौका दिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

अनुसूचित जातियों के लिये १८ प्रतिशत का कोटा निर्धारित था और जब वह पूरा नहीं हो पाया तो इसको ४५ प्रतिशत कर दिया गया और अब इसको ४५ प्रतिशत को ३० प्रतिशत कर दिया गया है तो जब ४५ प्रतिशत के आरक्षण पर अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा नहीं हो सकता तो ३० प्रतिशत से कैसे पूरा हो सकेगा ? मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री राम सिंह—

आरक्षण का प्रश्न जब विचाराधीन था तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी कि ५० प्रतिशत से अधिक का आरक्षण नहीं किया जा सकता है । १५ प्रतिशत का आरक्षण पिछड़ी जातियों को देना था इसीलिए उसको दिया गया ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

जब तक १८ फीसदी का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होता है, तो यह संख्या ४५ प्रतिशत से ३० प्रतिशत क्यों कर दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

आप पहले उनका उत्तर सुन लीजिए । उनका कहना है कि यहां पर कुल मिला कर ५० प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता । इसलिए आप टोटल देखेंगे कि ५० बैठता है । इसीलिए इसको ४५ से घटाकर ३० किया गया है । यह आरक्षण १८ फीसदी का है और ३० फीसदी उस समय तक रहेगा जब तक कि १८ प्रतिशत पूरा नहीं हो जाता है ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का हक मारकर पिछड़ी जाति का कोटा निर्धारित किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो तर्क कर रहे हैं, सूचना मांग रहे हैं । जब सदन में बजट पर सामान्य विवाद हो रहा है तो जब आप बोलें तब आप तर्क प्रस्तुत कर सकते है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मान्यवर, प्रदेश में आरक्षण प्रदान करने के सिलसिले में जो जातिवाद की नीति अपनायी गई है उसका और बिहार में जो संघर्ष चल रहा है उसका प्रदेश में प्रभाव पड़ना ही था । जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं तो इस प्रदेश की शांति–व्यवस्था के सवाल पर ज्यादा चिन्तित हूं उस सम्बन्ध में मेरा सवाल यह है कि जब यह जिम्मेवारी ली है कि वे इस सिलसिले में भी जवाब देंगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पिछले ५–६ दिनों से मुस्तकिल तौर से ऐसी घटनायें हो रही हैं जिनमें आरक्षण विरोधी नारे लगाये गये, क्लासेज का बहिष्कार किया गया, लेबोरेटरी में तोड़ा तोड़ी हुई । लखनऊ विश्वविद्यालय के यूनियन के अध्यक्ष जो अखिल भारतीय परिषद् के भी सदस्य हैं ने प्रतिकार दिवस मनाया । तो अगर आरक्षण पर सरकार ने पुनर्विचार नहीं किया तो लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आन्दोलन चलेगा, प्रदर्शन होंगे । माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लोगों ने ४ तारीख को आरक्षण विरोधी नारे लगाते हुए प्रतिकार दिवस मनाया तो उनको बन्दी बनाया गया । इन तमाम घटनाओं के होते हुए और यह जानते हुए कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में लाठी–डंडा चलेगा....

श्री अध्यक्ष—

आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं इन कार्यक्रमों के चलते हुए सामान्य जीवन अस्त व्यस्त न हो, उन्होंने इसके लिए क्या तदबीर की है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने कहा छात्रों ने मुख्य मंत्री जी को मिलकर जो ज्ञापन दिया उसमें १९ मांग प्रस्तुत की लेकिन चूंकि माननीय सदस्यों को आरक्षण में दिलचस्पी थी इसलिए यहां पर केवल सरकारी सेवाओं में आरक्षण का जिक्र किया

गया है । जहां तक विश्वविद्यालय का सवाल है उसमें ४ संकाय हैं जिन में छुट्टी है बाकी संकायें काम कर रही हैं ।

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने ३ मुद्दों पर जोर दिया है । पहला उनका कहना है कि पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया । पिछली सरकार ने तो इमरजेन्सी का भी निर्णय लिया था, उससे कोई मुकाबला नहीं मिलता । दूसरा बिन्दु आपने लिया कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार से पूछ और उसने यह कहा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अतिरिक्त किसी भी पिछड़ी जाति को मान्यता नहीं दी है और यह संविधान में श्रीमन्, अध्याय ३ में मूल अधिकार की बात कही गयी है । समता का अधिकार १४ से १६ तक है । जो १६ (२) में लिखा हुआ है, उनको आपने नहीं लिखा है, उसका लिखना बहुत जरूरी था । १६(२) में लिखा है । "केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा ।" इसमें जाति शब्द लिखा हुआ है । आपने खण्ड ४ का हवाला दिया है । खण्ड ४ इस प्रकार है :—

> "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी ।"

तो मान्यवर, संविधान में यह बात आई है, कहीं पर भी जाति शब्द नहीं है । तो मान्यवर, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति में विभेद नहीं किया जायगा । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १६ (१) में क्या है ? मान्यवर, मैं १६ (१) पढ़कर सुना देता हूं :—

> "राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी ।"

इसमें कहीं पर भी जाति शब्द नहीं लिखा हुआ है । मान्यवर, १६ (२) भी देख लें । मान्यवर, कांस्टीट्युशन में जो लिखा हुआ है, जो राइट्स, समता का अधिकार है, उसको उनसे छीना नहीं जा रहा है । मान्यवर, यह संविधान का उल्लंघन है और सरकार ने स्वयं इसमें तस्लीम किया है । श्रीमन् नं० ५ देखें । इसमें लिखा है :—

> "जहां तक पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित ३७ हिन्दू एवं २१ मुस्लिम जातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पिछली सरकार द्वारा श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था । उस आयोग की रिपोर्ट सरकार को पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हो सकी । अतः पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वर्ष १९५८ में निर्गत शासनादेश में तदुल्लिखित ३७ हिन्दू एवं २१ मुस्लिम जातियों को आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया गया और तदनुसार ही आदेश इस सम्बन्ध में जारी किये गये हैं ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह—]

तो मान्यवर, मंत्री जी ने भी पिछड़ावर्ग लिखा है। मान्यवर, उस आयोग की रिपोर्ट मिली नहीं, संविधान की धारा १६ का गलत मतलब लगाते हुए नम्बर २ को न पढ़ते हुए नम्बर ४ का फायदा लिया है। तो मान्यवर, इस प्रकार से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में जो माननीय जगदम्बा प्रसाद सिंह जी ने कहा है। हमारी नियमावली के अनुसार संविधान की व्याख्या का जहां तक प्रश्न है, उस व्याख्या को करने के लिए यह सदन सक्षम नहीं है। जैसे आपने संविधान के अनुच्छेद १६ (४) की व्याख्या की, १६ (२) में आपने कहा—"लिंग, धर्म, जाति आदि" का कोई भेद नौकरियों में नहीं किया जायगा। फिर १६ (४) में जो प्रतिबंध है कि—"राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।" यह इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न है। इसकी व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को है। माननीय सदस्य को यह भी विदित होगा कि इसी सम्बन्ध में अलग हाई कोर्ट में इस प्रश्न को लेकर इस आदेश को कुछ व्यक्तियों के द्वारा चुनौती दी गयी है। इसलिए संविधान के इस इण्टरप्रिटेशन को आया यह संविधान के विरुद्ध है, अनुच्छेद १६ (४) का उल्लंघन करता है, इसके इन्टरप्रिटेशन की मैं अनुमति नहीं दूंगा। केवल यह नियम ५१ के अनुसार जो प्रश्न पूछा गया है आरक्षण को लेकर, विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों में जो अशांति हो रही है, उसके सम्बन्ध में। नियम ५१ का एक ही उद्देश्य होता है कि आप सरकार से सूचना प्राप्त करें। वस्तुस्थिति के बारे में माननीय समाज कल्याण मंत्री ने जो वस्तुस्थिति थी, वह बताया। इसके औचित्य का प्रश्न नहीं है। यहां हमारे सामने वह प्रश्न था कि वस्तुस्थिति क्या है। जो आपने मूल प्रश्न लिया है, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो उसी पर आप प्रश्न कर सकते हैं वह भी केवल और उस वक्तव्य के सम्बन्ध में ज्यादा प्रकाश डालने के लिए। तो इसलिए इसकी तो अनुमति मैं नहीं दूंगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह—

मान्यवर, जैसा श्रीमन् ने कहा उच्चतम न्यायालय में मामला गया हुआ है, उस पर फैसला होने तक क्या वह आरक्षण के मामले को स्थगित रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ सकते थे कि क्या उच्च न्यायालय में यह प्रश्न विचाराधीन है ? यदि ऐसा है, तो क्या उच्च न्यायालय ने कोई इसका आर्डर दिया है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मुझको समाचार-पत्रों के द्वारा यह जानकारी मिली है कि उच्च न्यायालय में कोई रिट दाखिल किया गया है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इस तरह का कोई स्थगन आदेश तो दिया नहीं है। तो जब तक आदेश नहीं दिया तो उसकी प्रतीक्षा करेंगे।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ५ मामलों में यह स्थिर किया है कि जाति के आधार पर आरक्षण उचित है और संवैधानिक है, बशर्ते कि वह शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से भी हो ?

श्री अध्यक्ष—

वीरेन्द्रपति यादव जी, आपका प्रश्न भी वही हुआ । मैं इसके औचित्य के सम्बन्ध में किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा । इससे जो उत्पन्न परिस्थिति है जो विवाद चल रहा है जो हिंसा हो रही है, तोड़-फोड़ हो रही है उसके सम्बन्ध में आप मंत्री जी से प्रश्न पूछ सकते हैं कि शान्ति को बनाये रखने के लिए सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री राम देव दुबे (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या होती है ? अगर परिभाषा यहां कर दी जाय तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

परिभाषा बतला दी, सन् १९५८ में जिन जातियों की सूची बनायी गयी है वह परिभाषा है । उस परिभाषा से आप चाहे सहमत हों या न हों । आप चाहें तो फिर से एक विधेयक के द्वारा चुनौती दे सकते हैं । इस समय तो विधेयक में इस पर नहीं कर रहा हूं ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के रास्ते में आ जाने के कारण यह अनुसूचित जाति को चतुर्थ श्रेणी में ४५ से काटकर उनको ३० प्रतिशत कर दिया गया । तालिका देखने से मालूम होता है कि पिछड़े वर्ग वालों का आपने १० प्रतिशत का आरक्षण किया है । अगर अनुसूचित जाति का आरक्षण ३० के बजाय ४० रखा होता तब भी वह रूलिंग रास्ते में आड़े न आती । कृपया समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि इस तरह का १० प्रतिशत आरक्षण बेकार में कैसे काट दिया गया ? रूलिंग को सेफ रखते हुए १० प्रतिशत को बचा सकते थे । काटने से अनुसूचित जातियों के लोगों में क्षोभ और असन्तोष है और स्थिति कभी भी भयंकर हो सकती है ।

श्री राम सिंह—

जो स्थिति थी वह मैंने स्पष्ट कर दी कि आरक्षण की व्यवस्था जिस समय हमने की थी तो सभी श्रेणियों का थोड़ा-थोड़ा आरक्षण कम करना पड़ा । इसी तरह से वर्ग १, २, ३ को १५ प्रतिशत और चौथे को १० प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था हम कर पाये हैं ।

श्री मोती राम—

उत्तर दिया कि ५० प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता था और चूंकि ४० कर दें तब भी ५० होता है.... ।

श्री अध्यक्ष—

फिर आप जोड़ बतला दें । आपका प्रश्न सही नहीं है ।

श्री मोती राम—

आपने ४५ काट कर अगर ४० किया होता...

श्री अध्यक्ष—

अगर ४० करते तो ४० और २=४२, ४२ और २=४४ और ३=४७ और ३=५० ।

श्री मोती राम—

बैकवर्ड को दिया है १० प्रतिशत । १० प्रतिशत आपने दिया है, अगर ४० कर दिया जाता तो टोटल ५० हो जाता ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये । अगर आपने माननीय मंत्री का उत्तर सुना होता तो आप यह प्रश्न न करते । उसमें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी वगैरह भी हैं और वह सब मिलाकर ५० प्रतिशत हो जाता है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

लोक सेवा आयोग द्वारा जो चुनाव होता है वहां तो १८ परसेन्ट का कोटा पूरा किया जाता है, मगर विभागों द्वारा उनका प्रतिशत पूरा नहीं किया जाता । प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ किसी श्रेणी में यह प्रतिशत पूरा नहीं होता है । जो अधिकारी सरकारी नीति और सरकारी घोषणा के विपरीत काम करते हैं क्या सरकार उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि करेगी उनके कैरेक्टर रोल में तथा अन्य कोई दण्ड की व्यवस्था करेगी ?

श्री राम सिंह—

यह बात सही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का आरक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है । पहली जनवरी, १९७६ को राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की ओर से जो पुस्तिका बंटी थी उसमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी में जो प्रतिशत पूरा हुआ है बंट दिया है। अनुसूचित जाति में श्रेणी (१) में ३.१ प्रतिशत पूरा हुआ १८ के अगेन्स्ट में । श्रेणी दो में ३.६ पूरा हुआ । श्रेणी (१) में अनुसूचित जन जाति में एक भी व्यक्ति नहीं रखा गया । श्रेणी (२) में ०.०७ । श्रेणी ३ में ८ प्रतिशत । यह शेड्यूल कास्ट का है । जन जातियों का श्रेणी ३ में ०.२४ है । श्रेणी ४ में ०.४ है । इसको बताने का मेरा मतलब यह है कि यह सही है कि बावजूद सरकारी आदेशों के, आरक्षण पूरा नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में सरकार बहुत ही गम्भीरता के साथ सोच रही है कि इसको अधिनियमित किया जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय कि यदि आरक्षण के मामले में कोई आनाकानी करेगा या लापरवाही करेगा तो उसे दण्ड दिया जायेगा ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण के सम्बन्ध में मान्यता दी है ? संविधान द्वारा कोई ऐसा प्राविधान नहीं है । छेदीलाल साथी कमीशन की रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं है । काका कालेलकर

की रिपोर्ट में भी यह सिफारिश है कि किसी भी सरकारी सेवा में वे आरक्षण के विरुद्ध हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग की जो यह परिभाषा की गयी है उसका क्या आधार है ? और यदि आरक्षण के विरोध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय जैसी आग भड़की तो आप और आपकी सरकार क्या व्यवस्था करेगी, दमन करेगी या समस्या का समाधान करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में पहले व्यवस्था हो चुकी है कि पिछड़ी जाति क्या है। इसका इन्टरप्रिटेशन करने का अधिकार आपको भी नहीं है। यह है हाई कोर्ट को। असल प्रश्न यह है कि नागरिक पिछड़ा वर्ग क्या है, जाति क्या है। तो यह जो ५८ जातियां हैं उन जातियों को ही पिछड़ा नागरिक वर्ग माना है। हाई कोर्ट में पहले भी इस बात के फैसले दिये गये हैं। तो मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में हमारी नियमावली बिलकुल स्पष्ट है कि किसी कानून के इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न यहां पर नहीं रखा जा सकता।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

क्षमा करेंगे उन्होंने नाम लिया।]

श्री अध्यक्ष—

वह भी यही बात कहते हैं। अगर हाई कोर्ट इसके आदेश दे देगा, तो हो जायगा।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर।)

आप लोग बैठ जायें। इस तरह से नहीं।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

मान्यवर, पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात आयी और उनके आरक्षण को कम करने की बात आयी और ५० प्रतिशत से अधिक देने की भी बात यहां पर क्यों नहीं आई ? तो जो स्थिति देश और प्रान्त की है तो क्या यह उचित नहीं होता कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना। क्योंकि मैं भी आरक्षण के अन्तर्गत आता हूं। बड़ी कौमों में भी निर्धन हैं तो इन जातियों के लिए भी कुछ प्रतिशत आरक्षण कर दिया जाय। क्या यह उचित नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिए कि क्या सरकार द्वारा जो आरक्षण प्रारा किया गया है, उसको आर्थिक आधार पर रखने का विचार करती है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जो व्यवस्था हमारे प्रदेश और देश में है उस व्यवस्था के अनुसार जो शैक्षिक सुविधायें हम उपलब्ध कराते हैं चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे जन-जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों उसमें आर्थिक प्रतिबंध १०वीं

[श्री रामसिंह---]

कक्षा के नीचे यह है कि आमदनी पांच सौ रुपये से अधिक न हो । १०वीं कक्षा से ऊपर के सम्बन्ध में प्रतिबंध यह है कि अभिभावक की आमदनी साढ़े सात सौ रुपये से अधिक नहीं होगी । अब प्रश्न यह है कि आरक्षण में आर्थिक प्रतिबंध लग सकता है ? अवश्य लगायेंगे, उस समय जब यह आरक्षण पूरा हो जायगा ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मैं जानना चाहता हूं कि जो पिछड़े वर्ग की लिस्ट है उस लिस्ट के आधार पर उनको कितना प्रतिशत सर्विसेज में मिला है ?

श्री राम सिंह—

पिछड़ी जातियों के आरक्षण के आंकड़े एकत्रित कराये जा रहे हैं । उपलब्ध होने पर प्रस्तुत कर दूंगा ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और सम्पूर्ण देश में आरक्षण के प्रश्न को लेकर जो जातिगत संघर्ष पैदा होने की स्थिति बनी है यह और न विस्फोटक हो जाय, तो स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या यह उचित समझते हैं कि बुद्धिजीवियों, विधि शास्त्रियों, छात्रों एवं विधायकों व संसद सदस्यों, जो हैं, ऐसे लोगों की एक गोल मेज परिषद् बुलाकर फिर से विचार करेंगे ताकि इस आरक्षण के प्रश्न पर पुनः निर्णय लिया जाय ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में शासन की स्पष्ट नीति है उसकी आवश्यकता इस समय प्रतीत नहीं होती है । एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि इस प्रदेश में ८० प्रतिशत से अधिक वर्ग अनुसूचित जाति, जन जाति और पिछड़े वर्ग में आता है । तो यह संभव नहीं है कि ८० प्रतिशत के खिलाफ २० प्रतिशत लोग हावी हो जायं ।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि अभी मंत्री जी ने पिछले ३० वर्षों के शासन में रिजर्वेशन की एक तालिका प्रस्तुत किया उसमें स्पष्ट है कि इस समय जो समाज के बहुत पहुंचे लोग हैं जिन्होंने शासन करने का काम किया है, उस आरक्षण के काम को पूरा करने के लिए जनता पार्टी सरकार के निर्णय के विरुद्ध देश में अव्यवस्था पैदा करने की साजिश चल रही है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह से पोंगा पंथी लोगों और समाज में अव्यवस्था पैदा करने वालों के खिलाफ सरकार क्या कारगर उपाय कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उत्तर है । जो कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ५८ जो जातियां हैं उसमें क्या यादव और जाट भी आते हैं, पिछड़ी जाति में ?

श्री राम सिंह--

इसमें यह कोई नहीं आते हैं। अहीर आते हैं।

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है अनुसूचित जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में उससे स्पष्ट है कि प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों में संख्या नहीं के बराबर है। प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं है। मेरी जानकारी है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कोटे में अखबारों में छप जाता है लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में न तो विभाग द्वारा समाचार-पत्रों में उल्लेख किया जाता है, न रेडियो में और न प्रचार साधनों के न और साधन ही प्रयोग किये गये। अनुसूचित जाति और जन जाति समिति १९७६-७७ को पिछली सरकार ने बनाया था उसके माध्यम से यह रिपोर्ट सदन के सामने रखी गयी कि इन कमेटियों में जो रिपोर्ट दी गयी है वही रही। इसलिए क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भविष्य में अखबारों में और समाचार-पत्रों में इसका उल्लेख किया जायेगा ताकि गरीब वर्ग को मालूम हो सके ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जो सेवाओं के विज्ञापन प्रकाशित होते हैं वह तो बहुत से समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते हैं और जो आंकड़े दिये हैं यह भी समाचार-पत्रों में आयेंगे।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९७८†

आबकारी मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब यहां समझदार लोग हैं। आपने प्रस्ताव पेश कर दिया है। आप उत्तर दे दीजियेगा।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रस्ताव कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर निधि के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, मैं श्रम कल्याण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने .....(शोर)

---

† दिनांक ४ अप्रैल, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांति बनाये रखें ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

श्रमिकों के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया । लेकिन देखने में यह विधेयक तो बड़ा अच्छा कल्याणकारी मालूम होता है लेकिन मेरी निजी जानकारी है कि कई संस्थानों में न तो इस प्रकार की निधि है और न कोई ऐसा फण्ड रहता है जिससे कि श्रमिकों का कोई लाभ हो सके । वैसे मंत्री जी ने दो खास चीजें इस विधेयक के द्वारा श्रमिकों को राहत देने के लिए प्रस्तावित की हैं । एक तो यह कि जो भुगतान बकाया है उसकी अवधि तीन वर्ष से दो वर्ष कर दी है और नोटिस पाने के ऊपर चार साल की अवधि थी पिछले अधिनियम में उस अवधि को एक वर्ष कर दिया है । केवल दो बातें खास हैं । लेकिन जब कोई इस प्रकार की निधि संस्थान में है नहीं तो इस अधिनियम से मैं समझता हूं कोई लाभ नहीं है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पुराने भगतान का पैसा है, जहां कहीं है वहां है, जहां नहीं है आशा है इसकी व्यवस्था करेंगे और सरकार की तरफ से कोई फण्ड इसमें शामिल किया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए रखता हूं ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

माननीय, किसी भी प्रतिष्ठान में उस विभाग के होने की जरूरत नहीं है जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया । यह १९६५ का एक विधेयक है । जो लेबर वेलफेयर बोर्ड बनता है इसके अन्तर्गत अनपेड वेजेज इकट्ठी होती रहती हैं वह सब बजाय तीन साल के दो साल तक रहे, श्रमिक बोर्ड को जो नोटिस देगा उस पर भी बोर्ड को पांच प्रतिशत तक खर्च करने का अधिकार दे दिया गया है । अभी हमारे पास ऐसे चार लाख रुपये हैं । इस विधेयक के पास होने के बाद संभव है साल में १०–२० लाख रुपये श्रमिकों के लिए कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी, आप कृपया अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जी हां, वापस ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री जगन्नाथ प्रसाद को अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति सदन प्रदान करे ?

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ से ७ तक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४, सन् १९६५ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९६५ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २ में, खण्ड (१२) में, शब्द 'तीन वर्ष' के स्थान पर शब्द 'दो वर्ष' रख दिये जायेंगे।

धारा ४ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(७) परिषद् की किसी बैठक की गणपूर्ति परिषद् के तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के पंचमांश से होगी :

"प्रतिबन्ध यह है कि जब बैठक में गणपूर्ति के न होने पर किसी कार्यवाही को स्थगित करना आवश्यक हो जाय, तब अध्यक्ष किसी अन्य दिनांक के लिए बैठक को स्थगित करेगा, और गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित की गई कार्यवाही का सम्पादन ऐसे दिनांक को या बैठक के किसी अनुवर्ती दिनांक के लिए अग्रतर स्थगित किए जाने की दशा में, उस अनुवर्ती दिनांक को किया जायगा, भले ही उपस्थित सदस्यों की संख्या में कोई कमी हो।"

धारा ६ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ६ में,—

(एक) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(४) परिषद् को अदत्त संचय का भुगतान किए जाने के दिनांक से छः मास की अवधि में कम से कम तीन मास में एक बार, उपधारा (३) के अधीन नोटिस—

(क) उस अधिष्ठान के, जिसमें अदत्त संचय उपार्जित हुए हों, सूचनापट पर प्रदर्शित की जायगी;

(ख) कर्मचारी को उसके स्थायी पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायगी; और

(ग) सम्बद्ध अधिष्ठान के ट्रेड यूनियन को, यदि कोई हो, दी जायगी, यदि कर्मचारी उसका सदस्य रहा;"

(दो) उपधारा (६) में, शब्द "नोटिस के गजट में प्रथम प्रकाशन से चार वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द "प्रथम नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर" रख दिए जायेंगे।

धारा ७ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ण) धारा ६ की उपधारा (४) के अधीन नोटिस को तामील करने और उसके प्रकाशन पर, ऐसे अधिकतम प्रतिशत तक, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।"

नई धारा ७—क का बढ़ाया जाना

६—मूल अधिनियम के अध्याय ३ में, धारा ७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"७-क—परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, अदत्त संचय से अग्रिम धारा ६ की उपधारा (४) के अधीन नोटिस के प्रकाशन पर कर्मचारियों का दावा आमंत्रित करने में होने वाले व्यय को चुकाने के प्रयोजनार्थ अदत्त संचय से, उस के पांच प्रतिशत से अनधिक की धनराशि का आहरण कर सकती है ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २४, सन् १९७७

७—(१) उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) निरसन और अध्यादेश, १९७७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । अपवाद ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, ५, ६ व ७ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९६५ का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा ।

(२) इसे ३० दिसम्बर, १९७७ से प्रवृत्त समझा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८†

(आबकारी मंत्री) श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर,मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाए ।

*श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

अध्यक्ष महोदय, बार-बार जो आबकारी के सम्बन्ध में सदन में छोटे-छोटे संशोधन इस बिल में पेश किए जाते हैं इससे मूल समस्या का निदान होने वाला नहीं है । इस संशोधन विधेयक के जरिये शराबबन्दी का सवाल हल किया गया है। किन्हीं जिलों में शराबबन्दी कर दी गई है और कुछ में नहीं की गई है । पता यह चला है कि जिन जगहों पर बन्द हो गई है वहां के लोग दूसरी जगहों पर पीने जा रहे हैं, जहां वह बन्द नहीं हुई है । कहा जाता है कि शराबबन्दी से बहुत भ्रष्टाचार फैल गया है । लखनऊ में बन्द हो गई तो सारी शराब अंडर ग्राउन्ड चली गई और ब्लैक में बिक रही है । इसी तरह से फौज में भी इससे भ्रष्टाचार फैल गया है । जहां टट में शराब खुली हुई है वहां से वह बस्ती में चली जाती है और वहां ब्लैक में बेची जाती है । इस तरह से मूल समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है । लिहाजा इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय और इस पर पूरी तरह से हर पहलू पर विचार करके नये सिरे से यह विधेयक सदन में एक सप्ताह के अन्दर पेश किया जाय । यह सही नहीं है कि शराबबन्दी का मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है । सारे यूरोप तथा अमेरिका में यह खुले बाजार में बिकती है, भ्रष्टाचार वहां क्यों नहीं है ? इससे भ्रष्टाचार नहीं होता है । अगर भ्रष्टाचार है तो यह अफसरों तथा नेताओं तक सीमित है । अगर भ्रष्टाचार से इसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है तो इसमें आमूल परिवर्तन किया जाय और पूरे देश में पाबन्दी लगा दी जाय, यह नहीं कि एक जगह बन्द कर दी और दूसरी जगह खुली रखी । ऐसा करने पर ही शराबबन्दी हो सकेगी और भ्रष्टाचार मिट सकेगा ।

---

†दिनांक ४ अप्रैल, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जनता पार्टी की यह सरकार छोटे-छोटे बिलों के संशोधनों को लाकर प्रदेश की मूल समास्याओं से हटना चाहता है । आज समस्या देश के सामने गरीबी, बेकारी और परेशानी की है जिनसे हटकर इन संशोधनों को लाकर सरकार जनता को भुलावा देना चाहती है । यह संशोधन विधेयक तो पारित हो ही जायगा क्योंकि आपका बहुमत है । किन्तु प्रान्त की समस्याओं को निपटाने के लिये इस मामले को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि पूरे प्रान्त के पैमाने पर इसकी जांच हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप दुहरा रहे हैं ।

श्री मित्रसेन—

इसलिये कह रहा हूं कि कुछ लोग शराब पीना चाहते थे और हमारे प्रधान मंत्री दूसरी चीज पीने की ओर इशारा करते है । इंदिरा गांधी का नारा था नस-बन्दी और आपका नारा है शराब बन्दी । हमारे प्रधान मंत्री का मूत्र पीने की ओर इशारा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप मूत्र का परीक्षण करके देखिये ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

यह एक अखिल भारतीय नीति हो गई है कि केन्द्र में, प्रदेशों में, ३—४ साल में पूर्ण मद्य-निषेध करना है । यह पहला साल है । १२ जिलों में यह लागू हो गया है । प्रवर समिति में जाने लायक अब समय नहीं रहा है । हम लोगों ने पहली अप्रैल से इसे लागू कर दिया है । इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे पारित कर दे ।

(श्री मित्रसेन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई सी० पी० आई० की नीति थोड़े ही है । क्या आप इसे वापस लेने के लिए तैयार हैं ?

श्री मित्रसेन—

मैं वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि जो प्रधान मंत्री पिलाना चाहते है, वह मैं पीने के लिए तयार नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २ से २५ तक

२--संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, ९१० की, जिसे आगे संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या ४, १९१० की धारा ३ का संशोधन मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३ में, खण्ड (५) निकाल दिया जायगा ।

३--मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

धारा ११ का प्रतिस्थापन

"११--(१) कलेक्टर और प्रत्येक अन्य आबकारी अधिकारी (जो आबकारी आयुक्त नहीं है), इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में होगा और इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा दिए गए समस्त आदेशों के विरुद्ध अपील, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति से, आबकारी आयुक्त को की जा सकेगी :

अपील और पुनरीक्षण

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई अपील ग्रहण नहीं की जायगी, जब तक कि उसे व्यथित व्यक्ति द्वारा, ऐसा आदेश संसूचित किए जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया जाय, और जब तक कि अपीलकर्ता ने, यथास्थिति, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशि की कम से कम २५ प्रतिशत धनराशि की अदायगी का संतोषजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की ऐसी विवादग्रस्त राशि के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है ।

(२) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन करने पर, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में दिए गए किसी आदेश से सम्बन्धित अभिलेख को किसी ऐसे आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य या ऐसी कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए मांग सकती है और उसकी परीक्षा कर सकती है, और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे आदेश या कार्यवाही को परिष्कृत, विखंडित, उलटना या पुनर्विचार के लिए पुनः प्रेषित करना चाहिये तो वह तदनुसार आदेश दे सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि उसे अपना अभ्यावेदन करने का युक्ति-युक्त अवसर न दे दिया गया हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि वह आबकारी आयुक्त के आदेश से तीस दिन के भीतर न दिया जाय और जब तक कि कोई अपील जहां वह ग्राह्य हो, दायर न कर दी गई हो और आबकारी आयुक्त द्वारा निपटा न दी गई हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि आवेदक ने, यथास्थिति कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशि की कम से कम २५ प्रतिशत धनराशि की अदायगी का संतोषजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की किसी विवादग्रस्त राशि के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकती है ।

धारा २० का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (२) निकाल दी जायगी ।

धारा २२ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा २२ में (जिसमें उसका पार्श्व शीर्षक भी सम्मिलित है) शब्द "अट्ठारह वर्ष", जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "इक्कीस वर्ष" रख दिए जायेंगे ।

धारा २३ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा २३ में, पार्श्व शीर्षक और उपधारा (१) में, शब्द "अट्ठारह वर्ष", जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "इक्कीस वर्ष" रख दिए जायेंगे ।

७—मूल अधिनियम की धारा २८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी और सदैव से बढ़ायी गई समझी जायगी, अर्थात् — [नई धारा २८-क का बढ़ाया जाना

"२८-क (१) जहां किसी यवासवनी में, आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे आबकारी आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करें, परीक्षण करने पर स्टाक में स्प्रिट या बियर का परिमाण स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिमाण से अधिक पाया जाय, वहां यवासव ऐसे अधिक परिमाण पर धारा २८ के अधीन निर्धारित सामान्य दर पर उत्पाद शुल्क का देनदार होगा ।

कतिपय दशाओं में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का आरोपण

(२) जहां ऐसे परीक्षण पर स्प्रिट या बियर का परिमाण स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिमाण से कम पाया जाय और यह कमी (यवासवनी में वाष्पन, सलेज और अन्य प्रासंगिकता के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए और बोतल में भरने और भण्डार में रखने से हुई हानि को पूरा करने के लिए भी दी गई) दस प्रतिशत की छूट सीमा से अधिक हो जाय, वहां आबकारी आयुक्त दस प्रतिशत से अधिक की ऐसी कमी के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क की साधारण दर के एक सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण उत्पाद शुल्क की साधारण दर के अतिरिक्त करेगा ।"

८—मूल अधिनियम की धारा ४९ में,— धारा ४९ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, शब्द "किसी थाने के प्रभारी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उप निरीक्षक" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (२) में, शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ के अध्याय १४" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के अध्याय १२" रख दिये जायेंगे ।

९—मूल अधिनियम की धारा ५३ में उपधारा (१) में शब्द "थाने के प्रभारी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उप निरीक्षक" रख दिए जायेंगे । धारा ५३ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा ५४ में,— धारा ५४ का संशोधन

(क) शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३" रख दिए जायें ;

(ख) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "धारा ६२ या धारा ६५" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा ६२, धारा ६४-क या धारा ६५" रख दिए जायेंगे ।

धारा ५५ के स्थान पर नई धारा का प्रति-स्थापन

११--मूल अधिनियम की धारा ५५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

कतिपय अपराध अजमानतीय होंगे

"५५--धारा ६० की उपधारा (२), धारा ६२ और धारा ६४-क के अधीन दण्डनीय-समस्त अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के अर्थान्तर्गत अजमानतीय होंगे ।"

धारा ६० के स्थान पर नई धारा को प्रति-स्थापन

१२--मूल अधिनियम की धारा ६० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, कब्जा, विक्रय आदि के लिये शास्ति

"६०--(१) जो व्यक्ति इस अधिनियम का या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या दिए गए किसी आदेश का या इसके अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके--

(क) चरस से भिन्न किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात या परिवहन करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, या

(ख) भांग (कैनेबिस सेटाइवा) की खेती करता है, या

(ग) भांग (कैनेबिस सेटाइवा) के किसी ऐसे भाग का संग्रह या विक्रय करता है जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता है, या

(घ) कोई आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है, या

(ङ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिए प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है, या

(च) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है, या

(छ) विक्रय के लिए किसी शराब को बोतल में बन्द करता है, या

(ज) धारा ६१ में व्यवस्थित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है, या

(झ) धारा ४२ के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों से ताड़ी चुआता है, या निकालता है,

उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड दिया जायगा जो खण्ड (झ) के अधीन अपराध की स्थिति में ऐसी उत्पाद शुल्क की धनराशि जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और दिए गए आदेशों के

अनुसार या इसके अधीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गई होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने से कम न होगा और किसी अन्य स्थिति में ऐसे उत्पाद-शुल्क की राशि के दस गुने या पांच सौ रुपये से, जो भी अधिक हो, कम न होगा ।

(२) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिए गए आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, या किसी चरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है उसे कारावास का जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, दण्ड दिया जायगा और अर्थ-दण्ड भी दिया जायगा जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है" ।

१३--मूल अधिनियम की धारा ६१ में (जिसमें उसका पार्श्व धारा ६१ का शीर्षक भी सम्मिलित है), शब्द "अट्ठारह" जहां कहीं भी आया हो, संशोधन के स्थान पर शब्द "इक्कीस" रख दिया जायगा ।

१४--मूल अधिनियम की धारा ६२ के स्थान पर निम्नलिखित धारा ६२ के धारा रख दी जायगी, अर्थात् :-- स्थान पर नई धारा का प्रति-स्थापन

"६२--जो कोई किसी ऐसी स्प्रिट को, चाहे वह भारत में निर्मित हुई हो या नहीं, जो विकृत हो गई हो, मानव उपभोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयास करता है या कब्जे में कोई ऐसी विकृत स्प्रिट रखता है जो मानव उपभोग के योग्य बनाई गई हो या जिसके सम्बन्ध में उसे इस योग्य बनाने का कोई प्रयास किया गया हो उसे ऐसी अवधि के लिए जो छः मास से कम नहीं होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास का दण्ड दिया जायगा और वह अर्थदण्ड से भी जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

विकृत स्प्रिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने के लिये शास्ति

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनार्थ यह उपधारणा की जायगी कि कोई स्प्रिट, जिसके बारे में यह साबित हो जाय कि उसमें किसी मात्रा में विकरक तत्व है, विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट मिला है या वह विकृत स्प्रिट से व्युत्पन्न है" ।

१५--मूल अधिनियम की धारा ६३ में, शब्द "तीन माह" के धारा ६३ का स्थान पर शब्द "एक वर्ष" और शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द संशोधन "पांच हजार" रख दिए जायेंगे ।

धारा ६४ के स्थान पर नई धारा का प्रति-स्थापन

१६--मूल अधिनियम की धारा ६४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

लाइसेंसधारी या उ के सेवक द्वारा कतिपय कार्यों के लिये शास्ति

"६४--जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी लाइसेंस, परमिट या पास का धारक होते हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए, और उसकी ओर से कार्य करते हुए,--

(क) किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर, जो इस प्रकार मांगने के लिए सम्यक् रूप से अधिकृत हो, ऐसा लाइसेंस, परमिट या पास प्रस्तुत नहीं करता है, या

(ख) लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करके जानबूझकर कोई ऐसा कार्य या कार्य-लोप करता है जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध न हो, या

(ग) ऐसे मामले, जिनके लिए धारा ६० में उपबन्ध है, से भिन्न किसी मामले में धारा ४० के अधीन बनाए गए किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करता है,

उसे प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए अर्थ-दण्ड, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दिया जायगा।"

नई धारा ६४-क का बढ़ाया जाना

१७--मूल अधिनियम की धारा ६४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :--

लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या निर्माता द्वारा अपमिश्रण आदि के लिए शास्ति

"६४-क--(१) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिये लाइसेंस धारक होते हुए, या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए अपने द्वारा विक्रीत या निर्मित मादक वस्तु में कोई हानिकारक भेषज या कोई अनुपयुक्त तत्व जिससे उसकी वास्तविकता या आभाषित मादकता या सान्द्रता बढ़ने की सम्भावना हो, या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा निषिद्ध कोई पदार्थ मिलाता है या मिलाने की अनुज्ञा देता है तो जब ऐसा मिश्रण भारतीय दण्ड संहिता की धारा २७२ के अधीन अपमिश्रण के अपराध की कोटि में न आता हो, उसे कारावास का दण्ड जो छः मास से कम न होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड भी, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दो हजार तक हो सकता है, दिया जायगा।

(२) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिए लाइसेंस धारक होते हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए किसी ऐसी शराब

जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह देशी शराब है, विदेशी शराब के रूप में विक्रय करता है या विक्रयार्थ रखता या प्रदर्शित करता है उसे कारावास का दण्ड जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और अर्थ–दण्ड जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड निम्नलिखित से कम न होगा :—

(एक) प्रथम अपराध के लिए तीन मास का कारावास और दो सौ रुपयों का अर्थदण्ड, और

(दो) प्रत्येक द्वितीय और अनुवर्ती अपराधों के लिए छः मास का कारावास और पांच सौ रुपये का अर्थ–दण्ड ।"

धारा ६९ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

१८—मूल अधिनियम की धारा ६९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात् वर्द्धित दण्ड

"६९—यदि कोई व्यक्ति धारा ६०, धारा ६२, धारा ६३, या धारा ६५ के अधीन या उन धाराओं के उपबन्धों के अधीन जैसे कि वे समय–समय पर थे, दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले सिद्ध दोष ठहराये जा चुकने के पश्चात् इन धाराओं में से किसी धारा के अधीन दण्डनीय अपराध करता है और सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तो वह उस दण्ड से दुगुना दण्ड पाने का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन पहली दोष–सिद्धि पर आरोपित किया जा सकता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा ६० की उपधारा (१), या धारा ६३ या धारा ६५ के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए दोष–सिद्धि की स्थिति में अर्थ–दण्ड सहित कम से कम तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया जायगा और धारा ६० की उपधारा (२) या धारा ६२ के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए दोष सिद्धि की स्थिति में अर्थ–दण्ड सहित कम से कम एक वर्ष की अवधि के कारावास का दण्ड दिया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे अपराध के लिये, जिस पर अन्यथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के अध्याय २१ के अधीन सरसरी तौर पर विचार किया जा सकता हो, इस प्रकार विचार किए जाने में रुकावट नहीं डालेगी ।"

धारा ६९–क का संशोधन

१९––मूल अधिनियम की धारा ६९–क में,––

(क) उपधारा (१) में, शब्द और अंक "धारा ६० के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (ङ), खण्ड (च) या खण्ड (ज) या धारा ६२" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा ६० की उपधारा (१) के खण्ड (ख), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) या खण्ड (छ) या उपधारा (२) या धारा ६२" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (२) में, अंक "१८९८ ई०" के स्थान पर अंक "१९७३" रख दिए जायेंगे ।

धारा ७० का संशोधन

२०––मूल अधिनियम की धारा ७० में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, शब्द और अंक "धारा ६३" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा ६३, धारा ६४–क" रख दिए जायेंगे ।

धारा ७१–क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

२१––मूल अधिनियम की धारा ७१–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :––

"७१––क––दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३०६ और ३०८ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता की धारा ३०६ में उल्लिखित अपराधों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।"

क्षमा आदि से संबंधित उपबन्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों पर लागू होंगे

धारा ७४ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

२२––मूल अधिनियम की धारा ७४ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :––

"७४–(१) कोई आबकारी अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका लाइसेंस, परमिट या पास धारा ३४ के अधीन निरसित या निलम्बित किए जाने योग्य हो या जिसके सम्बन्ध में युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने धारा ६४ या धारा ६८ के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, यथास्थिति, ऐसे निरसन या निलम्बन के बदले में या किए गए अपराध के शमन के रूप में पांच हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकता है और ऐसे सभी मामलों में जिनमें इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अभिगृहीत की गई हो, उस सम्पत्ति के (ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमानित) मूल्य का भुगतान किए जाने पर उसे छोड़ सकता है ।

अपराधों का शमन

(२) ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य या दोनों का भुगतान कर दिए जाने पर उस व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जाय

और अभिगृहीत समस्त सम्पत्ति छोड़ दी जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायगी न जारी रखी जायगी। शमन के रूप में ऐसी धनराशि स्वीकार करने को दोषमुक्ति समझा जायगा और किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध उसी कार्य के अभिदेश में कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी।

शास्ति-आरोपण

७४-क (१) यदि इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास का धारक या ऐसे धारक का कोई कर्मचारी लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन शास्ति आरोपित करने का कोई आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि लाइसेंस, परमिट या पास के धारक या सम्बद्ध कर्मचारी को--

(क) उन आधारों को जिन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है, सूचित करते हुए लिखित नोटिस न दे दी गई हो;

(ख) ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे आधार के विरुद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(३) कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (१) के अधीन शास्ति आरोपित की जाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उन्हीं तथ्यों पर अभियोजित नहीं किया जा सकेगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९७६ की धारा २ का संशोधन

२३--उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) अधिनियम, १९७६ की धारा २ में प्रथम वाक्य में, शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, १९७२" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, १९७२" रख दिए जायेंगे और तदैव से रखे समझे जायेंगे।

वैधीकरण

२४--मूल अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आबकारी आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व जितना परिणाम कम है उतने के सम्बन्ध में धारा २८-क में, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ायी गई है, विनिर्दिष्ट दर से अनधिक दर पर आरोपित कोई उद्ग्रहण, चाहे उसे

जुर्माना या किसी अन्य नाम से वर्णित किया जाय, उक्त धारा २८-क के अधीन विधिमान्यतः आरोपित "अतिरिक्त उत्पादन शुल्क" समझा जायगा मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

निरसन और अपवाद

२५--(१) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ और उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) उत्तर प्रदेश अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं । अध्यादेश संख्या ५, सन् १९७८ और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ६, सन् १९७८

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर कोई संशोधन खण्डों पर नहीं है इसलिए मैं २ से २५ तक खण्डों को ले रहा हूं । प्रश्न यह है कि खण्ड २ से लेकर २५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, १९१० का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग मान जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और १० तारीख को ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर सोमवार, १० अप्रैल, १९७८ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
७ अप्रैल, १९७८

विधान भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८२ पर)

तालिका

मांग	की गई कार्यवाही
१	२
१—फरवरी, १९७७ में राजस्व परिषद् द्वारा नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति विषयक जारी किए गए गोपनीय आदेश तत्काल वापिस लेकर नियमानुसार प्रोन्नतियां दी जावें ।	१—राजस्व परिषद् में फरवरी, १९७७ में नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति के लिए एक सूची बनाई थी जिसमें सुपरवाइजर कानूनगो व संग्रह अमीनों की पदोन्नति का अनुपात नियम के अनुसार ५ : १ का नहीं था । अतः उसे रद्द करके नियमानुसार नई सूची बनाई गई तथा सुपरवाइजर कानून-गोयान की प्रोन्नति की गई ।
२—सुपरवाइजर कानूनगो के १४९ रिक्त पदों पर उपयुक्त कानूनगोयान को तुरन्त स्थायी कराया जाय तथा इस विषय में हुए अप्रत्याशित विलम्ब के कारणों की जांच कराई जाये ।	२—सुपरवाइजर कानूनगो के १४९ रिक्त पदों में से ८५ पर स्थायीकरण किया जा चुका है । शेष पदों पर स्थायी-करण किए जाने की कार्यवाही चल रही है ।
३—सुपरवाइजर कानूनगो के स्थायी-करण के उपरान्त सुपरन्यूमरेरी कानूनगोयान की नई सूची शीघ्र प्रकाशित की जावे ।	३—प्रदेश में सुपरन्यूमरेरी कानूनगो के १०० पद हैं। इनमें से ५९ पर पहले ही सुपरवाइजर कानूनगो कार्य कर रहे थे शेष ४१ पदों पर अगस्त, सन् १९७७ में राजस्व परिषद् द्वारा नियुक्ति की गई ।
४—विगत २४ वर्षों से प्रतीक्षित सुपर-वाइजर कानूनगो सेवा नियमावली का प्रकाशन तत्काल किया जावे ।	४—सुपरवाइजर कानूनगो सेवा नियमावली राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या ५१-७(१)/६८-ए-राजस्व—९ दि० २०-११-७७ के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है ।

१	२
५—नायब तहसीलदार पदों पर स्थायी प्रोन्नति हेतु सुपरवाइजर कानूनगो के चयन किए जाने के लिए समिति का गठन अविलम्ब किया जावे ।	५—सन् १९६७ में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा ७० सुपरवाइजर कानूनगो सूची 'ए' में तथा ४१७ सूची 'बी' में रखे गए थे । लोक सेवा आयोग परामर्श चयोन्नति प्रक्रिया नियमावली दिनांक ४-७ ७२ के अनुसार सूची 'बी' के अभ्यर्थी भी स्थायीकरण के पात्र हैं । अभी यह सूची समाप्त नहीं हुई इसके समाप्त होने पर ही अगली चयन समिति का गठन करना सम्भव होगा ।
६—सदर कानूनगो को आवास भत्ता, जो सिद्धांततः स्वीकृत किया जा चुका है, अब तुरन्त दिलाया जाय ।	६—सदर कानूनगो को आवास भत्ता दिए जाने के मामले पर वित्त विभाग से परामर्श किया जा रहा है ।
७—परिषद् कार्यालय की उपरोक्त अनियमितताओं एवं घांधली के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब उचित कार्यवाही की जाय ।	७—फरवरी, १९७७ में पर्यवेक्षक कानूनगो एवं संग्रह अमीनों के तदर्थ सूची के निर्माण के समय, नायब तहसीलदार सेवा नियमावली के नियम ५/७ का अनुपालन न करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को चेतावनी दी जा चुकी है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९७ पर ।)

घटना का विवरण

दिनांक २३-११-७७ को ९.३० बजे शाम थाना कोतवाली देहरादून में कुमारी, अनाक्षी अधीक्षिका, राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, लांगापोखरी, चकराता, देहरादून ने रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक २३-११-७७ को लगभग शाम को ७.३० बजे श्री बी० के० जैन (डी० एल० ओ०) प्रभारी अधिकारी, हरिजन एवं समाज कल्याण, देहरादून, शराब पीकर रेलवे कालोनी के उस क्वार्टर में आये जहां यह रुकी हुई थी । कुमारी अनाक्षी ने अपने भाई को नास्ता लेने के लिए बाजार भेजा । इसी बीच श्री बी० के० जैन ने अपने कपड़े उतारे और कुमारी अनाक्षी को जबरन पकड़कर अपने ऊपर गिराने लगे तथा कपड़े उतारने की कोशिश की । इस पर कुमारी अनाक्षी ने शोर मचाया जिसको सुनते ही उनके भाई तथा मुहल्ले के अन्य लोग आ गए । इतने में श्री जैन भाग गए और अपने जते, कपड़े, बेग आदि वहीं पर छोड़ गए और यह कहते हुए चले गए कि मेरे कपड़े, बेग आदि वापस दे दो नहीं तो मैं तुम्हारी नौकरी ले लूंगा । इस मुकदमें की विवेचना पुलिस द्वारा आरम्भ कर दी गई है जो अभी जारी है । डाक्टरी मुआइने के आधार पर कुमारी अनाक्षी के दाहिने कलाई के पास दो साधारण खरोंच व चेहरे के बायें भाग पर सख्त आले की एक साधारण चोट पाई गई ।

तत्पश्चात् श्री जैन ने भी थाना कोतवाली देहरादून में कुमारी अनाक्षी के विरुद्ध धारा ३२३/५०७/४२७, भा० द० वि० के अन्तर्गत उसी दिन अर्थात् दिनांक २३-११-७७ को ११.४५ शाम को रिपोर्ट लिखाई । श्री जैन ने इस रिपोर्ट में लिखाया कि मुल्जिमा अनाक्षी मेरे अधीनस्थ कार्य करती हैं । मुल्जिमा ने मुझे आज बाजार में टोका और कहा कि हमारे घर पर चलें और चाय पीकर वापस आना । मैं मुल्जिमा के साथ मुहल्ला रेलवे कालोनी में गया । मुहल्ले में जाते ही कुमारी अनाक्षी व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने मुझे पकड़ कर मारना-पीटना शुरू किया और गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी भी दी और कहा कि हमारे बिल पर दस्तखत कर दें ताकि वह जल्दी पास हो जाये वरना तुम्हें जान से मार देंगे । इस पर मैं अपनी जान बचा कर स्टेशन पर गया । इसके बाद मैं अस्पताल गया और अपनी डाक्टरी जांच कराकर रिपोर्ट कर आया हूं ।

तदोपरान्त इस सम्बन्ध में अपराध संख्या १२७७/अ, धारा ३४२/३२३/५०४/५०६/४२७, भा० द० वि० का मुकदमा कुमारी अनाक्षी के विरुद्ध दिनांक २५-११-७७ को थाना कोतवाली, देहरादून में कायम हुआ । जिसकी विवेचना हो रही है । डाक्टरी मुआयने के आधार पर डाक्टर बी० के० जैन के जिस्म पर सख्त आले की एक साधारण चोट सर पर एक चोट, माथे पर एक चोट, बायें गाल पर एक चोट, दाहिने हाथ पर एक चोट तथा बायें कन्धे पर एक चोट पाई गई । इस खरासनाक पर कुछ खरासें दाहिना हाथ पर और एक खरास बायें कान पर पाई गई । दोनों उपरोक्त विवेचनाओं को अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र पूर्ण किये जाने की आज्ञा है ।

पी० एस० यू० पी०--१५ वि० सभा २१-७-७८--८४३ (पी० डी०) ।